Chamber ... 18|X|73
74
20.7.62

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पहला सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

विषय	पृष्ठ

[तृतीय माला, खण्ड ३—अंक २१ से ३०—१२ से २५ मई, १९६२/२२ वैशाख से ४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

अंक २१—शनिवार, १२ मई, १९६२/२२ वैशाख, १८८४ (शक)

सभा का कार्य १९९५

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिये जारी किये गये पासों के बारे में . . १९९५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति तथा मालदा में हुई घटनायें १९९८-२००१

अनुदानों की मांगें . . १९९५-९८, २००१-४६

सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय . १९९५-९८,२००१-३५

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . २०३५-४६

हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में आधे घंटे की चर्चा २००४६-४९

दैनिक संक्षेपिका २०५०

अंक २२—सोमवार, १४ मई, १९६२/२४ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ से ६९८, ७०१, ७०२, ७०४ से ७०६, ७०८ से ७११ और ७१३ से ७१६ २०५१-७९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ २०७९-८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७००, ७०३, ७०७, ७१२ और ७१७ से ७३९. २०८१-९२

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८७ से १२४१, १२४३ और १२४५ से १२८३ २०९२-२१३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागा विद्रोहियों द्वारा पांच सैनिकों का कथित मारा जाना और कई अन्य सैनिकों का घायल किया जाना २१३३-३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१३४-३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में राज्य सभा से सन्देश . . २१३५-३६

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड . २१३६-३७

(२) राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिये सलाहकार बोर्ड . २१३७-३८

अनुदानों की मांगें २१३८-७६

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय २१३८-७६

आध घंटे की चर्चा के बारे में २१७७

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७८-८४

अंक २३—बुधवार, १६ मई, १९६२/बैशाख २६, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५३ और ७५५ से ७६० २१८५-२२१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३७, ७३८, ७४७, ७५१, ७५४ और ७६१ से ७८८ . . . २२१०-२५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८४, १२८५, १२८७ से १३३०, १३३४ से १३३७, १३३९ से १३४३, १३४५ से १३५९, १३६१ और १३६२ २२२५-५३

हुगली नदी के पोत चालकों द्वारा काम बन्द कर दिये जाने के बारे में वक्तव्य २२५३-५५

समिति के लिये निर्वाचन २२५५

कॉफी बोर्ड २२५५

अनुदानों की मांगें २२५५-९१

खान और ईंधन मंत्रालय २२५५-९१

दैनिक संक्षेपिका २२९२-९७

अंक २४—गुरुवार, १७ मई, १९६२/२७ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९०, ७९१, ७९४, ७९५, ७९७ से ७९९, ८०१ से ८०४, ८०६, ८११, ८१३ और ८१४ २२९९-२३२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३२४-२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८९, ७९३, ७९६, ८०५, ८०७, ८०८, ८१०, ८१२ और ८१५ से ८३५ २३२५-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६३ से १४७२ और १४७४ से १५०२ २३३९-२४०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में हुए विस्फोट २४०५-१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२४१०–११
समितियों के लिये निर्वाचन .	२४१२–१३
(१) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति .	२४१२
(२) आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासी निकाय .	२४१२–१३
(३) दिल्ली विकास प्राधिकार सलाहकार परिषद् .	२४१३
अनुदानों की मांगें . .	२४१३–५१
इस्पात और भारी उद्योग .	२४१३–५१
दैनिक संक्षेपिका	२४५२–६०

अंक २५—शुक्रवार, १८ मई, १९६२/२८ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३५-ए, ८३७ से ८३९, ८४१, ८४२, ८४४, ८४७, ८४८, ८५१ से ८५४, ८५७ से ८६० और ८६३ से ८६६ .	६१–८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३६, ८४३, ८४५, ८४६, ८४९, ८५०, ८५५, ८५६, ८६१, ८६२, ८६७ से ८७२, ८७४ से ८८० और ८८२	२४८६–९५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५०३ से १५१३, १५१५ से १५४९ और १५५२ से १६०१	२४९५–२५३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५३७–३८
एक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण	२५३८–३९
सभा का कार्य .	२५३९
समितियों के लिये निर्वाचन	२५३९–४१
१. राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति	२५३९–४०
२. केन्द्रीय प्राणिशास्त्र सलाहकार बोर्ड	२५४०
३. भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद्	२५४०–४१
अनुदानों की मांगें	२५४१–७५
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२५४१–७५
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	२५७५–८३
एकाधिपत्य की वृद्धि को रोकने के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	८३–८९
मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प	२५८९–९०

सरकारी कर्मचारियों के चरित्र और प्रागवृत्त का सत्यापन के बारे में आधे घंटे की चर्चा २५९०—९३

दैनिक संक्षेपिका २५९४—२६००

अंक २६—सोमवार, २१ मई, १९६२/३१ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८५, ८८७ से ८८९, ८९१, ८९३, ८९७, ८९८, ९०० और ९०१ . . . २६०१—३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८६, ८९०, ८९२, ८९४ ८९६, ८९९, ९०२ से ९१३ और ४५२ २६२६—३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . २६३५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०२ से १६५९ २६३५—६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २६६१

हुगली नदी के पोत चालकों के बारे में वक्तव्य २६६१—६२

समितियों में निर्वाचन . २६६२—६३

नारियल जटा बोर्ड

अनुदानों की मांगें २६६३—२७१२

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय २६६३—८३

परिवहन तथा संचार मंत्रालय २६८३—२७१२

दैनिक संक्षेपिका . . . २७१३—१७

अंक २७—मंगलवार, २२ मई, १९६२/१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१५ से ९२२, ९२५ से ९२८, ९३० से ९३२, ९३४ से ९३८ और ९४० से ९४४ २७१९—४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१४, ९२३, ९२४, ९२९, ९३३, ९३९ और ९४५ से ९४७ . . . २७४५—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १७५६ और १७५८ से १७७९ २७४९—२८०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . २८०५—०७

१. कुछ चीनियों का भारतीय राज्य क्षेत्र में कथित प्रवेश और उनके द्वारा जोगबानी नगर के फोटो लिये जाना २८०५—०६

२. भारतीय दूतावास को गणराज्य दिवस मनाने के लिये चीन सरकार द्वारा सुविधाओं का न दिया जाना . . . २८०६—०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . २८०७—०८

अनुदानों की मांगें . . . . २८०८—४५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . २८०८—४५

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८४६—५२

अंक २८—बुधवार, २३ मई, १९६२/२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९५३, ९५८ से ९६२, और ९६५ से ९६८ . . . २८५३—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९५७, ९६३, ९६४, ९६९ से ९९२ . . . २८७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८० से १८२६, १८२८ से १८७१, १८७३ से १८८८ . . . . २८८८—२९३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

२२ मई, १९६२ को मियालदह में हुई रेल दुर्घटना . . . २९३२—३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९३४

समिति के लिए निर्वाचन—

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् . . . २९३४—३५

अनुदानों की मांगें . . . . २९३५—८५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . . . २९३५—४३

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . . . २९४३—८५

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . २९८५—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९८९—९५

अंक २९—गुरुवार, २४ मई, १९६२/३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से १०००, १००२, १००४ से १०१०, १०१२, १०१५, १०१९ और १०२० . . . २९९७—३०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १०११, १०१३, १०१४, १०१६ से १०१८ और १०२१ से १०३७ . . . ३०२६—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८८९ से १९३८ . . . ३०३६—५६

सदस्य का निलम्बन . . . ३०५६—५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .

एलिजाबेथविल में हुई रेल दुर्घटना . . . . २०५८—५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०५९

अनुदानों की मांगें . . . . . . ३०६०—३१०९

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . . ३०६०—९७

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३०९७—३१०९

दैनिक संक्षेपिका ३११०—१३

अंक ३०—शुक्रवार, २५ मई, १९६२/४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

नारांकित प्रश्न संख्या १०३८ से १०४०, १०४२, १०४३, १०४५, १०४७ से १०५०, १०५२ से १०५६ और १०५८ . . ३११५—३८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . . . . ३१३८—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४१, १०४४, १०४६, १०५१, १०५७ और १०५९ से १०६६ . . . . . . ३१४०—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९४९, १९५१ से १९५६, १९५८ से १९८१ और १९८३ से २०२५ . . . . ३१४७—८७

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . . . ३१८८—८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३१८९—९१

शिवरामपुरम् में रेलगाड़ी की टक्कर

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३१९१—९२

वित्तीय समितियां (१९६१–६२)

"एक समीक्षा"

सभा का कार्य ३१९२

समितियों के लिए निर्वाचन . . . ३१९२—९३

१. भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति

२. भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

अनुदानों की मांगें . . . . . ३१९३—३२२६

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ३१९३—३२१०

स्वास्थ्य मंत्रालय . . ३२१०—२६

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . . ३२२६—२७

(२) संसद् पुस्तकालय विधेयक **(श्री दी० चं० शर्मा का)** ३२२७

(३) बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . ३२२७

(४) खान (संशोधन) विधेयक (धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२-ग और ७३ का संशोधन) **(श्री स० चं० सामन्त का)** ३२२७—२८

(५) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) **(श्री सिद्धय्या का)** . ३२२८

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) **(श्री म० ला० द्विवेदी का)**—वापिस लिया गया ३२२८—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२२८—३४

सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन) **(श्री जं० ब० सिं० बिष्ट का)**—वापिस लिया गया ३२३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२३४—३४

विधान परिषदें (रचना) विधेयक **(श्री श्रीनारायण दास का)** ३२३७—४३

परिचालन करने का प्रस्ताव . . ३२३७—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ३२४४—५०

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LSIII—1098 (Ai)LSD—6-8-62—150.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, १६ मई, १९६२
२६ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली में भूमिगत पानी

+

†*७३६. श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री इ० मधुसूधन राव :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री महेश्वर नायक :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूमिगत पानी की सतह को घटाने के लिये जो कदम उठाये गये क्या उनका कोई परिणाम निकला है ;

(ख) क्या भूमिगत पानी की सतह की ऊंचाई में कोई खास कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) से (ग). केवल नई दिल्ली क्षेत्र में भूमिगत जल की सतह को घटाने के लिये कार्यवाही की गई है। ३०२ नलकूप बनाये गये हैं जिनमें ४८ वस्तुतः चल रहे हैं। आशा है कि शेष नलकूप भी शीघ्र चालू हो जायेंगे। इस की सफलता के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि परिणामों का पता नलकूपों के तीन वर्ष चलने के बाद लगेगा।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : इन कुओं की खुदाई पर कितना व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

860(Ai)LSD—1.

†श्री जगन्नाथ राव : २६,८६,४३९ रु०।

†श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या चालू ४८ नलकूप पूरी क्षमता पर चल रहे हैं और क्या भूमिगत जल की सतह नीचे होने का कोई चिह्न मिला है ?

†श्री जगन्नाथ राव : सारे ३०३ कुओं के चालू होने और लगभग तीन वर्ष तक चलते रहने तक किसी परिणाम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार का ध्यान प्रेस रिपोर्ट और जनमत की ओर आकर्षित किया गया है कि सरकार द्वारा अपनाये गये वर्तमान उपाय, इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त नहीं हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : मैंने ऐसा कोई समाचार नहीं देखा है। यदि माननीय सदस्य ने ऐसा कोई समाचार देखा है और वह हमें दे देते हैं, तो निश्चय ही हम उसकी जांच करेंगे।

†श्री त्यागी : इन नलकूपों के चारों ओर दीवार बनाने पर कितना व्यय हुआ ? आरम्भ में, बड़ी ऊंची दीवारें बनाई गई और बाद में उन्हें गिरा दिया गया। दीवारों को गिराने पर क्या व्यय हुआ ?

†श्री जगन्नाथ राव : प्रत्येक नलकूप के निर्माण पर १,१७० रु० व्यय हुए हैं।

†अध्यक्ष महोदय : वह दीवारों के निर्माण और गिराने का व्यय जानना चाहते हैं।

†श्री जगन्नाथ राव : अब ब्यौरा बताना संभव नहीं है ? केवल उन २० कुओं की दीवारें जो चौराहों तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर बने हैं, गिरा कर जमीन से ३१/२ फीट उंची रखी गई है।

†श्री त्यागी : आरम्भ में इतनी ऊंची दीवारें बनाने के लिये कौन जिम्मेदार है ? उसी समय उन्हें नीचा बनाना क्यों उचित नहीं समझा गया ?

†श्री जगन्नाथ राव : निर्माण, टैक्निकल सलाह के अनुसार हुआ था। बाद में, नई दिल्ली नगरपालिका ने सुझाया कि महत्वपूर्ण स्थानों पर सौन्दर्य की दृष्टि से दीवारें इतनी ऊंची नहीं होनी चाहियें और वे जमीन से केवल ३१/२ फीट ऊंची होनी चाहियें।

†श्री वी० चं० शर्मा : मंत्रालय कब तक हमें बता सकेगा कि इन नलकूपों का परिणाम वांछित रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तीन वर्ष बताया था।

†श्री जगन्नाथ राव : इसके लिये सारे ३०३ नलकूपों को तीन वर्ष तक काम करना होगा।

†श्री मोहन नायक : क्या सरकार को विदित है कि पुरानी दिल्ली की भी यही हालत है ? क्या वहां भी कोई कार्यवाही की जाती है ?

†श्री जगन्नाथ राव : दिल्ली क्षेत्र के लिये भी कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पुरानी दिल्ली दिल्ली नगरपालिका निगम का अंग है और यदि पुरानी दिल्ली में कोई कार्यवाही करनी पड़ती है, तो वह उस स्थानीय निकाय को करनी पड़ेगी ।

†**श्री हेडा** : आजकल कितने नलकूप चल रहे हैं ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : ४८ नलकूप चल रहे हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : एक मास पहले जब मैंने मंत्रालय का भार लिया था तब ४८ नल कूप चालू थे यद्यपि हमने ३०३ नल कूपों की स्वीकृति दी थी और बनाये थे एवं लगभग २५ लाख रु० व्यय किये थे । प्रश्न की जांच करने पर मुझे बताया गया कि नई दिल्ली नगर पालिका से बिजली लेने में कुछ कठिनाई थी । निर्माण कार्य अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर ने मुझे आश्वासन दिया है कि ये सब नलकूप एक दो मास में चलने लगेंगे । निश्चय ही मैं प्रयास करूंगा कि वे वर्षा आरम्भ होने से पहिले ही चालू हो जायें ।

†**डा० क० ल० राव** : क्या भूमिगत जल की सतह नीची करने के लिए अधिक व्यय पर पानी निकालना बन्द करने के लिए कोई वैकल्पिक अध्ययन किया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : हमने चार पांच दिशाओं में कार्यवाही की है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं जानकारी दे सकता हूं । सेन्ट्रल विस्टा में पोरस नलों की एक लाइन डाली गई है। घासवाले छोटे मैदानों (लॉनों) की सिंचाई के लिए बिना छने पानी के प्रयोग में बचत की जा रही है। लानों और बागों को कम करने का कार्य आरम्भ हो चुका है। वर्षा के जल को शीघ्र निकालने और जमीन में छेद होना रोकने के लिए जमीन के नीचे गली बनाने की एक योजना स्वीकृत हो गई है और कार्य पूरा हो गया है ।

पुर्तगाली राष्ट्रजनों का प्रत्यावर्तन

+

†*७४०. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रोके गये ३०००० पुर्तगाली सैनिकों के प्रत्यावर्तन में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) भारत सरकार ने इन सैनिकों पर अब तक कितना व्यय किया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) पुर्तगाली नजरबन्दियों के प्रत्यावर्तन के बारे में पुर्तगाली सरकार के साथ हुए करार के अन्तर्गत लगभग ४,४०० व्यक्तियों को पुर्तगाली सरकार द्वारा किराये पर लिये गये विमानों में गोआ से कराची ले जाया जा रहा है । विमान से ले जाने का कार्य २ मई को आरम्भ हुआ था और आशा है कि लगभग एक पखवाड़े में पूरा हो जायेगा । १५ मई के प्रातःकाल तक ४,६०५ व्यक्तियों को विमान से ले जाया जा चुका था । पुर्तगाली राष्ट्रजनों को पुर्तगाल ले जाने के लिए पुर्तगाली जहाज कराची में खड़े हैं ।

(ख) लगभग तीन लाख रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार को विदित है कि कुछ पुर्तगाली बस्तियों में भारतीयों की सम्पदा जब्त कर ली गई है ? यदि हां तो उसका क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है । यदि माननीय मंत्री उत्तर देने को तैयार हों, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री दिनेश सिंह** : यह इस प्रश्न से पैदा नहीं होता ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या यह सच है कि करार के भंग होने से कुछ पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय नजरबन्दियों को गोआ में पुर्तगाली नजरबन्दियों के प्रत्यावर्तन के साथ साथ मुक्त नहीं किया जा रहा है ? क्या पुर्तगाली इसे रोक रहे हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : पुर्तगाली बस्तियों मे भारतीयों में मुक्त और गोआ में इन व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन में कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : जहां तक मुझे विदित है, भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसमें उपबन्ध था कि पारस्परिक प्रत्यावर्तन होगा । मैं नहीं जानता कि माननीय उपमंत्री ऐसा क्यों कहते हैं । मैंने पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । वह कुछ भी हो, क्या भारत सरकार ने यह एक शर्त रखी थी कि पुर्तगाली बस्तियों से प्रत्यावर्तित होने वाले हमारे व्यक्तियों को अपना व्यापार समाप्त करने के लिए काफी समय मिलना चाहिये और क्या उन्होंने वह शर्त पूरी की है जो इन पत्रों आदि द्वारा रखी गयी थी ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैंने केवल यह कहा था कि इस प्रश्न को इससे मिलाने का कोई संबंध नहीं है परन्तु पुर्तगाली अपनी बस्तियों में भारतीयों तथा भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को मुक्त कर रहे हैं प्रत्यावर्तन से पहिले अपना व्यापार समाप्त करने के लिए वे उन्हें प्रर्याप्त समय दे रहे हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या मुख्य प्रश्न के बारे में माननीय मंत्री द्वारा दी गई यह जानकारी का संबंध केवल पुर्तगाली सैनिकों से है या इसका संबंध असैनिक व्यक्तियों से भी है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : इसका संबंध पुर्तगाली सैनिकों तथा असैनिकों जैसे सैनिकों की पत्नियों और बच्चों से भी है ।

†**श्री हरिविष्णु कामत** : क्या सभा यह समझे कि सरकार की ओर से गोआ में पुर्तगाली नजरबन्दियों के प्रत्यावर्तन और पुर्तगाली बस्तियों में भारतीय नजर बन्दियों की मुक्ति के मामले में पारस्परिक आदान प्रदान का कोई प्रयत्न नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसका उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ दिन पहिले कहा गया था कि हमारी नीति भिन्न है और हमें उसे नहीं जोड़ना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि गोआ में पुर्तगाली नजरबन्दियों को इस बात के बावजूद प्रत्यावर्तित किया जा रहा है कि भारतीय नजरबन्दियों को मुक्त किया जा रहा है या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, यही नीति बनाई गई है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह लज्जाजनक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है, परन्तु क्या ऐसे कहने से भारतीय को मुक्ति मिलती है ? श्री दी० चं० शर्मा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इससे सरकार पर दवाब पड़ेगा ; मुझे इसका विश्वास है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या पुर्तगाली नजरबन्दियों को कराची से पुर्तगाली विमानों या जहाज़ों द्वारा ले जाया जायेगा और इस पर भारत सरकार कितना व्यय करेगी ?

†**श्री दिनेश सिंह** धन तो अधिकतर उनके खाने पर ही व्यय हो रहा है ।

बेरूबाड़ी

+

†*७४१. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरुबाड़ी में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) स क्षेत्र के हस्तान्तरण से कितने परिवारों के निराश्रित हो जाने की संभावना है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकन करने में देर होने का मुख्य कारण यह है कि पूर्वी पाकिस्तान के अधिका ी यह आश्वासन देने को तैयार नहीं हैं कि भारतीय सर्वेक्षण कर्मचारियों की जब कि वे सर्वेक्षण कार्य के लिए पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में अस्थायी रूप से आयेंगे, तलाशी नहीं ली जायेगी या उन्हें वन्दी नहीं बनाया जायेगा । नवम्बर १९६१ में दरसाना घटना होने के बाद ऐसा आश्वासन पाना आवश्यक समझा जाता है । उस घटना में ो भारतीय सर्वेक्षण अधिकारियों को पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने बन्दी बना लिया था ।

(ग) इसका पता सीमाकंन होने के बाद लगेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : दरसाना में पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों ने जो काग़जात पकड़े हैं क्या वे हमें उनसे वापस मिल गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : वे सब नहीं मिले हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा कि सब वापिस नहीं मिले हैं । वह प्रश्न समझ गई थीं परन्तु उत्तर उनकी समझ में नहीं आया है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या माननीय मंत्री द्वारा बताई गई कठिनाई संयक्त सर्वेक्षण दल रखकर दूर नहीं की जा सकती ? यदि सर्वेक्षण दल एक साथ जायें, तो उनके गोली से मारे जाने या उनके साथ अनुचित व्यवहार किये जाने का क्या कम है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अब तक कि हमें पाकिस्तान सरकार से यह आश्वासन न मिले कि हमारे सर्वेक्षण कर्मचारियों तथा उनके सामान के साथ सर्वेक्षण काल में हरतक्षेप नहीं किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तब तक उन्हें सीमापार भेजना सुरक्षित नहीं है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि अपर्याप्त कारण पर ही हमारे सर्वेक्षण अधिकारियों को पकड़ लिया गया और उन्होंने उनसे उनके कागज आदि छीन लिये। स्वाभाविक है कि हम नहीं चाहते कि यह फिर घटित हो।

†**श्री प्रभात कार** : इस बात को ध्यान में रख कर कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार द्वारा मांगा गया आश्वासन देना अस्वीकार कर दिया है क्या बेरूबाड़ी के हस्तांतर परण पुनः विचार किया जायेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : प्रश्न पर पुनः विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बात पर सहमति हो गई है। हाल में भूमि रिकार्डों और सर्वेक्षणों के निदेशकों की एक बैठक हुई थी और आशा है कि आगामी फसल के समय सीमाकंन का कार्य पूरा हो जायेगा ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस क्षेत्र की सर्वेक्षण वार्ता किस स्तर पर हो रही है, क्या यह सब पत्रव्यवहार द्वारा हो रही है या पूर्वी पाकिस्तान के उप-आयुक्त जैसे अधिकारियों और भारत के तदनुरूप अधिकारियों के बीच हो रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पश्चिम बंगाल के भूमि रिकार्डों तथा सर्वेक्षण के निदेशक और पूर्वी पाकिस्तान में उनके तदनुरूपी अधिकारी आपस म मिले थे—मेरा ख्याल है कि उनकी अन्तिम बैठक २९ नवम्बर १९६१ को हुई थी – और उन्होंने नीति निर्धारित कर ली है। हम केवल आश्वासन चाहते हैं ताकि हमारे व्यक्तियों के साथ जब कि वे सर्वेक्षण कार्य में ग्रस्त हों हस्तक्षेप न किया जाये।

†**श्री त्यागी** : क्या इन क्षेत्रों का यथार्थ हस्तान्तररण हो गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सीमांकन न होने तक यथार्थ हस्तांतरण नहीं हो सकता।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि अनेक परिवार जिन्हें वहां से हटाना है जिला जलपायीगुरि आ गये हैं और यदि हां तो उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं नहीं जानती कि वे बेरुबाड़ी संघ संख्या १२ से गये हैं। परंतु हमने परिवारों की संख्या और हटने वाले परिवारों की संख्या तथा उनके पुनर्वास का सर्वेक्षण किया है जिसका आयोजन सरकार को करना चाहिये। इन सब का ध्यान रखा जा रहा है और लागू किया जा रहा है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस कार्य के महत्व को ध्यान में रख कर, क्या भारत सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण दल बनाया जाना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सीमाकंन रेखा सर्वेक्षण कार्य से निर्धारित होती है या भूमि पर सीमांकन सर्वेक्षण-कार्य से पहिले होता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं प्रश्न नहीं समझती। सीमाकंन तो सर्वेक्षण कार्य का परिणाम होगा कि सीमाकंन के परिणामस्वरूप सर्वेक्षण हो।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कुल कितने परिवारों को वहां से हटाया जायेगा और क्या उन का पुनर्वास केन्द्रीय सरकार करेगी या राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार मिलकर करेंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन प्रश्नों पर पहिले ही चर्चा हो चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० मो० बनर्जी : परिवारों की कुल संख्या के बारे में नहीं ।

†अध्यक्ष महोदय : ये प्रश्न पूछे गये थे और इनका उत्तर दिया गया था । संभवतः विस्थापित होने वाले परिवार और उनके पुनर्वास के लिए किये जाने वाले प्रबंध का उत्तर दिया गया था अगला प्रश्न ।

दिल्ली में मकान बनाने के सामान का मूल्य

+

†*७४२. { श्री शिवचरण गुप्त :
श्री नाथ पाई :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मकान बनाने के सामान का अभाव है और सामान बहुत महंगा है और राजधानी में मकान बनाने वाले लोगों को यह सामान प्राप्त करने में कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ; और

(ग) यदि मकान बनाने के सामान के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है तो क्या सरकार का इस सामान के मूल्य निर्धारित करने का इरादा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव)**: (क) से (ग). इमारती सामान का मूल्य कुछ बढ़ गया है और उनमें से कुछ उपलब्ध नहीं है ?

सीमेंन्ट तथा लोहा व इस्पात की कुछ किस्मों का वितरण तथा मूल्य सरकार नियंत्रित करती है। दिल्ली में मूल्यों और ईंटों का वितरण पर भी नियंत्रण है। तख्ता तथा सामान के मूल्य या वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

†**श्री शिवचरण गुप्त** : क्या सरकार ने वर्ष १९६२ और १९६३ के लिए सरकारी तथा अर्ध-सरकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं का मिर्धारण किया है और क्या यह सुनिश्चित किया है कि इमारती सामान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: ये वस्तुयें कम उपलब्ध हैं । दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहा है । मैं नहीं समझता कि वे सारी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं ।

†**श्री अन्सार हरवानी**: क्या सरकार को विदित है कि इमारती सामान के कम मात्रा में उपलब्ध होने पर भी, बड़े बड़े बस्ती-निर्माताओं के लिए सामान की कोई कमी नहीं है और केवल छोटी इमारत के निर्माण के लिए यह नहीं मिलता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहिले हमें कम उपलब्धि लेने दीजिये ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह जानने के लिए कोई निर्धारण किया गया है कि उन अर्ध-सरकारी और सरकारी संगठनों की क्या आवश्यकतायें हैं जो भविष्य में अपनी इमारतें बनायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वैसा ही प्रश्न है जैसा कि श्री शिवचरण गुप्त ने पूछा था।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

कर्मचारी प्रबन्ध सम्बन्धी परामर्शदात्री सेवा

+

†*७४३. { **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के एक प्रमुख कर्मचारीवर्ग अधिकारी द्वारा 'इकानामिक टाइम्स,' के २३ मार्च, १६६२ के अंक में दिये गये इस सुझाव की ओर कि, "केन्द्र में एक कर्मचारी प्रबन्ध सम्बन्धी परामर्शदात्री सेवा होनी चाहिये", गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). हां इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए हाल में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से एक विदेशी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गई थी। आशा है कि विशेषज्ञ की रिपोर्ट जल्द ही प्राप्त होगी। उसके बाद मामले पर विचार किया किया जायेगा ।

†**श्री वारियर** : क्या प्रबन्धकों के मत ले लिये गये हैं ?

†**श्री हाथी** : हमें अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। हम रिपोर्ट पाने पर उस पर विचार करेंगे ।

†**श्री वारियर** : भारत में उक्त विशेषज्ञ का परामर्श सरकार को कितने समय से प्राप्त हुआ है ?

†**श्री हाथी** : विशेषज्ञ सितम्बर, १६६१ में भारत आया था और उसने मार्च, १६६२ के मध्य तक अपना कार्य समाप्त कर दिया। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार की यह इच्छा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर एक किस्म की कोई संस्था या निकाय बना दिया जायेगा जो व्यक्तियों को प्रबन्ध संबंधी प्रशिक्षण देगा ?

†**श्री हाथी** : विचार यह है कि मूल्यांकन और कार्यान्विति के केन्द्रीय डिवीज़न के साथ इस सैल को भी जोड़ दिया जाये ।

†**श्री वारियर** : क्या यह सच नहीं है कि कुछ समय पहिले श्रम सम्मेलन में एक संकल्प स्वीकृत हुआ था जिसमें यही भाव था ?

†**श्री हाथी** : यह कार्यवाही करने की बात तो पिछले २,३ वर्ष से ध्यान में है। हम चाहते थे कि विशेषज्ञ अध्ययन करें और हमें सलाह दे कि इसका क्या रूप हो। अतः हमने विशेषज्ञ की सेवायें मांगी थीं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं यह जानना चाहता था कि जो विदेशी एक एक्सपर्ट आ रहे हैं उनको भारतीय श्रम और रोजगार का भी ज्ञान है ताकि वह हमको इस बारे में सलाह दे सकें।

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य ने जिस लेख का उल्लेख किया हैं, वह ब्रिटेन में एक संगठन का उल्लेख करता है। वहां यह सफल रहा है अर्थात प्रबन्ध और श्रमिकों तथा मालिकों में अच्छे संबंध

---

†मूल अंग्रेजी में

है। जो विशेषज्ञ यहां आये थे, वह उसी संगठन के उप-सभापति है। हमारा विचार था कि कम से कम कर्मचारियों के संबंध तो समान होते हैं।

पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर

*७४४. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों को तोड़कर नये सिरे से बनाने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार किया जाता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) वहां इस समय चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी निवास करते हैं, उनके निवास तथा उनके बच्चों की शिक्षा आदि के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) हां, क्योंकि ये क्वार्टर पुराने हैं और काफी खर्च किये बिना इनकी मरम्मत नहीं की जा सकती।

(ख) उनको ढहा देने और उनकी जगह नये कवार्टर बनाने का।

(ग) जो क्वार्टर ढहाये जायेंगे, उनके निवासियों को रामकृष्णपुरम् में नये क्वार्टरों में स्थानान्तरित कर देने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में यथाशीघ्र विद्यालयों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है। नियतभागी (अलौटी) पास पड़ोस की बस्तियों में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का भी उपयोग कर सकेंगे।

†**श्री भक्त दर्शन** : यह प्रश्न दो वर्ष से चल रहा है। उपमंत्री जी ने अभी कहा है कि यथाशीघ्र निश्चय किया जायेगा। 'यथाशीघ्र' का क्या अर्थ है ?

†**श्री जगन्नाथ राव** : एक या दो मास में।

†**निमाण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: इस क्षेत्र में लगभग १००० से ११०० तक व्यक्ति रहते हैं। इन क्वार्टरों का पुर्ननिमाण करने का विचार है। हमारे सामने दो रास्ते हैं, अर्थात या तो सारे ११०० व्यक्तियों से रामकृष्णपुरम जाने को कहें जहां उन्हें तत्काल आवास दिया जा सकता है, और या उनसे अपना कुछ क्षेत्र, लगभग ५० प्रतिशत स्थान देने को कहें जिसपर हम निर्माण कार्य आरम्भ कर सकते हैं। मैं ने क्वार्टर वालों को दोनों बातें बता दी हैं और उनसे कह दिया है कि वे मुझे एक सप्ताह में उत्तर दे दें। यदि व रामकृष्णापुरम जाने को तैयार हैं, तो मैं सभी जगह पर तत्काल निर्माण-कार्य आरम्भ कर सकता हूं। यदि वे वहां रहना चाहते हैं और क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो वे आपस में मिल कर रह सकते हैं। मैं निर्माण कार्य के लिये आधी जगह चाहता हूं। इन क्वार्टरों वालों का अन्तिम निश्चय मुझे एक सप्ताह या दस दिन में या पन्द्रह दिन में विदित हो जायेगा। उसके बाद हम निर्माण-कार्य आरम्भ कर देगें।

खादी तथा अम्बर चरखा कार्यक्रम

*७४५. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९५४ से अप्रैल, १९६२ तक की अवधि में गांवों में बढ़ती हुई बेरोजगारी को खादी तथा अम्बर चरखा कार्यक्रम लागू करके रोका गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस का राज्यवार विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अभी यह कार्य मन्थर गति से चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४३]**

(ग) जी हां।

(घ) खादी संस्थाओं के पास स्टाक जमा हो जाने के कारण उन्होंने अपने विस्तार कार्यक्रम को धीमा कर दिया है।

श्री बाल्मीकी : जो विवरण मेरे हाथ में है, उस से यह प्रतीत होता है कि अभी तक बहुत कम लोगों को काम मिला है, फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार लोगों की क्या संख्या है और इस प्रोग्राम से कितने प्रतिशत लोगों को काम मिला है।

श्री कानूनगो : यह संख्या तो मेरे पास नहीं है। मुल्क में काफ़ी लोग बेकार हैं और इसी लिये यह चर्चा हो रही है कि इस काम को तेजी से बढ़ाया जाये और इस के साथ ही दूसरे उद्योगों का भी इन्तज़ाम किया जाये।

श्री बाल्मीकी : चूंकि यह एक बहुत आवश्यक कार्य है, जिस से ग़रीबों को फ़ायदा पहुंच सकता है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भूमिहीनों को, लैंडलेस लैबरर्ज़ को इस प्रोग्राम के द्वारा कहां तक कवर किया जा रहा है।

श्री कानूनगो : इस काम में सब से ग़रीब आदमी हो आते हैं। जिनको दूसरी जगह ज्यादा मज़दूरी मिलती है, वे इस में नहीं आते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विवरण से पता चलता है कि आन्ध्र प्रदेश और बिहार में काफी लोगों को रोज़गार मिला जब कि आसाम, केरल और मैसूर जैसे राज्यों में बहुत कम लोगों को रोज़गार मिला। क्या इसका कारण यह है कि इन राज्यों के लोग इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित नहीं हुए और सरकार ने उन्हें आकर्षित करने के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये ?

†**श्री कानूनगो** : ज़ाहिर है कि उन क्षेत्रों में अधिक अच्छे वेतन के रोज़गार के अवसर उपलब्ध हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह बात तो बिलकुल जंचती नहीं।

†**श्री का० रा० गुप्त** : अम्बर चर्खे पर सूत कातने वालों की तथा खादी के बुनकरों की औसत आय कितनी है ?

†**श्री कानूनगो** : प्रत्येक केन्द्र में अलग अलग आय होती है किन्तु मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वह १ रुपये ८० पैसे है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने बताया है कि इस कार्यक्रम से कई लोगों का रोजगार मिला है। यदि ऐसी बात है तो कार्यक्रम को तेज़ी से क्यों बढ़ाया नहीं गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

†श्री भागवत झा आजाद : जी, नहीं। मंत्री महोदय ने कहा है कि कार्यक्रम में तेज़ी नहीं लाई जा रही है । जब इससे इतने लोगों को रोज़गार मिला है तो इसे तेज़ी से क्यों बढ़ाया नहीं जा रहा है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ध्यान से देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि उनके प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। चूंकि बड़े स्टाक जमा हो गये थे इसलिये कार्य को धीमा करना पड़ा ।

†श्री द्वा० ना० तिवारी : माननीय मंत्री ने कहा कि कार्यक्रम को धीमा कर दिया गया है तथा अन्य रोजगारों के बारे में सोचा जा रहा है। ये अन्य रोजगार क्या हैं ?

†श्री कानूनगो : जी, नहीं। इसमें अन्य रोजगार जैसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि कार्यक्रम में उत्पादन और बिक्री शामिल है। चूंकि मांग घट रही है इसलिये बिक्री कम हो गयी है। मांग को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दूसरी बात जो मैंने कही है वह सघन क्षेत्र कार्यक्रम की है जिसमें खादी के अलावा अन्य कार्य आरम्भ किये जायेंगे ।

†श्री वेंकटा सुब्बया : क्या यह सच है कि कार्य की धीमी गति का कारण यह है कि खादी आयोग ने जिला समितियों के जरिये विकेन्द्रीकरण करके खादी कार्य को कार्यान्वित करने की जो योजना बनाई है उसे राज्य सरकारें पसन्द नहीं करतीं .....

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं और निष्कर्ष निकाल रहे हैं। उन्हें सीधा प्रश्न पूछना चाहिये ।

†श्री वेंकटा सुब्बया : क्या यह सच है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विकेन्द्रीकरण की जो योजना बनाई है उसे कई राज्य सरकारें पसन्द नहीं करतीं और यही कारण है कि काम की गति धीमी है ?

†श्री कानूनगो: जी, नहीं। राज्य सरकारें बहुत सतर्क हैं और विकेन्द्रीकरण का कार्य वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से हुआ है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : अम्बर चर्खे के बारे में सरकार की जो योजना थी, वह कैसी चल रही है ?

श्री कानूनगो : अम्बर चर्खे के बारे में तो बताया है ।

†श्रीमती सरोजिनी महिषी : क्या सरकार को ज्ञात है कि एक आदमी दिन में आठ घण्टे काम करने के बाद केवल आठ आने कमा पाता है ?

†श्री कानूनगो : जी, नहीं। यदि परिश्रम से काम लिया जाये तो डेढ़ रुपया कमाया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अफ्रीका में गैर-अफ्रीकी रेलवे कर्मचारी

*७४६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १२ फरवरी, १९६२ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि रेलवे यूनियन ने नौकरी से निकाल देने के लिये गैर-अफ्रीकी रेलवे कर्मचारियों की, जिसमें भारतीय शामिल हैं, एक सूची तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अफ्रीका के रेलवे अधिकारियों ने इस सूची में शामिल किये गये गैर-अफ्रीकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने की यूनियन की मांग स्वीकार कर ली है ;

(ग) नौकरी से निकाल देने की इस योजना से कितने भारतीय प्रभावित होंगे ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) ईस्ट अफ्रीकन रेलवेज़ एन्ड हार्बर्ज़ मैनेजमेंट ने सम्बन्धित सरकारों के समर्थन से इस मांग की भर्त्सना की है और रेलवे यूनियन के सुझाव पर कोई भी कार्यवाही करने से इन्कार कर दिया है।

(ग) पता चला है कि इस सूची में एशियाई मूल के २५ व्यक्तियों के नाम हैं।

(घ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

†**श्री प्र० चं बरुआ :** जिन गैर-अफ्रीकी लोगों को नौकरी से निकाल देने का प्रस्ताव किया गया था उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अधिकारियों ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है तो इन सब बातों में जाने से क्या लाभ है ?

शुद्ध मापक यंत्र कारखाना

†*७४८. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल के लिये निर्धारित शुद्ध मापक यंत्र कारखाने की स्थापना के स्थान के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कौनसा स्थान चुना गया है ; और

(ग) परियोजना की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

एक दल ने, जिसमें एक सोवियत विशेषज्ञ भी था, राज्य सरकार द्वारा बताये गये स्थानों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिये उन विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। स्थान का अन्तिम चुनाव विचाराधीन है।

सोवियत अधिकारियों ने उत्पादन का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है जो इस कार्य के लिये नियुक्त प्रविधिक समिति के विचाराधीन है।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या राज्य सरकार ने स्थान तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो उसने क्या सिफारिश की है?

†**श्री कानूनगो :** राज्य सरकार ने पालघाट में तथा पालघाट के आस पास के कई स्थानों की सिफारिश की है।

†**श्री अ० क० गोपालन :** स्थान का अन्तिम चुनाव करने में कितना समय लगेगा?

†**श्री कानूनगो :** यह स्थान के चुनाव का ही प्रश्न नहीं जोकि वह महत्वपूर्ण अवश्य है। किन्तु पूरी परियोजना बनानी पड़ेगी।

†**श्री मे० क० कुमारन :** विवरण में कहा गया है कि "सोवियत अधिकारियों ने उत्पादन का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है जो इस कार्य के लिये नियुक्त प्रविधिक समिति के विचाराधीन है।" किन्तु वित्त मंत्रालय द्वारा बाहरी सहायता के बारे में प्रकाशित एक पैम्फलेट में कहा गया है कि केरल का संयंत्र मशीनी और अन्य किस्म के औज़ार बनायेगा। क्या उत्पादन की वस्तुओं में कोई अन्तर अपेक्षित है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

†**श्री कानूनगो :** उत्पादन के मुख्य तरीके और परियोजना का प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं है। इसलिये उसी में अन्तर होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री मे० क० कुमारन :** मैंने वित्त मंत्रालय के एक पैम्फलेट में प्रकाशित तथ्यों का उल्लेख किया है। उसमें कहा गया है कि यह तय हो चुका है जब कि मंत्री महोदय कहते हैं कि यह अभी तय नहीं हुआ है।

†**श्री कानूनगो :** मैंने यह तो नहीं कहा कि उसमें कोई परिवर्तन होगा। मैंने इतना ही कहा है कि परियोजना का प्रतिवेदन तैयार किया जाना है।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का कथन है कि मंत्री महोदय के अनुसार परियोजना का प्रतिवेदन तैयार नहीं है और इसलिये कौन से औज़ार बनाये जायेंगे यह निर्णय नहीं किया गया है। किन्तु माननीय सदस्य ने वित्त मंत्रालय के एक प्रतिवेदन का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि कौन से औज़ार बनाये जायेंगे यह निर्णय कर दिया गया है। इसलिये ये दो वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं।

†**श्री कानूनगो :** मैंने अपने उत्तर में कहा है कि श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। किन्तु किस श्रेणी का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाय यह परियोजना के प्रतिवेदन के तैयार होने पर ही पता चलेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री **वारियर :** सोवियत अधिकारियों ने उत्पादन का जो ब्यौरा प्रस्तुत किया है वह क्या है ?

†श्री **काननगो :** मेरे पास विभिन्न मदों की सूची नहीं है ।

फिल्म व्यापार प्रतिनिधि मंडल

†*७४९. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार की स्थिति का अध्ययन करने के लिये विदेशों में एक फिल्म व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधि मंडल का किन किन देशों का दौरा करने का विचार है ;

(ग) क्या इस प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम तय किये जा चुके हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) से (घ). सरकार पश्चिम एशिया को एक सद्भावना फिल्म व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है । इस सम्बन्ध में फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया के परामर्श से ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सरकार फिल्म प्रतिनिधि मंडल भेजने का इरादा रखती है ? इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ? किन देशों में भारतीय फिल्में लोकप्रिय हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** पश्चिम एशिया, तेहरान, बगदाद, अमान, डेमास्कस, बैरुत, अंकारा, काहिरा और खार्टूम ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या इन देशों को कोई फिल्म भेजी गई हैं और यदि हां, तो किस प्रकार की ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** इन देशों को कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा गया ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें किस प्रकार की फिल्मों में दिलचस्पी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जब प्रतिनिधि मंडल जायेगा तो इस बात का पता लग जायेगा ।

निर्यात व्यापार के लिये बोर्ड

\+
†*७५०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये एक बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) क्या ब्रिटेन में व्यापार बोर्ड (बोर्ड आफ ट्रेड) की तरह एक बोर्ड बनाने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वह संभवतः कब तक स्थापित किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). मैंने शुक्रवार, ११ मई, १९६२ को सभा पटल पर एक विवरण रखा है जिसमें यह सारा ब्यौरा दिया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** बोर्ड आफ ट्रेड में कौन व्यक्ति रहेंगे क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : छः गैर-सरकारी सदस्यों के बारे में अन्तिम निर्णय किया जाना है । शेष के नाम विवरण में हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** ये छः सदस्य किस श्रेणी में आते हैं ? क्या ये व्यापार या उद्योग या प्रबन्ध या कर्मचारी प्रबन्ध के क्षेत्र से लिये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह भी विवरण में दिया गया है। ये क्षेत्र हैं व्यापार, उद्योग, अर्थशास्त्री और अन्य क्षेत्र । और श्रेणियां हो सकती हैं। जहां तक सम्भव है हम इन छः सदस्यों का चुनाव करते समय प्रतिभाशाली व्यक्तियों को लेंगे ।

†**श्री महेश्वर नायक :** राज्य व्यापार निगम को निर्यात सम्वर्द्धन का कार्य सौंपा गया है तो व्यापार बोर्ड को क्या विशेष कार्य सौंपा गया है तथा उसे क्या शक्तियां होंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** दोनों भिन्न हैं। व्यापार बोर्ड एक सलाहकार बोर्ड है जो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित सभी आन्तरिक व बाह्य समस्याओं तथा मामलों के बारे में कार्यवाही करेगा। राज्य व्यापार निगम कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक कम्पनी है जिसे वस्तुओं, उभयपक्षीय करारों और निर्यात सम्वर्द्धन के बारे में विशिष्ट कार्य करना पड़ता है ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या इस व्यापार बोर्ड में संसद् सदस्य नामजद किये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस सम्बन्ध में हां या नहीं कहना चाहता किन्तु उन्हें रखने या न रखने की कोई शर्त नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** जबकि निर्यात सम्वर्द्धन के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये कोई सलाहकार निकाय है तो इस बोर्ड को गठित करने की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह बात निर्देश पदों में स्पष्ट की गई है । निर्यात के बारे में जितने भी निकाय हैं वे अपर्याप्त हैं क्योंकि वे सभी एक विशिष्ट कार्य करते हैं जबकि यह कोई आन्तरिक विकास बाह्य व्यापार, किस्म के नियंत्रण की दीर्घकालीन नीति, व्यापार के आधार सिद्धान्त व्यापार प्रथा आदि का परस्पर सम्बन्ध बनाये रखेगा। यदि माननीय सदस्य निर्देश पदों को पढ़ें तो उन्हें ज्ञात होगा कि हम वाणिज्य तथा व्यापार की सम्बन्धित समस्याओं को पहली बार एक साथ लेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री पु० र० पटेल : निर्यात का ७५ प्रतिशत कृषि उत्पाद है इस बात को देखते हुए क्या बोर्ड में किसानों का कोई प्रतिनिधि होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं फिलहाल निश्चित रूप से नहीं कह सकता क्योंकि हर दो वर्ष बाद नये गैर-सरकारी सदस्य आयेंगे । बोर्ड में अधिकाधिक हितों का प्रतिनिधित्व हो सके इस बात की हम कोशिश करेंगे ।

†**श्री हेम बरूआ :** इस बात को देखते हुए कि इस बोर्ड को केवल परामर्श देने का अधिकार होगा और सरकार उस की सिफारिशों को लागू करने के लिये बाध्य नहीं है तो व्यापार बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस बात की विशेष सावधानी रखी गयी है । हम ने ग्रेट ब्रिटेन के बोर्ड आफ ट्रेड की कई बातों का अनुसरण किया है । वहां बोर्ड में पूरे समय काम करने वाले अधिकारी होते हैं जो बोर्ड की उन सभी सिफारिशों को लागू करते हैं जो सरकार ने मान ली हैं और सरकार की नीति के विपरीत नहीं हैं । इसलिये उसे उच्च शक्तियां प्राप्त हैं जिन का प्रयोग कर वह राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करता है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** विवरण में चैम्बर आफ कामर्स और फैडेरेशन आफ इंडियन चेम्बर्स आफ कामर्स जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बोर्ड में रखने की आवश्यकता बताई गयी है । क्या लघु उद्योग के प्रतिनिधियों के बारे में ऐसा कोई विशेष उल्लेख किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** बोर्ड को ठोस होना चाहिये । सभा इस बात से सहमत होगी कि यदि बोर्ड में प्रत्येक बडे या मध्यम उद्योग को प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो बोर्ड बहुत बड़ा होगा । किन्तु हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड आफ ट्रेड में अधिकाधिक विशेषज्ञ रहें । बोर्ड की परामर्शदात्री समितियां भी होंगी जिन में विशेष हितों के प्रतिनिधि रहेंगे और ये समितियां विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान देंगी ।

तटस्थ राष्ट्रों का आर्थिक सम्मेलन

†*७५२. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार से तटस्थ राष्ट्रों के आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने के लिये, जो संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया द्वारा मई, जून १९६२ में आयोजित किया जा रहा है, प्रार्थना की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार उस में भाग लेगी;

(ग) प्रस्तावित सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(घ) उस की कार्य सूची क्या है ;

(ङ) अन्य कौन कौन से देशों द्वारा उसमें भाग लिये जाने की संभावना है; **और**

(च) क्या भारत सरकार तटस्थ राष्ट्रों के बीच आर्थिक सलाह मशिवरे के लिये एक स्थायी 'कामन क्लीयरिंग हाउस' के प्रस्ताव का समर्थन करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ङ). जी, हां। भारत सरकार से प्रार्थना की गई है परन्तु अभी औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। अभी समय, कार्य सूची, नियंत्रित देशों आदि के सम्बन्ध में सम्मेलन के ब्यौरे भी नहीं मिले हैं। हम ने भाग लेने की स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जैसे विकासवान देशों की प्रविधिक, आर्थिक, वर्गीकरण आदि की समान समस्याओं पर विचार करे।

(च) सरकार ऐसा करना आवश्यक नहीं समझती है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या आर्थिक क्षेत्र में इन तटस्थ देशों के बीच सहयोग की सीमा तथा क्षेत्रों की खोज करने का कोई अध्ययन किया गया है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में आर्थिक खंड इस का अध्ययन कर रहा है।

†**श्री हेडा** : क्या इस सम्मेलन में योरोपीय आर्थिक समुदाय बनाने के प्रभावों पर भी विचार होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें कार्यसूची की जानकारी नहीं है। अगला प्रश्न।

सीमेंट मजूरी बोर्ड

\+

†*७५३. **श्री काशी नाथ पांडे** :
श्री मूल चंद दुबे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंन्ट उद्योग के कुछ एककों ने सीमेंट उद्योग से सम्बन्धित मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित न करने वाली मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर ३३ फैक्टरियों में से २३ ने पूरी सिफारिशें लागू कर दी हैं। शेष ने भी सिफारिशों को लागू करना आरम्भ कर दिया है। परन्तु अभी कुछ ब्यौरे तय होने हैं।

(ख) राज्य सरकारें कार्यवाही कर रही हैं जिस से पूर्णतः लागू करने के लिये मतभेदों को दूर कर सकें।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : यह कारखाने इन उपबन्धों को किन कारणों से लागू नहीं कर रही हैं ?

†**श्री हाथी** : २३ ने पूर्णतः लागू कर दिया है, १० ने अंशतः लागू कर दिया है। कर्मचारियों को विभिन्न वेतनक्रमों में रखने के सम्बन्ध में कुछ थोड़े से अन्तर हैं।

†**श्री काशी नाथ पांडे** : इस में कितना समय लगेगा। जिन कारखानों ने इन को लागू कर दिया है, उन को भी ऐसा करना होगा।

†**श्री हाथी** : मैं ने बताया कि २३ कारखानों ने इन को लागू कर दिया है। केवल प्रश्न शेष १० का रह जाता है। थोड़े से समायोजन करने हैं और राज्य सरकारें इस पर ही विचार कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया लागू करने के समय थोड़े से समायोजन का प्रश्न था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्रियान्वयन में कोई अन्तर है अथवा छोटे ब्यौरे के बारे में मालिकों ने कुछ आपत्तियां उठाई हैं।

†**श्री हाथी :** विवाद का प्रश्न कर्मचारियों के वर्गीकरण के बारे में तथा वेतनक्रमों के निर्धारण के बारे में है यही मुख्य मतभेद हमें मालूम हुए हैं।

†**श्री काशी नाथ पांडे :** प्रत्येक कारखाने में काम के भार की जांच के बाद दूसरे क्रम में दी जाने वाली मजूरी के शेष भाग के भुगतान के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हाथी :** जिन क्षेत्रों का अध्ययन किया था उन की सभी की रिपोर्टें हमें नहीं मिली हैं।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** जिन कारखानों मे इन को अभी लागू नहीं किया है क्या वह इन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करेंगी ?

†**श्री हाथी :** ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने इन्हें लागू नहीं किया है। दस ने अंशतः लागू किया है। मैं समझता हूं कि वह इसको भूतलक्षी प्रभाव देंगे।

†**डा० क० ल० राव :** बढ़ी हुई श्रमिक मजूरी के अनुसार ही सीमेंट बनाने में दक्षता बनाये रखने के तरीकों के बारे में सलाह देने के लिए एक प्रविधिक समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है अथवा उसने नियुक्त कर दी है ?

†**श्री हाथी :** मजूरी बोर्ड की यह सिफारिश है कि इस पर विचार किया जायें कि मज़दूर की उचित मजूरी क्या होनी चाहिए। यह प्रश्न भी मज़दूरों की मजूरी निर्धारित करने के निर्णयों की क्रियान्विति के संबंध में है।

†**श्री वाजी :** किन कारखानों ने मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया है ?

†**श्री हाथी :** दस हैं। क्या सभी के नाम बताऊं।

†**अध्यक्ष महोदय :** नाम बताने की जरूरत नहीं है।

†**श्री हाथी :** बिहार में ५, गुजरात में १, मद्रास में १, पंजाब में १, राजस्थान में १ तथा उत्तर प्रदेश में १।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा) क्षेत्र में शिक्षा का स्तर

†*७५५. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा) क्षेत्र में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण क्षेत्र में १९५८ से १९६० तक देवनागरी लिपि चालू की गयी थी और १९६० के बाद अब फिर असमिया लिपि चालू कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस के क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शैक्षिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (ख) नेफा में शिक्षा सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय दो स्कूल तथा २० विद्यार्थी थे परन्तु अब १६१ स्कूल और ७००० से भी अधिक विद्यार्थी हो गये हैं।

(ख) और (ग). १९५४ मे सरकार ने यह निर्णय किया था कि जहां तक संभव हो वहां तक ऐजेन्सी के स्कूलों में अध्यापन मातृभाषा में हो और उसके बाद देवनागरी लिपि में हिन्दी में हो। १९५९ में इस नीति पर पुर्नविलोकन किया गया था। उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण का मेल जोल मुख्यतः आसाम से है। नेफा के अधिकांश विद्यार्थी ऊंची शिक्षा के लिए गोहाटी विश्व-विद्यालय में ही जाते हैं। नेफा में अधिकांशतः अध्यापक आसाम के निवासी हैं। इन सभी बातों पर विचार करके यह तय किया कि प्रारंभिक कक्षाओं में देवनागरी लिपि में आदिम जातियों की भाषा में शिक्षा मिले तथा बाद में गणित, विज्ञान के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों का शिक्षा का माध्यम आसामी में हो। १, ३, तथा ४ कक्षाओं में विषय क्रमशः आसामी, हिन्दी, तथा अंग्रेज़ी है।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या सरकार ने कोई निश्चित निर्णय कर लिया है कि नेफा में कौन सी लिपि है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने अभी बताया कि १९५९ में नीति का पुर्नविलोकन किया गया था जिस आदिम जाति भाषा की कोई लिपि नहीं है उसकी देवनागरी लिपि होगी।

†**श्री रिशांग किशिंग** : यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या लिपि का परिवर्तन जनता की इच्छानुसार किया गया है?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने बताया कि शिक्षा माध्यम की पूरी नीति का पुनः विलोकन किया गया था। उन क्षेत्रों के लोगों ने देवनागरी में हिन्दी सीखने की इच्छा व्यक्त की है क्योंकि वह आसाम से बहुत दूर है। उन लोगों को छोड़कर शेष स्थानों का शिक्षा का माध्यम आसामी ही रखा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ऐसा जनता की इच्छानुसार किया गया है? क्या जनता की सलाह ली गई थी?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने बताया कि जहां पर लोगों ने किसी विशेष लिपि के बारे में इच्छा जाहिर की उनको वही लिपि दी गई।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि तीन भाषा का सिद्धान्त जो अब तक अन्य राज्यों में लागू नहीं किया गया था नेफा में लागू कर दिया गया है और क्या उन आदिम जाति के लोगों जिन्होंने लिखना पढ़ना अभी सीखा है भार स्वरूप नहीं होगा?

†**ध्यक्ष महोदय** : यह अपनी अपनी राय है।

दण्डकारण्य परियोजना

†*७५६. **श्री महेश्वर नायक** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना के विकास के लिये एक पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी है और अभी उस पर चर्चा हो रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) पंचवर्षीय योजना पूरी करने में कुल कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) से (ग). दन कारण्म प्रशासन में तीसरी योजनावधि के शेष वर्षों का योजना प्रारूप बनाया है जिस पर २६,२७ अप्रैल १९६२ को नई दिल्ली में दन्ड कारण्य विकास प्राधिकार की २३वीं बैठक में विचार किया गया था । यह योजना केवल द डकारण्य में किसानों के परिवारों को बसाने के लिए भूमि के सुधार के लिए था । चर्चा के बाद यह निर्णय किया गया कि परियोजना प्रशासन को औद्योगिक तथा क्षेत्र के सामान्य विकास के कार्यक्रम को चलाने के लिए विस्तृत योजना बनानी चाहिए ।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या मुख्य योजना के उपबन्ध केन्द्रीय योजना से भिन्न है अथवा एक दूसरे के आड़े आते हैं ?

†**श्री जगन्नाथ राव :** आड़े आने का प्रश्न ही नहीं उठता है । इस क्षेत्र के विकास की एक निश्चित योजना है । आपकी अनुमति से मैं योजना का ब्योरा बताता हूं । योजना का ब्योरा निम्न है—:

(१) विस्थापित व्यक्तियों के ९,००० परिवारों का तथा आदिम जातियों के ३००० परिवारों का पुनर्वास ;

(२) लगभग १, ६०,००० एकड़ भूमि का कृष्यकरण ;

(३) लगभग १५० गांवों का निर्माण ;

(४) लगभग १७५ लाख रुपये के व्यय से सड़कों का निर्माण तथा मरम्मत ;

(५) लगभग ६८१ लाख रुपये की लागत के लघु तथा मध्यम सिंचाई कार्यों का निर्माण;

(६) वोधक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना ;

(७) परिवहन, उपभोग वस्तुओं तथा डेरी सहकारी समितियों और बहुप्रयोजनीय फार्मों की स्थापना ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का प्रश्न था कि योजना के उपबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत ही थे अथवा वह एक दूसरे के आड़े आते थे । परन्तु माननीय सदस्य ने सभी बताना शुरु कर दिया और अब माननीय सदस्य को मालूम करना होगा कि कोई अन्तर है अथवा नहीं ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** श्रीमान्, योजना दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने योजना बनाई थी क्योंकि उसको काफी स्वायत्तत्व प्राप्त है । योजना पर डी० डी० ए० के प्रशासनिक बोर्ड ने पुनः विचार किया । इस बोर्ड की बैठक के समय पश्चिम बंगाल, केन्द्रीय सरकार, सभापति तथा प्रशासक मौजूद थे । हमें डी० डी० ए० पर कोई योजना नहीं थोपनी चाहिए ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह योजना पश्चिम बंगाल, आंध्र तथा उड़ीसा राज्य सरकारों अथवा डी० डी० ए० के परामर्श से बनाई गई थी अथवा बनाई जा रही है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** डी० डी० ए० में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के मुख्य सचिव हैं इस प्रकार इन राज्यों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है । इन दोनों राज्यों को भूमि देनी है और पश्चिम बंगाल सरकार को शिविरों के भूतपूर्व निवासियों को भेजना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक :** क्योंकि राज्य सरकारों को योजना बनाने का काम सौंपा गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि योजना की क्रियान्विति में राज्य सरकारों की कितनी भलाई मानी जा रही है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** एक ही बोर्ड के सब सदस्य हैं। सभी सदस्य मिलकर बैठक करते हैं और अब तक मैंने एक भी विमति टिप्पण नहीं देखा है।

†**डा० रानेन सेन :** क्या पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि ने डी० डी० ए० परियोजना पर केन्द्रीय सरकार के सुझावों को स्वीकार कर लिया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** श्री सुकुमार सेन के सभा पतित्व में एक बोर्ड बनाया गया है यह बोर्ड प्रस्ताव बनाता है और निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में भारत सरकार की स्वीकृति के लिए उन प्रस्तावों को भेजता है।

भारत सरकार मुद्रणालय, नयी दिल्ली में प्रोत्साहन बोनस योजना

†*७५७. **श्री नम्बियार :** क्या निर्माण, **आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मुद्रणालय, नयी दिल्ली में प्रोत्साहन बोनस देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का व्योरा क्या है;

(ग) क्या सभी श्रेणियां के कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो कौन कौन सी श्रेणियां इस योजना से बाहर रखी गयी हैं और उसका कारण क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४]**

†**श्री नम्बियार :** यहां जो उत्तर दिया गया है, उस में कहा गया है कि कर्मचारियों के वेतनों से दो नये पैसे प्रति रुपये की दर से कटौती की जायेगी, यदि काम होगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह मापदंड निर्धारित करते समय सरकारी प्रेस के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से सलाह ली गई थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** मैं इस प्रश्न का बिना तैयारी उत्तर देने में असमर्थ हूं। किन्तु जब हम पांच नये पैसे का प्रोत्साहन बोनस देते हैं, यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं है, और हम दो नये पैसे काटते हैं तो, मैं नहीं समझता कि हम कोई कष्ट उत्पन्न कर रहे हैं।

†**श्री नम्बियार :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मापदंड पहले ही तैयार किया जा चुका है, मेरा प्रश्न यह था कि क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर यह था कि वह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

†**श्री नम्बियार** : क्या सरकार प्रस्तावित प्रोत्साहन बोनस योजना लागू करने के कारण कर्मचारियों की संख्या घटाने का विचार करती है?

†**श्री मेहर चन्द्र खन्ना** : मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं जिस में शोधन की गुंजाइश हो सकती है। समूचे भारत में हमारे कई प्रेस हैं और उनकी संख्या एक दर्जन के लगभग है। मैं समझता हूं कि स्थिति यह है कि हमें अपनी मांग पूरी करने के लिये गैर-सरकारी प्रेसों के पास जाना पड़ता है। जब मैं पूरी मांग पूरी नहीं कर सकता, काम करने वाले लोगों की संख्या कम करने का कोई सवाल पैदा नहीं हो सकता।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि विभिन्न कामों के निश्चित निम्नतम उत्पादन पर आग्रह किया जाता है। क्या सभा यह समझे कि हमेशा निश्चित निम्नतम पर आग्रह नहीं किया जाता किन्तु अभी हाल ही से किया जाने लगा है जब अकुशलता और सुस्ती बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ी हुई दिखाई दी, और यदि हां, तो कब से?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि सूचना दी जाये तो मैं निश्चय ही यह हालत का पता लगाऊंगा। किन्तु यदि हम अकुशलता पर आग्रह करें, तो मैं नहीं समझता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि क्या यह निम्नतम उस समय निश्चित किया गया था जब प्रोत्साहन योजना लागू की गई थी अथवा क्या यह पहले से ही है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : प्रोत्साहन योजना कुछ समय पूर्व जारी की गई थी और कुछ माप-दण्ड रखा गया है। उसके अलावा, मैं कोई सूचना देने में असमर्थ हूं।

†**श्री भगवत झा आजाद** : विवरण में मैं देखता हूं कि १३५ श्रेणियों में से केवल एक दर्जन ली गई हैं। क्या अन्यों के काम का ठीक से पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि अन्य श्रणियों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सके?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे दी गई सूचना के अनुसार, अन्य श्रेणियों का काम एक माप-दंड के द्वारा नहीं आंका जा सकता ताकि प्रोत्साहन बोनस दिया जा सके।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : कर्मचारियों को बोनस के रूप में कितना धन दिया गया है और पिछले दो महीनों में कितनी कटौती की गई है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : यदि सूचना दी जाये, तो मैं अवश्य सूचना दूंगा।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या माननीय मंत्री हमें कुछ बता सकते हैं कि निश्चित काम की दर के आधार पर और निश्चित समय दर के आधार पर प्रेसों में किस अनुपात में काम किया जाता है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं सभा को केवल यही सूचना दे सकता हूं —मैं शोधन की गुंजाइश के साथ बोल रहा हूं—लगभग २५ प्रतिशत काम गैर-सरकारी प्रेसों के द्वारा किया जाता है। अतः हम ७५ प्रतिशत तक मांग पूरी कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** मेरा प्रश्न निश्चित् समय पर तथा निश्चित काम पर के आधार पर किये जाने वाले काम का अनुपात जानना चाहता हूं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** किस विशिष्ट श्रेणी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है यह जाने बिना मैं कैसे उत्तर दे सकता हूं ?

†**श्री वारियर :** १३५ श्रेणियों में से कितने कर्मचारियों पर इस प्रोत्साहन योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिस में से दस श्रेणियों के मामले में ही यह कार्यान्वित की गई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना ।** मैं ने यह कहा है कि कुछ श्रेणियां स्पष्ट कारणों से बोनस योजना में शामिल की गई हैं कि उनका काम एक माप दंड के द्वारा आंका जा सकता है ।

†**श्री काशी नाथ पांडे :** क्या यह सही है कि कार्मिक संघ ने सरकार को एक अभ्यावेदन पेश किया है कि माप दन्ड निश्चित् करने से पूर्व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कभी सलाह नहीं ली गई थी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह भूतकाल का इतिहास हो सकता है, किन्तु मैं मामले की जांच करने को तैयार हूं । और यदि किसी मामले पर सरकार द्वारा अग्रेतर विचार किये जाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं निश्चय ही उस पर ध्यान दूंगा ।

इजरायल के साथ व्यापर

†*७५८. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल के साथ व्यापार की संभावनाओं का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नतीजा निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह).** (क) से (ग). इजराट्ल के साथ बहुत ही कम व्यापार होने के कारण उस बाजार को खोलना उचित नहीं समझा गया । तथापि इजराईल के साथ हमारे व्यापार का कोई खास प्रतिबंध नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** जब से भारत ने १९५० से इजराईल को स्वीकार किया है, दस वर्ष से पहले से, क्या इजरायल सरकार की ओर से अथवा बम्बई स्थित उनके वाणिज्य राजदूत की ओर से भारत के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित्त करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सवाल ही पैदा नहीं होता । हमारे सामान्य सम्बन्ध हैं और यदि किसी समस्या पर बातचीत करनी होती है तो दोनों पक्षों की एक दूसरे के साथ मुलाकात हो जाती है । अतः किसी ओर से प्रयत्न किये जाने का कोई सवाल नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** माननीय मंत्री ने कहा है कि इजराईल के साथ व्यापार बहुत ही कम है । इस का यह अर्थ है कि कुछ खोज की गई है । यदि ऐसी बात है तो खोज किस के द्वारा की गई थी ?

---

†मूल अंग्रजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : व्यापार प्रतिनिधियों को समय समय पर मुलाकात होती रहती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जहां तक मैं जानता हूं, स्थिति यह है उन का बम्बई में वाणिज्य राजदूत है, किन्तु इजराईल में हमारा कोई वाणिज्यिक दूत नहीं है । अतः हमारी ओर से किसने व्यापार की संभाव्यता की खोज की ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ प्रयत्न किया गया है । मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि वास्तविक मुलाकात हुई है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : किन के बीच ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दोनों पक्षों के प्रतिनिधि हैं । वहां से प्रतिनिधि मंडल भी आये हैं और हमने बातचीत की है । यदि माननीय सदस्य व्यापार का रूप देखें, इजराईल से आयात या निर्यात, तो यह बहुत ही कम है । दोनों देशों के बीच बहुत ही कम व्यापार होने के कारण इस बाजार की अग्रेतर खोज करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न करना आवश्यक नहीं समझा गया ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या यह सच नहीं है कि इजराइल के आस पास मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ हमारा काफी व्यापार है ? क्या सरकार ने यह पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है कि इजराईल के साथ हमारा व्यापार इतना ज्यादा कम क्यों है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने यत्न किये हैं । हम अरब देशों से सम्बन्ध कर रहे हैं । हम अन्य देशों के साथ दूसरी किस्म के कामों में शामिल हो रहे हैं जो इजराईल के पड़ोसी हैं । जहां तक इजराईल का सम्बन्ध है मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय प्रधान मंत्री ने बार बार यह दुहराया है कि चाहे इजराईल के साथ हमारे राजनीतिक सम्बन्ध नहीं, किन्तु हम अनेक तरीकों से इजराइल के साथ सम्बन्ध रख रहे हैं, व्यापार उनमें से एक तरीका क्यों नहीं है और माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य के अनुसार इस सम्बन्ध में प्रयत्न क्यों नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह एक पक्षीय प्रयत्न से बढ़ाया जा सकता है ? मा० मंत्री कहते हैं कि प्रतिनिधियों के बीच समय समय पर बातचीत होती रहती है । यदि दोनों ओर इच्छुक हों, तो यह बढ़ाया जा सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ** : बम्बई में एक वाणिज्य दूतावास है और जहां तक मुझे पता है उन्हें हमारे देश के साथ व्यापार बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी है । बात यह है कि हमें इसमें दिलचस्पी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वास्तविकता यही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें दिलचस्पी है और उस मात्रा तक प्रयत्न हो रहे हैं । किन्तु दोनों ओर बहुत कम व्यापार होने के कारण किसी शिष प्रयत्न की जरूरत नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इजराईल के साथ अधिक व्यापार सम्बन्ध बनाने में भारत की हिचकिचाहट--मा० मंत्री सुन नहीं र --(**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि भारत को कोई हिचकिचाहट नहीं ; भारत चाहता है कि गुंजाइश सीमित है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या भारत ने इजराईल में अभी तक कोई व्यापार प्रतिनिधि मंडल भेजा है जैसा कि इजराईल ने भेजा था यदि हां तो कब ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारे कुछ लोग वहां गये हैं और वहां से भी कुछ लोग आये हैं । किन्तु दोनों ओर से कोई उग्र खरीद-बेच करने वाला नहीं आया-गया क्योंकि व्यापार की गुंजाइश बहुत कम है । मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न

†**अध्यक्ष महोदय** : मा० सदस्य बताना चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच सीमित व्यापार होने का कारण क्या है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : क्या उस देश की जन संख्या बहुत कम है---वह बहुत छोटा देश है ।

नारियल जटा से बनी वस्तुओं का निर्यात

†*७५९. **श्री नटराज पिल्ले** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने नारियल जटा उद्योग में मशीनों के प्रयोग की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वह रेशा निकालने या कातने या चटाइयां बुनने के लिये है ; और

(ग) क्या कोई योजना अभी तक कार्यान्वित की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार, जटा बोर्ड और जटा उद्योग ने जटा कताई उद्योग के एक अंश का मशीनीकरण करना स्वीकार कर लिया है । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री नटराज पिल्ले** : क्या उस उद्योग में मशीनीकरण से श्रमिक बेकार हो जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अवश्य होंगे. किन्तु हमने उनको खपाने के लिये वैकल्पिक स्थानों का प्रबन्ध कर लिया है । लगभग १,५०० लोग फालतू हो जायेंगे., किन्तु इस बात की दृष्टि से, कि हम वह जटा रेशे की अधिक धन पैदा करना चाहते हैं, जिससे अन्ततोगत्वा अधिक रोजगार बढ़ेगा, हमने एशियाई उद्योग का मशीनीकरण करने का फैसला किया है ।

श्रीनटराज पिल्ल : क्या यह कताई अनुभाग में होगा या जटा से चटाइयां बुनने के अग्रभाग मे ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह चटाइयां बुनने के अनुभाग में है ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या सरकार के पास श्रमिकों की बेरोजगारी की आकस्मिकता को पूरा करने के लिये कोई वैकल्पिक योजना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस पर बड़े ध्यान के साथ विचार किया गया है । वास्तव में, जैसा कि मा० सदस्य और सभा को पता है, बहुतेरी नई कपड़ा कताई बुनाइयां जो श्रमिकों को दस गुना अधिक रोजगार देंगी, वहां स्थापित करने का विचार है । हमने विशेष ध्यान दिया है कि जहां मशीनीकरण किया जाये वहां से फालतू होने वाले श्रमिकों को स्थानीय तौर पर भी खपाया जाए ।

†**श्री वारियर** : क्या इस मशीनीकरण प्रक्रिया का हमारे देश के जटा धागा निर्यात पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** इससे उत्पादन की लागत कम होगी । मूल्य की दृष्टि से विश्व बाजार में हमारे दाम अधिक हैं । हमारा इरादा प्रत्येक उद्योग को आधुनिक बनाना है जहां कहां हम कर सकते हैं, ताकि उत्पादन की लागत कम हो सके ।

दिल्ली में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर

†*७६०. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों और विकलांगों के रोजगार के लिये दिल्ली में नया खोला गया काम दिलाऊ दफ्तर सफल रहा है ; और

(ख) पिछले छः मास में कितने व्यक्तियों को काम दिलाया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी हां ।

(ख) ६० ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** इतने कम लोगों को रोजगार दिलाये जाने के क्या कारण हैं और क्या उद्योग को विकलांग लोगों में अधिकाधिक व्यक्तियों को लेने के लिये उद्योग को प्रेरित करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री हाथी :** अन्य अवधि में अर्थात् एक वर्ष में जो काम किया गया है उसको देखते हुए, ११६ पंजीवद्ध हुए व्यक्तियों में से साठ को तो रोजगार दिलाया गया है । मैं नहीं समझता कि यह काम कम है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या व्यापार और उद्योग के लोगों ने भी यह अभ्यावेदन दिया है कि जब तक इन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिये रोजगार दफ्तरों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती, उनके लिये इन लोगों को अधिकाधिक संख्या में काम पर लगाना संभव नहीं होगा ।

†**श्री हाथी :** जो लोग यहां आते हैं वे प्रशिक्षित होते हैं और उनको व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान दिया जाता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या ऐसी कोई संस्था है जहां इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

†**श्री हाथी :** बहुत कर्मशालायें हैं । उनको वह प्रशिक्षण मिल सकता है । हमने उनको व्यवसाय सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया है ।

गोआ में शिक्षा

*७३७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने के लिये क्या कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ;

(ग) इस समय तक गोआ में कितने विद्यालय और महा-विद्यालय हैं और उनमें कितने छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या भविष्य में गोग्रा में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं को और अधिक विस्तृत करने के लिये सरकार किसी विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी विचार कर रही है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और ख). गोआ की शिक्षा पद्धति और उसके विस्तार की समीक्षा करने के लिये भारत सरकार ने एक समिति स्थापित की है, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व-उपकुलपति श्री बी० एन० झा, धारवाड़ कालेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अरमान्डो मैन्जीज़ और शिक्षा मंत्रालय की श्रीमती बी० मुल्ले हैं। इस समिति को जिन विषयों पर विचार करना है, उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। समिति इस समय गोआ में है और आशा है कि इस महीने के अन्त तक वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

(ग) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन समिति इसे इकट्ठा करेगी और उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करेगी।

(घ) समिति रिपोर्ट मिल जाने पर सरकार इस मामले में कोई निर्णय करेगी।
[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५।]

भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा

†*७३८. **श्री श्री नारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा के निर्धारण के बारे में नवीनतम् स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा का सीमांकन करने के लिये की गई प्रगति को दर्शाने वाला एक विरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

३० अप्रैल, १९६२ तक भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा के रेखांकन सम्बन्धी प्रगति

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	कुल लम्बाई	खंभे गाड़ कर ३० अप्रैल, १९६२ तक पूरी की गई सीमा रेखांकन
१	पश्चिम बंगाल—पूर्व पाकिस्तान	अनुमान लगभग १३४९ मील	लगभग १०६४ मील
२	आसाम-पूर्व पाकिस्तान	लगभग ६३० मील	लगभग ४१० १/२ मील
३	त्रिपुरा-पूर्व पाकिस्तान	लगभग ५५० मील	लगभग १८४ मील

बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में हेमराज बस्ती

†*७४७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर स्थित हेमराज बस्ती में भेजे गये कई शरणार्थी परिवारों को गत तीन वर्षों में कोई जमीन नहीं दी गई है ;

(ख) क्या उक्त बस्ती और शरणार्थियों को दी गई जमीन के बीच से एक नहर बहती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस नहर पर एक पुल के निर्माण की मंजूरी दी गई थी और केन्द्रीय सरकार ने उसके लिये धन दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो पुल अब तक क्यों नहीं बनाया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). पुल फरवरी, १९६२ में मंजूर किया गया था और निर्माण कार्य शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा आरम्भ किया जाएगा ।

विद्रोही रेडियो स्टेशन का पता लगाने के लिये नेपाल सरकार की प्रार्थना

†*७५१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने विद्रोही रेडियो स्टेशन का पता लगाने के लिये, जिस ने अप्रैल, १९६२ के दूसरे सप्ताह में काम करना शुरू किया है, भारत सरकार की मदद मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या उत्तर दिया ।

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) नेपाल सरकार की प्रार्थना पर विचार किया गया है और उन को सूचित कर दिया गया है कि हम इस मामले में उन को सहायता करने का पूरा प्रयत्न करेंगे :

पश्चिमी बंगाल के खादी कर्मचारी

†*७५४. **श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने पश्चिम बंगाल के एक सौ से अधिक खादी कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो नोटिस देने के क्या कारण हैं; और

(ग) पश्चिम बंगाल में आयोग ने कुल कितने कर्मचायों को काम पर रखा हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कनूनगो)** : (क) और (ख). व्यापार कार्यों में नियुक्त ६४ कर्मचारियों को नोटिस दिये गये हैं क्योंकि उन की सेवाओं की अधिक आवश्यकता नहीं है ?

(ग) ३८९ ।

उड़ीसा में पंचायत उद्योग

†*७६१. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य कर कृषि आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन के लिये पचायत उद्योगों की नई योजनाय, जिन का प्रस्ताव उड़ीसा सरकार ने दिया है, योजना आयोग के विचाराधीन है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उड़ीसा राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में ऐसी कितनी योजनाओं के आरम्भ होने की संभावना है; और

(ग) ऐसी योजनाओं के लिये कितने धन की व्यवस्था है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). उड़ीसा सरकार से प्रस्थापनायें हाल ही में प्राप्त हुई है और उन की जांच की जा रही है ।

अहमदाबाद की कपड़ा मिलें

†*७६२. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ में मूल्यों के छापने के आदेश जारी होने के बाद अहमदाबाद की बहुत सी कपड़ा मिलों ने अपने कपड़ों के नाम तथा उनकी संख्या बदल कर अपने कपड़े के मूल्य बढ़ा दिये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मिलों के मालिकों ने कपड़ों पर छपे मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों में अपना लाभ बहुत बढ़ा लिया है; और

(ग) इन कपड़ों के मूल्यों को घटा कर १९५९ के स्तर पर लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) सूती कपड़े और मूल्यों की समस्याओं पर प्रभाव डालने वाले बहुत से पहलू, उन के निर्देश निबन्धनों के अधीन पूरी जांच करने तथा प्रतिवेदन देने के लिये प्रशुल्क आयोग को सौंपे गये हैं, और आयोग को अन्य बातों के साथ साथ कपड़े और धागे की कारखाने से बाहर निकलने की कीमत के बारे में भी सिफारिश करनी होगी । आयोग की रिपोर्ट आने पर जिस के शीघ्र आने की आशा की जाती है, सरकार इस मामले पर अग्रतर विचार करेगी ।

नमक की कमी

†*७६३. **श्रीमती सत्यभामा देवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांभर लेक (राजस्थान) से नमक भेजने की कठिनाई होने के कारण उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तथा बिहार के कुछ जिलों में नमक का अभाव हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के अधिकारियों ने भारत सरकार को कोई सूचना भेजी है, और यदि हां, तो क्या, और

(घ) सरकार सांभर लेक से नमक भेजने में होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (घ). सभा की मेज पर एक विवरण रखा जाता है ?

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के जिलों में सांभर नमक की कमी की कोई सूचना हाल में नहीं मिली है। नमक भेजने के लिये बिहार को सांभर स्रोत से सम्बद्ध नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) रेलवे अधिकारियों से निवेदन किया गया है कि वे पर्याप्त संख्या में वैगनों के सम्भरण की व्यवस्था करें जिस से क्षेत्रीय योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को नियत किया गया नमक का पूरा परिमाण भेजा जा सके।

पूर्वी पाकिस्तान से निकाला गया भारतीय पत्रकार

†*७६४. { **श्री ब्रजराज सिंह** : **श्री बड़े** : **श्री रामेश्वर टांटिया** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल मे पाकिस्तान सरकार ने पूर्व पाकिस्तान से कुछ भारतीय पत्रकारों को निकाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ;

(ग) भारत में रहने वाले पाकिस्तानी संवाद दाताओं को हमारी सरकार क्या सुविधायें देती है;

(घ) क्या ये सुविधायें पाकिस्तान में भारतीय पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं के ही समान हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस फर्क की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं। 'स्टेट्समैन' के संवाददाता श्री नोनी और उन की पत्नी को फरवरी, १९६२ में अल्प सूचना पर पूर्व पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया था ।

(ख) १० फरवरी, १९६२ को श्री डब्ल्यू० एच० नोनी और उन की पत्नी के पारपत्र, जो वीसा के नवीकरण के लिये पूर्व पाकिस्तान की सरकार के पास जमा किये गये थे उन को इन हिदायतों के साथ लौटा दिये गये थे कि उन्हें १२ फरवरी, १९६२ तक पूर्व पाकिस्तान छोड़ देना चाहिये । ढ़ाका स्थित भारतीय उप उच्चायुक्त के द्वारा हस्तक्षेप पूर्व पाकिस्तान सरकार को उन के निर्णय पर

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्विचार करने या समय का समुचित विस्तार करने के लिये प्रेरित करने में असफल रहा, ताकि वह ढ़ाका में अपना कारोबार बन्द कर पाता ।

(ग) और (घ). भारत में पाकिस्तानी मान्यता प्राप्त संवाददाता को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें वही हैं जो अन्य किसी विदेशी मान्यता प्राप्त संवाददाता को प्रदान की जाती हैं, केवल अन्तर यह है कि पाकिस्तानी संवाददाताओं के पास केवल उन की मान्यता प्राप्ति के उनके स्थान के लिये ही वीसा होता है, जो उन के मामले में दिल्ली होता है, जिस प्रकार ही पाकिस्तान में किसी भारतीय संवाददाता के पास उन के मान्यता प्राप्ति के स्थान के लिये ही वीसा होता है, जो रावलपिंडी, कराची या ढ़ाका होते हैं। यह ठीक पारस्परिकता के आधार पर है :

(ङ) और (च). सवाल पैदा नहीं होता ।

तृप्पूणितुरा (केरल) में तार (केबल) कारखाना[1]

†*७६५. { **श्री वासुदेवन नायर**
श्री वारियर :
श्री प० कुन्हन : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में तृप्पूणितुरा में तार (केबल) कारखाना बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं। प्रस्थापना छोड़ी नहीं गई ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

वाशिंगटन में भारतीय दूतावास

†*७६६. **श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाशिंगटन में भारतीय दूतावास "इण्डियाग्राम" नामक एक प्रकाशन निकलता है ;

(ख) क्या विदेशों में अन्य भारतीय मिशन भी ऐसे प्रकाशन निकालते हैं; और

(ग) ऐसे प्रकाशनों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) हमारे विदेश स्थित मिशनों में से लगभग ४० विभिन्न प्रकार के समाचार बुलेटिन प्रकाशित होते हैं। उन में से कुछ एक को "इण्डियाग्राम" कहा जाता है और कुछ के नाम दूसरे होते हैं।

(ग) उन प्रकाशनों पर होने वाला व्यय प्रत्येक मिशन के निजी बजट का अंग होता है। इस प्रकाशन पर उन सब के द्वारा किये गये कुल वार्षिक व्यय का पता नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Cable Factory at Thripponithura in Kerala

बिहार में रेशम कोया उत्पादक क्षेत्र

†*७६७. **श्री ह० च० सौय:** क्या **वाणिज्य तथा तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सिंघभूमि जिला और उस के साथ मिलने वाले क्षेत्र बड़े कोया उत्पादक क्षेत्र हैं, किन्तु वहां कोया पालने वालों और स्थानीय बुनकरों द्वारा इन कोया के रेशम को लपेटने, कातने और बुनने की कोई व्यापक योजनायें नहीं हैं और इस कारण अधिकतर कोये अन्यत्र भेज दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कोयों का सब तरह से स्थानीय तौर पर उपयोग करने के सबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ! ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा रेडियो स्टेशन

†*७६८. **श्रीमती विमला देवी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा रेडियो स्टेशन की शक्ति (पावर कैपेसिटी) को बढ़ाने की कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका व्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी):** (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) विजयवाड़ा रेडियो ट्रांसमिटर की शक्ति को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि तीसरी योजना के अन्दर हैदराबाद रेडियो ट्रांसमिटर की शक्ति को ५ किलोवाट से २० किलोवाट मध्यम-तरंग बढ़ाया जा रहा है और क्योंकि दो नये शक्तिशाली ट्रांसमिटर इसी अवधि में आंध्र प्रदेश में, अर्थात् कुडापाह में २० किलोवाट का मध्यम तरंग ट्रांसमिटर और १० किलोवाट का मध्यम तरंग ट्रांसमिटर विशाखापटनम में, स्थापित किये जा रहे हैं। विजयवाड़ा और हैदराबाद ट्रांसमिटर २४ घंटा ट्रंक टैलीफून सम्बन्ध के द्वारा मिले हुए हैं।

माल्दा में दंगे

†*७६९. {
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती:
श्री श्याम लाल शर्राफ :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के उस वक्तव्य की ओर दिलाया

†मूल अंग्रेजी में

गया है जो कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में माल्दा के दंगों के सम्बन्ध में २४ अप्रैल, १९६२ को ढाका में पत्र संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान दिया था; और

(ख) इन वक्तव्यों का खण्डन करने तथा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के सामने तथ्य प्रस्तुत करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी, हां ।

(ख) ऐसे मामलों के बारे में पूर्व में या पश्चिम में पाकिस्तान के लोगों के सामने तथ्य प्रस्तुत करना हमारे लिये कठिन है । पाकिस्तान में समाचारपत्रों पर नियंत्रण है और वे सरकार की नीति के विरुद्ध एक लाइन भी नहीं लिख सकते । हाल ही में जब पूर्वी पाकिस्तान में एक समाचारपत्र ने मुर्शिदाबाद जिले की स्थिति के बारे में अपने संवाददाता के विचारों को प्रकाशित किया तो उस समाचारपत्र के संवाददाता की बात से इन्कार कराने के लिये जबर्दस्ती की क्योंकि यह बात पाकिस्तान में सरकारी विचारों से भिन्न थी ।

इन प्रतिबन्धों के भीतर करार्ची और ढाका स्थित हमारे मिशन ऐसे मामलों के बारे में पाकिस्तान की जनता के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत करने का हर संभव प्रयत्न करते हैं । इस मामले में भी उन्होंने बातचीत और जारी किये गये बुलेटिनों के जरिये ऐसा ही किया । पाकिस्तान में लोग भारतीय समाचार-पत्र पढ़ते हैं और आकाशवाणी सुनते हैं अतः हमें आशा है कि उनको इस प्रकार भी तथ्य मालूम हो जाते हैं ।

मंगला बांध के समीप हवाई अड्डा

†*७७०. **श्री हेम बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर में मंगला बांध के समीप एक बड़े हवाई अड्डे का निर्माण आरम्भ कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) इस बारे में कुछ भारतीय समाचार-पत्रों में खबर छपी है ।

(ख) क्योंकि पाकिस्तान द्वारा भारतीय प्रदेश के इस भाग पर कब्जा अवैध है, उस क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली कोई भी कार्यवाही अवैध है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

†*७७१. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफ़ारिशें सभी कपड़ा मिलों में कार्यान्वित कर दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो कितनी और किन-किन मिलों ने अभी तक उनको कार्यान्वित नहीं किया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) इन सिफ़ारिशों के अधीन आने वाली ४१० मिलों में से ३५८ ने पूर्णतः और ३८ ने अंशतः इनको लागू कर दिया है।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उन मिलों का ब्योरा है जिन्होंने अभी तक सिफाशें लागू नहीं की हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ग) लागू न करने और अंशतः लागू करने के बारे में जांच हो रही है।

फैक्टरियों के काम के घंटे

†*७७२. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की फैक्टरियों में पांच दिनों का सप्ताह लागू करने के सुझाव पर सरकार ने ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी): (क) जी, हां।

(ख) इस समय यह सुझाव ठीक नहीं समझा जा रहा है।

कांगड़ा (पंजाब) में अखबारी कागज का कारखाना

†७७३. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा (पंजाब) में अखबारी कागज़ का एक कारखाना स्थापित करने के सुझाव पर विचार किया जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) उसके कब तक पूर्णतया स्थापित हो जाने की आशा की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) प्रस्ताव अब स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) पार्टी को हाल ही में कनाडा की एक फर्म के सहयोग से प्रारम्भिक कार्य करने के लिये कुल्लू घाटी विकास कम्पनी बनाने की अनुमति दे दी गई है ।

(ग) लगभग चार से पांच वर्ष ।

एशिया में समाचारपत्र आदि आरम्भ करने के लिये योजना

†*७७४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को ने एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासोन्मुख देशों में समाचारपत्र, समाचार एजेंसियां, रेडियो, शैक्षणिक टेलीविजन और फिल्में बनाने के लिये एक योजना संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को पेश की है;

(ख) क्या उसकी एक प्रति सरकार के पास है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गयी हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). सरकार के पास उस योजना की, जिस पर अभी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् और महासभा द्वारा विचार किया जाना है, प्रति नहीं है । संयुक्त राष्ट्र शिक्षण, सामाजिक और सांस्कृतिक संघ द्वारा जारी किये गये नोट से पता चलता है कि कुछ सिफारिशें वहीं हैं जो प्रश्न के भाग (क) में दी गयी हैं । यूनेस्को समझता है कि न्यूनतम जानकारी सेवाओं में १० दैनिक समाचारपत्र, ५ रेडियो और किसी देश में प्रत्येक १०० निवासियों के लिये सिनेमा की दो सीटें हैं । योजना की लागत का अनुमान ३४,००० लाख डालर आंका गया है । इस योजना में ग्रस्त देश लागत का मुख्य भाग देंगे । यह लागत संयुक्त राष्ट्र विकास दशाब्दी के साथ साथ १० से १५ वर्षों के भीतर दी जायेगी ।

मकाओ में गिरफ्तार भारतीय

†*७७५. { **श्री बी० चं० शर्मा** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ कार्यवाही के समय मकाओ में गिरफ्तार किये गये ५० भारतीयों को मुक्त कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उनका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख). मकाओ में ५१ भारतीय राष्ट्रजन गिरफ्तार किये गये हैं । भारत सरकार ने इन सभी भारतीय राष्ट्रजनों को मुक्त करने के लिये पुर्तगाल सरकार से कहा है । इस बारे में पुर्तगाल सरकार राजी हो गयी

---

†मूल अंग्रेजी में

है। तथापि, यदि पुर्तगाल सरकार इनको मुक्त करने के बाद इन में से किसी को पुर्तगाली प्रदेश में नहीं रहने देना चाहती तो सम्बन्धित भारतीय राष्ट्रजनों को अपना कार्य समाप्त करने और अपने आने के समय अपनी आस्तियों को स्वदेश भेजने के लिये काफ़ी समय दिया जायेगा।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

†*७७६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव के इस कथित वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि पाकिस्तान से आयात के लिये भारत में अधिकारियों द्वारा लाइसेंस न दिये जाने के कारण व्यापार करार अभ्यंश पूरा नहीं किया जा सका; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य के पीछे क्या तथ्य है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जो कुछ समाचार पत्र में छपा है उसके अतिरिक्त हमें पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव के कथित वक्तव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) हमने कितने लाइसेंस दिये हैं, वे करार के अधीन उपबन्धित अधिकतम सीमा से अधिक हैं। कुछ वस्तुओं के आयात में कमी मुख्यतः सम्भरण और मांग और किस्म और मूल्य के कारण हुई।

पश्चिम बंगाल में नमक का कारखाना

†*७७७. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कंटाई समुद्र तटीय क्षेत्र में समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिये बड़े पैमाने पर एक नमक कारखाना स्थापित करने की योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और सरकार ने उसको अनुमोदित कर दिया है ; और

(ग) परियोजना का परिव्यय क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) से (ग). जी, नहीं। तथापि, पश्चिम बंगाल सरकार पश्चिम बंगाल में कन्टाई समुद्र तटीय क्षेत्र में समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में एक बड़े पैमाने का नमक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव का परीक्षण कर रही है।

विदेशों में भारतीय मिशनों में नियोजित विदेशी

†*७७८. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हमारे मिशनों में प्रत्येक में कितने विदेशी नियोजित हैं ;

(ख) इन विदेशी कर्मचारियों में से प्रत्येक किस स्थिति में काम कर रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन विदेशियों के स्थान पर भारतीयों को न रखने के क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]**

(ख) मिशनों में काम करने वाले प्रत्येक विदेशी कर्मचारी की ठीक स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है। सामान्यतः ये कर्मचारी असिस्टेंट लेखापाल, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, टाइपिस्ट, अनुवादक, दुभाषिया, मैसंजर (चपरासी), मोटर चालक, भंगी, क्लीनर, माली, पहरेदार, प्रविधिक असिस्टेंटों, शो-रूम मैनेजर, स्वागतकर्ता, टेलीफोन आपरेटर, पुस्तकालयाध्यक्ष, मोटर्स-आपरेटर, फिल्म-आपरेटर, प्रचार सहायक और हैन्डीमेन के रूप में रखे जाते हैं।

(ग) हमारे मिशनों में विदेशी नियोजित करने के कारण मुख्यतः आर्थिक हैं। स्थानीय भाषा में योग्यता, जो अनुवाद करने और स्थानीय सम्बन्ध बनाये रखने के लिये आवश्यक है, के कारण भी विदेशों में हमारे मिशनों में विदेशियों को नियोजित करना आवश्यक हो जाता है। जहां कहीं उपयुक्त भारतीय राष्ट्रजन स्थानीय रूप से उपलब्ध होते हैं, इन स्थानीय पदों पर उनको रखा जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान

†*७७९. **श्री म श्वर नायक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से बाहर के नगरों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान देने की मांग किस हद तक पूरी की गयी है ; और

(ख) भावी कार्यक्रम क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) दिल्ली के बाहर सामान्य पूल में रिहायशी मकानों की मांग और उपलब्धता के बारे में वर्ष १९६१-६२ के लिये निर्माण आवास और सम्भरण मन्त्रालय के सार नोट्स के पैरा २.१ में बताया गया है। अन्य विभागों के नियन्त्रणाधीन आवास के बारे में जानकारी निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(ख) कलकत्ता में २७२ फ्लैट बनाने का प्रस्ताव है। बम्बई में १७६ क्वार्टर बन रहे हैं। वहां पर और अधिक क्वार्टर बनाने के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

शिमला में रिहायशी मकान बनाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, नागपुर में रिहायशी मकान बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

दिल्ली में दूकानों का समय

†*७८०. { **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वारियर :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री २४ अप्रैल, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दूकानों के बन्द होने के समय में परिवर्तन करने के लिये कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने ७ मई, १९६२ से दुकानों के बन्द होने का समय ७ बजे से बदल कर ७.३० बजे कर दिया है।

कडप्पा और विशाखापटनम में ट्रांसमीटर

†*७८१. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कडप्पा में २० किलोवाट मीडियम वेव ट्रासमिटर लगाने और विशाखापटनम् में १० किलोवाट मीडियम वेव ट्रान्समिटर लगाने के प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) दोनों केन्द्रों पर इमारत बन रही है। स्थापना के लिये ट्रांसमिटर उपकरण प्राप्त कर लिये गये हैं और वह स्टाक में हैं। परियोजना के चालू होने के लिये वर्ष १९६३ में तैयार हो जाने की आशा है।

शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

†*७८२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के रोजगार दफ्तरों को विभिन उद्योग में ऐसे लोगों को काम धन्दा दिलाने में जो कठिनाइयां आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या राष्ट्रीय रोजगार सेवा असमर्थ लोगों के प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का इरादा कर रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : इस प्रश्न का उत्तर अगली तिथि को शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो इस विषय से सम्बन्धित है, दिया जायेगा।

गोआ से निर्यात की संभावनाएं

†*७८३. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ से निर्यात की संभावनाओं का अब तक कोई आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का मुख्य ब्योरा क्या है और इस समय गोआ में निर्यात व्यापार की क्या स्थिति है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) जी, हां।

(ख) गोआ से मुख्यतः लोहा और मेंगनीज़ अयस्क का निर्यात किया जाता है। भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग गोआ में अयस्क के निक्षेपों के बारे में ठीक पता लगाने के लिये शीघ्र ही एक सर्वेक्षण करेगा। खननकार्य और निर्यात व्यापार की संभाव्यता के बारे में वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिये भारत सरकार ने इस्पात, खान और ईंधन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों से विशेषज्ञों के दल भेजे हैं। इन मूल्यांकनों में राज्य व्यापार निगम और योजना आयोग का भी सहयोग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

†*७८४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री काशीनाथ पांडे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सभी चीनी मिलों में लागू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो जिन मिलों ने इस रिपोर्ट को क्रियान्वित नहीं किया है, उनके नाम और संख्या क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी):** (क) १७२ मिलों में से १४२ ने सिफारिशों को पूर्णत : और १३ ने अंशतः लागू किया हैं ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसने उन मिलों का व्योरा है जिन्होंने अभी तक सिफारिशों को लागू नहीं किया है । **[देखियें परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]**

(ग) बाकी कारखाने पर शिफारिशों को लागू करने के लिये दबाव डालने के लिये प्रयत्न जारी हैं ।

सरकारी औद्योगिक उपक्रम

†*७८५. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं गैर-सरकारी विनियोजक को सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में अंश खरीदने की अनुमति है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिस में ३१ मार्च, १९६२ को विद्यमान स्थिति बताई गयी हो ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** क) और (ख) : जो, नहीं। तथापि, दो कारखानों, प्रागवटूल्स कारपोरेशन और नेशनल न्यूज़प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, जो पहले गैर-सरकारी क्षेत्र में थे और जो तब से केन्द्रीय सरकार के उपक्रम हो गये हैं, में गैर-सरकारी अंशधारी अपना अंश रखे रहेंगे । इस प्रकार गैर-सरकारी अंशधारियों के शेयर, यद्यपि उन के बारे में स्टाक एक्सचेंज में कोई उल्लेख नहीं होता, विक्रय और हस्तांतरण के लिये उपलब्ध हैं।

रामपुर में आकाशवाणी का ट्रांसमिटर

†७८६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से रामपुर (उत्तर प्रदेश) में आकाशवाणी का एक ट्रांसमिटर लगाने का निश्चय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी ने जगह अधिकार में ले ली है और उसे सी० पी० डब्ल्यू० डी० को सौंप दिया गया है। भवन के बनाने का काम शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है। मुख्य उपकरणों के मंगाने के लिए आर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं और टेलीफोन सरकिट और बिजली के तखमीने क्रमशः डाक व तार और बिजली संभरण अधिकारियों द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) आशा है कि यह ट्रांस्मीटर १९६३–६५ में चालू हो जायेगा।

नेपाल को सहायता

†*७८७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में पांच विकास परियोजनाओं के लिये १,४८,००,००० रुपये की भारतीय सहायता दिये जाने के बारे में नेपाल सरकार के साथ पांच करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे परियोजनायें क्या हैं; और

(ग) सहायता किस रूप में और किस तरीके से दी जावेगी ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह):** (क) और (ख). जी, हां। २५ अप्रेल, १९६२ को काठमांडू में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित विकास परियोजनाओं के बारे में पांच करारों पर हस्ताक्षर किये गये :

परियोजना	सहायता की राशि (लाख रुपये)
१. काठमांडू में पीने के पानी के संभरण का विकास . .	७९
२. सिंचाई, पीने के पानी के संभरण, बिजली और जल-निस्सारण व्यवस्था का विकास	५०
३. परोपकार श्री पंच इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवी मेटरनिटी एण्ड चाइल्ड वैल्फेयर सेन्टर का विकास	२
४. दक्षिण काली सड़क का निर्माण . . .	११
५. काठमांडू में बड़े डाक घर की इमारत का निर्माण	६
कुल	१४८

(ग) सहायता करार में रखी निधि के भीतर निर्माण की लागत आदि को पूरा करने के लिये धन के रूप में और प्राविधिक व्यक्तियों की सेवाओं और भारत में उपलब्ध सामान और उपकरण के रूप में दी जावेगी।

†मूल अंग्रेजी में

नयी अमरीकी अन्तरिक्ष परियोजना में भारत द्वारा भाग लिया जाना

†*७८८. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने जल्दी ही क्रियान्वित की जाने वाली अब तक की सब से अधिक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष परियोजना --पृथ्वी की आकृति का पता लगाने के लिये "फ्लैशिंग लाइट-उपग्रह" का प्रयोग--में शामिल होने के लिये सभी राष्ट्रों को आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और क्या वह परियोजना में भाग लेगा ;

(ग) क्या वैज्ञानिकों के किसी शिष्ट-मंडल को मंजूरी दे दी गयी है ; और

(घ) शिष्टमण्डल का स्वरूप और काम क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) सरकार को इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं है कि अमरीका ने पृथ्वी की आकृति का पता लगाने के लिये 'फ्लैशिंग लाइट-उपग्रह' का प्रयोग वाली अन्तरिक्ष परियोजना में शामिल होने के लिये सभी राष्ट्रों को आमंत्रित किया है और न ही इसको कोई ऐसा आमंत्रण मिला है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार में उद्योग

†१२८४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में बिहार में कौन कौन से उद्योग आरम्भ किये गये, उन के क्या नाम हैं और वे किस स्थान पर स्थित हैं ;

(ख) उन उद्योगों में प्रत्येक में कितने व्यक्ति काम करते हैं और किस रूप में ;

(ग) क्या सरकार को उद्योगों के और विकास के लिये राज्य से कोई निश्चित सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई प्राथमिकता निर्धारित की गयी है ?

† **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रक्खा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ग) और (घ). जी, हां । बिहार सरकार ने सिन्दरी में अपनी सल्फूरिक एसिड और सुपरफोसफेट संयंत्र की क्षमता के विस्तार करने का प्रस्ताव किया है । प्रस्ताव विचाराधीन है ।

नगरीय आय की अधिकतम सीमा

†१२८५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आय सहित नगरीय सम्पत्ति पर कोई उच्चतम सीमा लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) क्या इस विषय में राज्य सरकारों से सुझाव मांगें गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या राय है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) और (ख). आय और सम्पति की असमानता दूर करना सरकारी नीति का एक मुख्य उद्देश्य है । उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने अनेक वित्तीय तथा गैर-वित्तीय उपाय कार्यान्वित किये हैं। इस मामले में गति बढ़ाने के मार्गोपाय बराबर ढूंढते रहने की आवश्यकता के बारे में भी सरकार जागरूक है ।

(ग) और (घ). तीसरी योजना बनाते समय राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया था ।

कच्ची काजू का आयात

†**१२८७. श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को केरल में काजू तैयार करने वालों से विदेशों से कच्ची काजू मंगाने की उनकी कठिनाइयों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल–सितम्बर, १९६२ की छमाही के लिए काजू के आयात के लिए और लाइ-सेंस दिये जाने के संबंध में हिदायतें दे दी गयी हैं ।

काजू निगम

†**१२८८. श्री मे० क० कुमारन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य सरकार ने एक काजू निगम बनाने के लिये जिस में केरल, मद्रास और मैसूर के सभी काजू हित शामिल होंगे, भारत सरकार से सलाह और सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस दशा में है; और

(ग) उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में विनियोजन

†१२८९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और/अथवा जीवन बीमा निगम ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन कानपुर के शेयरों में कोई रकम लगाई है ;

(ख) कितनी रकम लगायी है ;

(ग) कुल सामान्य पूंजी में उसका कितना अनुपात है ; और

(घ) निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स) में सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति कितने हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास पांच-पांच रुपये के ११,५४,७७३ सामान्य शेयर हैं। जीवन-बीमा निगम के पास-सौसौ रुपये के १५,२८५ प्रिफरेन्स शेयर्स और पांच-पांच रुपये के १०,८१,००१ सामान्य शेयर्स हैं ।

(ग) कुल सामान्य पूंजी के साथ केन्द्रीय सरकार तथा जीवन बीमा निगम के सामान्य शेयरों का अनुपात क्रमशः १७.७७ प्रतिशत और १६.६३ प्रतिशत है ।

(घ) निदेशक मंडल में कोई सरकारी मनोनीत सदस्य नहीं हैं ।

उड़ीसा में कोरापुट में रेडियो ट्रांसमिशन केन्द्र

†१२९०. **श्री उलाका :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोरापुट (उड़ीसा) में एक रेडियो ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वह कब स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) उस पर संभवतः कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)**: (क) २० किलोवाट का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर जयपुर (कोरापुट) के पास स्थापित किया जाने वाला है ।

(ख) अनुमान है कि वह १९६३ में तैयार हो जायेगा ।

(ग) लगभग १३ लाख रुपये ।

उड़ीसा में बेरोजगार पंजीकृत अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

†१२९१. **श्री उलाका :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न रोजगार दफ्तरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोग (ग्रैजुएट और नॉन ग्रैजुएट) १९६१–६२ में पंजीकृत किये गये ; और

(ख) उनमें से कितने लोगों को रोजगार सहायता दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). उपलब्ध जानकारी इस प्रकार है :–

श्रेणी	१९६१–६२ में पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या * *	१९६१–६२ में जिन लोगों को रोजगार दिलाया गया उनकी संख्या * *
१	२	३
अनुसूचित जातियां .	६,६१७	१,१२७
अनुसूचित आदिम जातियां	७,९५८	१,२३४

** शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां

†१२९२. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में किन किन जगहों पर ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां कायम की जायेंगी; और

(ख) इस पर संभवतः कितनी रकम खर्च की जाने वाली है ;

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य सरकार ने पंचायत समिति के मुख्य कार्यालयों में प्रत्येक २ लाख रुपये की लागत की ४८ औद्योगिक बस्तियां कायम करने के लिये ९६ लाख रुपया नियत किया है । जयपुर रोड, आस्का, सखीगोपाल, भवानी पटना, सम्बलपुर, रायगढ़, तलछर, टीकावाली और जतनी में ९ बस्तियां स्थापित करने की बात तय हो गई है । बाकी ३९ बस्तियों के स्थान राज्य सरकार शीघ्र ही अंतिम रूप से चुन लेगी ।

'इंडिया, इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड'

१२९३. श्री कृष्ण देव त्रिपाठी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितना पैसा 'इंडिया, इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' पत्रिका की छपाई पर खर्च किया गया ;

(ख) कितना पैसा विज्ञापन तथा बिक्री से मिला,

(ग) इस पत्रिका की कितनी प्रतियां बिकीं, कितनी मुफ्त बांटी गयीं तथा कितनी अभी बाकी हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या कारण है कि इस पत्रिका में छपाई की अनेक गलतियां हैं; और

(ङ) अनेक ऐसी तस्वीरें क्यों छापी गई हैं जिनका उद्योग और व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) छपाई का बिल अभी प्राप्त नहीं हुआ है और ठीक ठीक लागत अन्तिम रूप से अभी मालूम नहीं हो सकी है। सामान, छपाई, पेकिंग आदि को मिला कर कुल खर्च २,२५,००० रु० के लगभग होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) विज्ञापनों और बिक्री से कुल ३,६४,००० रु० की आय हुई है।

(ग) इसकी १०,००० प्रतियां छपाई गई थीं जिनमें से ४,००० विदेशों में प्रचार करने के लिये नियत कर दी गई हैं और ८०० प्रतियां संसद् सदस्यों में बांट दी गई हैं। १८०० प्रतियां अभी स्टाक में मौजूद हैं। इन प्रतियों की बिक्री अभी जारी है तथा विदेश स्थित हमारे व्यापार कार्यालयों से भी कुछ और प्रतियों की मांग की गई है।

(घ) छपाई की गलतियां अधिक नहीं हैं। वे ०.१ प्रतिशत से भी कम हैं।

(ङ) फोटो उद्योग तथा व्यापार (पर्यटन सहित) से सम्बन्धित हैं।

दण्डकारण्य में इंजीनियरों की कमी

†१२९४. **श्री उलाका** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से दंडकारण्य विकास प्राधिकार को योग्य इंजीनियरों की कमी महसूस हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने उनके मंत्रालय से बड़े बड़े इंजीनियरिंग उपक्रमों की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने में मदद मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ; और

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में दण्डकारण्य में शरणार्थियों के पुनर्वास पर संभवतः कितनी रकम खर्च की जाने वाली है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ग). जी, हां। सरकार इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) दण्डकारण्य परियोजना के लिये निधियों की आवश्यकता पर प्रतिवर्ष विचार किया जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में खर्च की जाने वाली रकम का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में दंडकारण्य परियोजना में लगभग ५.०७ करोड़ रुपया खर्च किया।

दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्ति

†१२९५. **श्री उलाका** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि ऐसे कोई शरणार्थी हों जिन्होंने २०,००० रुपये के कम मूल्य की अचल सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ी हो, और जिन्हें मुफ्त जमीन दी गई हो, तो उनकी संख्या कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दण्डकारण्य में ऐसे प्रत्येक शरणार्थी को कितनी जमीन दी गई है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने मार्च, १९६२ तक कुल कितनी रकम के ऋण दिये; और

(घ) मार्च, १९६२ तक कुल कितनी रकम के ऋण वसूल किये गये ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) दण्डकारण्य में अभी फिलहाल उन्हीं लोगों को जमीन दी जा रही है जो पहले पश्चिम बंगाल के शिविरों में रहते थे।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार

१२९६. **श्री कृष्ण देव त्रिपाठी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोज़गार लोग थे ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षित लोगों को रोजगार मिल जायेगा; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में उत्तर प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोज़गार लोगों के होने की संभावना है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं । उत्तर प्रदेश के रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होते समय क्रमशः ४०,७६७ और ८३,१०५ शिक्षित बेरोजगार लोगों के नाम दर्ज थे ।

(ख) इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ग) इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जगपुर (उड़ीसा)

†१२९७. **श्री उलाका** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जगपुर (उड़ीसा) में दण्डकारणय विकास प्राधिकार के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण शाला के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वह किस तारीख तक पूरा हो जायेगा और वह संस्था अपना कार्य कब तक चालू कर देगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). औद्योगिक इंस्टिट्यूट की इमारत बनाने का काम प्लिन्थ लेवल से ऊपर तक हो चुका है और अनुमान है कि अक्तूबर १९६२ के आखिर तक वह पूरा हो जायगा। उसके बाद शीघ्र ही इंस्टिट्यूट अपना कार्य शुरु कर देगा ?

आदिम जाति लोक गीत

†१२९८. **श्री उलाका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आदिम जातियों के लोक गीत आकाशवाणी, कटक से प्रसारित किये जाते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो हफ्ते में कितने दिन वे प्रसारित किये जाते हैं ; और

(ग) उनके प्रसारण के लिए कितना समय रखा गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) जी हां।

(ख) नियमित रूप से सप्ताह में एक बार विशेष कार्यक्रम में, प्रत्येक शनिवार को। इस केन्द्र के अन्य सुगम संगीत कार्यक्रमों में भी आदिम जाति संगीत रहता है ।

(ग) विशेष कार्यक्रम में १५ मिनट।

भारत में आदिम जाति के लोगों के बारे में प्रलेखीय चलचित्र

†**१२९९. श्री उलाका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में कोरापुट के आदिम जाति के लोगों के जीवन तथा सामाजिक कार्यों के बारे में कितने प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : कोरापुट के आदिम जाति के लोगों के जीवन तथा सामाजिक कार्यों के बारे में खास तौर से कोई प्रलेखीय चलचित्र तैयार नहीं किया गया। फिर भी दिल्ली डिविजन के "एन्यू डॉन" नामक प्रलेखीय चलचित्र में जिसमें दंडकारण्य में कृषिकरण दिखाया गया है, उनके संबंध में कुछ चित्र दिखाये गये हैं। अन्य दो फिल्मों "उड़ीसा—दी लैंड एण्ड दी पीपल" और "अवर ओरिजनल इन इन्हेबिटेन्टस्" में उड़ीसा की आदिम जातियों के बारे में जानकारी शामिल है।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय गडरिये का लड़का

१३००. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च १९६२ के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तानी जम्मू और काश्मीर राज्य के छम्ब क्षेत्र के बड़माला गांव से एक गडरिये के लड़के और पांच पशुओं को उठा कर ले गये थे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :

जी हां। ऐसी रिपोर्ट है कि १८ मार्च १९६२ को ब्राम्बला नामक गांव का एक व्यक्ति मेहर सिंह पांच पशुओं के साथ लापता हो गया था। ख्याल किया जाता है कि या तो लोग उसे उठा ले गए हैं या वह खुद युद्ध विराम रेखा के उस पार जा भटका है।

श्रीमती कैनेडी की भारत यात्रा

१३०१. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी श्रीमती कैनेडी के भारत आगमन के अवसर पर भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने कितना धन व्यय किया था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अब तक भारत सरकार ने नई दिल्ली में इस मद में जितना खर्च किया है उसकी राशि ५००१.४६ रु० है। श्रीमती कैनेडी की यात्राओं पर कुछ अतिरिक्त व्यय की भी प्रत्याशा की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसने इस मद में २२,८५०·३९ रु० खर्च किए हैं। इस व्यय में कितना उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मे रहेगा, इस प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है।

राजस्थान सरकार ने जो व्यय किए हैं उनके ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

केरल में बागान मजदूरों के लिए मकान

†१३०२. **श्री वारियर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय एजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे किन किन रबड़ बागानों ने सरकार द्वारा मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए दी गयी ऋण सुविधाओं से लाभ उठाया है ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितने मकान बनाये गये ; और

(ग) सरकार से कितनी रकम ली गयी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) से (ग). यूरोपीय एजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे केरल के किसी भी रबड़ बागान ने भारत सरकार की बागान मजदूर आवासन योजना के अधीन कोई ऋण सहायता नहीं ली है।

चाय और रबड़ मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

†१३०३. { **श्री वारियर** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजदूरों को अंतरिम सहायता देने के संबंध में चाय और रबड़ बागानों से सम्बद्ध केन्द्रीय मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को कार्यान्वित कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) दक्षिण भारत में संबंधित राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी है कि वे उन सिफारिशों को कार्यान्वित करायें।

(ख) प्रगति विवरण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

नक्स वोमिका

†१३०४. { **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन् नायर

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में नक्स वोमिका का उत्पादन कितना है ;

(ख) देश में उसकी मांग कितनी है ;

(ग) चालू वर्ष में कितने आयात के लिए अनुमति दी गयी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उसका निर्यात मूल्य और देश के बाजारों में मूल्य कितना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है लेकिन नकस वोमिका अल्कलायडस् तैयार करने वाले बड़े बड़े एककों को सालाना लगभग १५०० टन नकस वोमिका बीज की जरूरत पड़ती है ।

(ग) और (घ). अप्रैल, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक जिसके लिए आंकड़े अभी उपलब्ध हैं, निर्यात और निर्यात मूल्य इस प्रकार रहे :–

	परिमाण हजार किलोग्राम में	**मूल्य हजार रुपयों में**	**निर्यातमूल रुपये**
			प्रति किलोग्राम
नकस वोमिका सूखे पके बीज	३६७.२	२१३	०.५८
नकस वोमिका अल्कलायडस् से तैयार की गयी चीजें .	२.६	३७८	१४५

देश के बाजारों में प्रचलित मूल्य उपलब्ध नहीं हैं ।

अलौह धातु

†**१३०५. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलौह धातु के संबंध में भारत की कितनी आवश्यकता देशी धातु से ही पूरी हो जाती है ; और

(ख) एक निश्चित अवधि में आयात बंद कर देने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ५०]**

प्रादेशिक विकास

१३०६. श्री भक्त दर्शन : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रादेशिक विकास की समस्याओं पर विचार करके सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल की नियुक्ति कुछ समय पहले की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस दल ने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ग) उसके द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). प्रादेशिक विकास की समस्या पर विचार करने के लिए नवम्बर, १९६० में एक कार्यकारी दल नियुक्त किया गया था । इस दल का काम योजना आयोग को तीसरी पंचवर्षीय योजना की रिपोट में समाविष्ट की जाने वाली नीति यां निर्धारित करने में सहायता देना था । 'संतुलित प्रादेशिक विकास' की समस्या के प्रति जो सामान्य दृष्टिकोण है वह तीसरी योजना के ९ वें अध्याय में बताया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

करांची हवाई अड्डे पर रोके गये भारतीय

†**१३०७. श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७ मार्च, १९६२ को करांची हवाई अड्डे पर तीन भारतीय सिखों को रोक रखा गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके कारण क्या थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां।

(ख) उन्हें रोक रखने का यह कारण बताया गया है कि वे जाली पाकिस्तानी पारपत्रों के आधार पर जो झूठे मुस्लिम नामों के आधार पर प्राप्त किये बताये जाते हैं, पाकिस्तान इन्टरनैशनल एयरलाइन्स हवाई जहाज से लन्दन जाने की कोशिश कर रहे थे।

हरिजनों की लघु और कुटीर उद्योगों सम्बन्धी सहकारी समितियां

१३०८. श्री बाल्मीकी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९५९ से अप्रैल, १९६२ तक छोटे तथा कुटीर उद्योग चालू करने के लिये हरिजनों की कितनी सहकारी समितियां बनाई गई ;

(ख) क्या यह सच है कि इन समितियों को आर्थिक सहायता न के बराबर मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा की मेज पर रख दी जायगी।

पटरी पर बैठने वाले दुकानदारों का पुनर्वास

१३०९. श्री बाल्मीकी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने अप्रैल, १९६२ तक पटरियों पर बैठने वा शरणार्थियों को बसाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) उन्हें अब तक कितनी दुकानें दी गई हैं; और

(ग) वे पूरे तरीके से कब तक बस सकेंगे ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (ग). दूकानदारों का पटरियों पर बैठना दिल्ली की बहुत पुरानी समस्या है। अब तक दिल्ली में विभिन्न वस्तियों में सरकार ने लगभग ११,००० दूकानें और स्टाल बनवाये हैं और लोगों को दिये हैं। दिल्ली में और उसके आस पास अनेक नई बस्तियों में और अधिक दूकानें तथा स्टाल बनाने की योजनाएं इस समय हाथ में हैं, जिनमें बाकी बचे हुए पटरी पर बैठने वाले पात्र दूकान-दारों को स्थान मिल सकता है। यह एक दीर्घ-कालीन परियोजना है और इसे पूरा होने में कुछ वर्ष लग जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में दूसरी योजना के दौरान नियोजन

†**१३१०. श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में नियोजन की समस्या के बारे में कोई समीक्षा राजस्थान सरकार से प्राप्त हुई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : जी नहीं। फिर भी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के संबंध में उनके प्रगति विवरण की एक प्रति अभी हाल में योजना आयोग को भेज दी गयी है।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का बेरूबारी में अवैध-प्रवेश

†**१३११. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या २०० पाकिस्तानी भारत सरकार और पाकिस्तान के बीच १९५४ के करार का उल्लंघन कर अप्रैल, १९६२ के दूसरे हफ्ते में दक्षिण बेरूबारी में घुस आये और भारतीय अधिकारियों तथा पुलिस के विरोध करने पर भी उन्होंने निषिद्ध क्षेत्र में मछली पकड़ना शुरू कर दिया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: १० अप्रैल, १९६२ को कुछ पाकिस्तानियों ने जलपाईगुड़ी जिले के दक्षिण बेरूबारी क्षेत्र में जमना नदी में मछली पकड़ने का प्रयत्न किया। ज्यों ही भारतीय पुलिस दल उस नदी पर पहुँचा वे भाग गये। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व पाकिस्तान सरकार के पास एक विरोध-पत्र भेजा है। सावधानी की कार्रवाई की जा चुकी है और स्थिति अब शांतिपूर्ण है।

कोयला खान के मजदूरों के लिये सस्ते मकान

†**१३१२. श्री भगवत झा आजाद** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कोयला खानों के मजदूरों के लिये सस्ते मकान और बैरक बनाने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(ख) क्या सरकार का इन मजदूरों को कोयला खान श्रम कल्याण निधि से और सुविधायें देने का इरादा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां। एक योजना मंजूर की गई और निर्माण-कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख) जी, हां।

औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिये क्वाटर

†**१३१३. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने एस्टेट आफिस के संग्रह (पूल) से सरकार द्वारा निर्मित क्वार्टर प्रतिरक्षा मंत्रालय के कम वेतन वाले औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को देने के आदेश जारी किये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) प्रतिरक्षा मंत्रालय में कम वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों को दिल्ली, सिमला, बम्बई और कलकत्ता के क्वार्टरों के सामान्य संग्रह से क्वार्टर दिये जा सकेंगे बशर्ते कि वे प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन या प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले मकान प्राप्त न कर सकते हों।

(ख) कर्मचारियों की पूर्ववर्तिता की तिथि के अनुसार मकान दिये जाते हैं। इस प्रकार कर्मचारियों को प्रतीक्षा-सूची में अपने स्थिति के आधार पर सरकारी निवास-स्थान प्राप्त होता है।

बरानगोर में नेताजी कालोनी

†**१३१४. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि २४ परगना (पश्चिम बंगाल) में बरानगोर की नेताजी कालोनी में नगरपालिका ने कोई भी सुविधा देने या विकास करने से इस दलील पर इन्कार कर दिया है कि उसे सरकार ने इस सम्बन्ध में शक्तियां प्रदान नहीं की और निर्देश नहीं दिये और इस कार्य के लिये धन भी नहीं दिया;

(ख) यदि हां, तो इस बस्ती के लोगों को कौनसा निकाय नागरिक सुविधायें प्रदान करेगा; और

(ग) जब कि जमीन सरकारी जमीन है तो वहां के सभी शरणार्थियों को जमीन के आवश्यक दस्तावेज देने और विकास-कार्य को पूरा करने में क्या कठिनाई है?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) नगरपालिकाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में नगरपालिका सेवाओं की व्यवस्था सामान्यतया नगरपालिकाओं की जिम्मेदारी होती है। किन्तु भारत सरकार नगरपालिकाओं को उनकी सीमाओं में स्थित विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में सड़क निर्माण, नालियां बनाना और जल संभरण जैसे विकास कार्यों के लिये ऋण के तौर पर आर्थिक सहायता देती है। यदि बरानगोर नगरपालिका आर्थिक सहायता के लिये आवेदन करे तो उस पर गुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

(ख) विस्थापित व्यक्ति जमीन के कागजात प्राप्त कर सकें इसके लिये उन्हें अपने विस्थापित होने का प्रमाण देना पड़ता है और यह भी प्रमाण देना पड़ता है कि वे १ जनवरी १९५१ के पहले से बस्ती में रह रहे हैं। सभी विस्थापित व्यक्तियों ने ये प्रमाण अब तक प्रस्तुत नहीं किये हैं। राज्य सरकार से विकास-कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके लिये धन मंजूर करने के बारे में विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोहियों की गतिविधियां

†१३१५. { **श्री रिशांग किशिंग :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैन्ड में ग्राम रक्षकों की नियुक्ति किये जाने के बाद से नागा विद्रोहियों ने कितनी बार सुरक्षा सैनिकों, ग्राम रक्षकों तथा उनकी चौकियों पर हमले किये ; और

(ख) विद्रोही नागा कितने शस्त्र और गोला बारूद ले गये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) ग्राम रक्षक बल के गठन के बाद नागा विद्रोहियों ने ग्राम रक्षकों तथा सुरक्षा सैनिकों की बीस चौकियों पर हमले किये ।

(ख) नागा विद्रोही कितने शस्त्र और गोलाबारूद ले गये यह जानकारी देना लोक हित में न होगा ।

त्रिपुरा में औद्योगिक एकक (यूनिट)

†**१३१६. श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में दूसरी पंचवर्षीय योजनावधि में कुल कितने औद्योगिक यूनिट स्थापित किये गये ;

(ख) इन यूनिटों में कुल कितने लोग काम कर रहेहैं ; और

(ग) उपरोक्त नियुक्त लोगों की संख्या योजना के सेवानियोजन लक्ष्य की तुलना में किस प्रकार बैठती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) त्रिपुरा में दूसरी योजनावधि में कुल ३८६ औद्योगिक यूनिट स्थापित किये गये ।

(ख) इन यूनिटों में कुल ३९९१ लोग काम कर रहे हैं।

(ग) योजना का सेवानियोजन लक्ष्य ७० प्रतिशत पूरा हो चुका है ।

दस्तकारी की चीजों की बिक्री

†**१३१७. श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित त्रिपुरा औद्योगिक एम्पोरियम के ज़रिये १९६१–६२ में दस्तकारी की चीजों की बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ख) १९६१–६२ के दौरान इस एम्पोरियम को चलाने में प्रतिवर्ष कितना व्यय किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ५,६१० रु० ।

(ख) ६,२०० रु० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में युरेनियम

†१३१८. { **श्री दी० चं०**
श्री मुरारका शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में युरेनियम के निक्षेप मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो कहां; और

(ग) अब तक कितना युरेनियम निकाला गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). आणविक खनिज विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में जो सर्वेक्षण किये उन से पता चला है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में और विशेषकर उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, डूंगरपुर, और झुंझनूं जिले में यूरेनियम मिलता है । इन में से कुछ निक्षेपों का मूल्यांकन किया जा चुका है और शेष का मूल्यांकन किया जा रहा है । इन सभी निक्षेपों से खनिज नहीं निकाला जाता । यदि परीक्षणों से यह सिद्ध होता है कि खनिज निकालना लाभप्रद है तभी खनिज. निकालने का काम शुरू किया जाता है । राजस्थान के निक्षेपों से अब तक कितना कच्चा यूरेनियम निकाला गया है यह जानकारी देना लोक हित में न होगा ।

निर्यात की गई अदरख और काली मिर्च पर वसूल बिक्री-कर लौटाना

†१३१९. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रामस्वामी मुदलियर समिति के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप अदरख और काली मिर्च व्यापारी सगठन द्वारा निर्यात की गई अदरख और काली मिर्च पर वसूल किये गये बिक्री-कर को लौटाने की मांग की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). जी, हां । किन्तु रामस्वामी मुदलियर समिति ने निर्यात की वस्तुओं पर बिक्री कर वसूल न करने की जो सिफारिश की थी उसकी जांच की जा रही है ।

मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम

†१३२०. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १९६१ के उपबन्धों के कार्यान्वय के लिये नियम नहीं बनाये या इन्स्पेक्टर नियुक्त नहीं किये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने किसी भी राज्य को कोई निदेश दिये हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) निम्नलिखित राज्यों ने अब तक नियम नहीं बनाये किन्तु उन्होंने सूचित किया है कि नियम बनाये जा रहे हैं :—

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मदरास, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, दिल्ली, राजस्थान और आसाम ।

निम्नलिखित राज्यों ने इन्स्पेक्टर नियुक्त किये हैं :—

दिल्ली, मनीपुर, मदरास, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान ।

निम्नलिखित राज्यों से अब तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं:—

मैसूर, अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ।

(ख) जी, हां । मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत नमूने के नियम बनाये गये थे तथा नवम्बर, १९६१ में वे सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों को अपने नियम बनाने में मार्ग-दर्शन के लिये परिचालित किये गये थे और उन से अपने नियमों को जल्दी ही अन्तिम रूप देने के लिये भी कहा गया था ।

कोलार की सोने की खानों के मजदूरों की मजूरी

†**१३२१. श्री काशी नाथ पांडे** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोलार की सोने की खानों के प्रबन्ध में तथा ट्रेड यूनियनों के बीच २१ दिसम्बर, १९६१ को महंगाई भत्ता बढ़ाने के बारे में जो समझौता हुआ उसके फलस्वरूप इन खानों के मजदूरी की मजूरी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : मैसूर सरकार से, जो कोलार स्थित सोने की खानों का नियंत्रण करती है, आवश्यक जानकारी एकत्र की जा रहा है ।

"लास्ट डेज आफ ब्रिटिश राज"

†**१३२२. श्री मे० क० कुमारन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "दी लास्ट डेज़ आफ़ ब्रिटिश राज" के लेखक मिस्टर लेनार्ड मोस्ले ने यह किताब लिखने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री से मुलाक़ात की थी ;

(ख) क्या मिस्टर लेनाडमोस्ले को स्त्ता के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में भारत सरकार के अभिसूख (रिकार्ड) देखने दिये गये थे ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस पुस्तक के उन अंशों की ओर गया है जिन में कहा गया है कि आज़ाद हिन्द फौज़ के नेता अवसरवादी और अपराधी थे जिन्होंने अपने देशभाइयों को यातनायें दीं, उन्हें पीटा और उनकी हत्या कर दी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां । मिस्टर लेनार्ड मोस्ले ने १० मार्च, १९६२ को प्रधान मंत्री से मुलाक़ात की थी । यह मुलाकात बहुत संक्षिप्त थी ।

(ख) मिस्टर मोस्ले को यह पुस्तक लिखने के लिये कोई विशेष सुविधायें प्रदान नहीं की गई ।

(ग) जी, नहीं । हम ने अभी यह पुस्तक पढ़ी नहीं और न वह यहां उपलब्ध ही है ।

तीसरी योजना के अन्तर्गत बड़े नये उद्योग

†१३२३. **श्री दाजी :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ह० प० चटर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कौन से बड़े नये उद्योगों की स्थापना की संभावना है ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) : तीसरी योजना में शामिल की गई परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

†१३२४. **श्री इलयापेरुमाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० से १९६१ तक के वर्षों में मदरास से जापान को कितने सलेम लोह अयस्क का निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** कोई निर्यात नहीं किया गया ।

आन्ध्र प्रदेश में कोयला क्षेत्रों सम्बन्धी उप-समिति

†१३२५. **श्री प० कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के कोयला क्षेत्रों सम्बन्धी उप-समिति के अप्रतिनिधिक होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाक्साइट का उत्पादन

†१३२६. **श्री दिगे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों मे से प्रत्येक वर्ष बाक्साइट का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में कितने बाक्साइट का निर्यात किया गया ;

(ग) उपरोक्त अवधि में अलुमीनियम निकालने और अलुमीनियम के उत्पादन के लिये कितना बाक्साइट काम में लाया गया ; और

(घ) भारत को प्रति वर्ष कितने अलुमीनियम की आवश्यकता होती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]** ।

मैसूर में रंगीन फिल्म बनाने का कारखाना

†१३२७. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में माण्डय में रंगीन फिल्म बनाने का एक कारखाना खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस उद्योग का लाइसेंस दिया जा चुका है; और

(ग) लाइसेंस किसे दिया गया है तथा उसके सहायक, यदि कोई हों तो, उनके नाम क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी

१३२८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में एक स्थायी प्रदर्शनी की स्थापना का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके क्रम में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मथुरा रोड, नई दिल्ली के प्रदर्शनी स्थल को भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने १ मई, १९६२ को ही खाली किया है। इस स्थान पर स्थायी प्रदर्शनी की तैयारी का काम शीघ्र ही शुरू किया जायेगा । स्थायी प्रदर्शनी की स्थापना करने के बारे में कितनी प्रगति हो चुकी हैं यह अभी निश्चित रूप से बता सकना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के चाय बागानों में बकाया मजूरी

†१३२९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के ५१ चाय बागानों के मालिकों के पास बागानों के मजदूरों की बकाया मजूरी की कितनी राशि है; और

(ख) बागानों में मजूरी बकाया न रहे इसके लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) ३६१ रुपये ८४ नये पैसे ।

(ख) यह बकाया मजूरी त्रिपुरा के ५६ बागानों में से केवल एक बागान में है और वह जल्दी ही दिये जाने की आशा है ।

सातवां ग्रीष्म नाटक समारोह

†१३३०. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवें ग्रीष्म नाटक समारोह में कुल कितने दलों ने भाग लिया ;

(ख) क्या समारोह में किन्हीं गैर-सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया; और

(ग) समारोह पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) कुल १५ दलों ने भाग लिया ।

(ख) आठ गैर-सरकारी संगठनों ने भी भाग लिया ।

(ग) समारोह १५-५-१९६२ को समाप्त हुआ इसलिये व्यय के निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

जूतों का निर्यात

†१३३४. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थानी पगरखी के निर्यात से विदेशीमुद्रा कमाने की संभावना पर विचार किया है ;

(ख) सरकार विदेशों में राजस्थानी पगरखियों को लोकप्रिय बनाने और राजस्थान में पगरखियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये कोई कदम उठाना चाहती हो तो वे क्या हैं; और

(ग) चमड़ा पकाने व उसे रंगने तथा पगरखियों और इस प्रकार की अन्य वस्तुओं के जोधपुर में उत्पादन के लिये, जो इस प्रकार के काम के लिये एक मुख्य केन्द्र रहा है, मजदूरों तथा सहकारी समितियों को क्या प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). सरकार ने सामान्यतः, जूतों, चप्पलों आदि, जिनमें पगरखियां शामिल हैं, के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक कदम उठाये हैं। विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों और मेलों में पगरखियों का प्रदर्शन किया गया है। राज्य सरकार ने पगरखी निर्माताओं को प्रविधिक, आर्थिक और विपणन सम्बन्धी सहायता दी है तथा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रचार किया है।

(ग) राज्य सरकार इस प्रयोजना के लिये लोगों को तथा सहकारी समितियों को ऋण दे रही है।

भारत में बने मिट्टी के बर्तनों आदि का निर्यात

†**१३३५. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय मिट्टी के बर्तनों का निर्यात करने की संभावना का पता लगा रही है ;

(ख) क्या आजकल भारतीय मिट्टी के बर्तनों का विदेशों को निर्यात होता है; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों को और कितने मूल्य के बर्तनों का निर्यात होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग). भारत से मिट्टी के बर्त्तनों का निर्यात विशेषकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईराक, बर्मा, लंका, अदन, कीनिया, अमरीका और ब्रिटेन को होता है। वर्ष १९५९, १९६० और १९६१ में इन उत्पादों का निर्यात क्रमानुसार १.९३, १.०२ और २.५७ करोड़ हुआ ?

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†**१३३६. { श्री काशीनाथ पांडे :**
श्री मूलचन्द दुबे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य कर्मचारी बीमा योजना की सुविधा बीमाकृत मजदूरों के परिवारों को कितने वर्ष बाद दी गई है ; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधा कितने परिवारों को प्राप्त है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) वर्ष १९५८ से राज्य कर्मचारी बीमा योजना की सुविधा विभिन्न क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को क्रमवद्ध रूप में दी जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य	(सुविधाप्राप्त परिवार) (३०-४-६२ तक)
आन्ध्र प्रदेश	५६,६५०
असम	४,२००
बिहार	४०,९५०
संघ प्रशासित दिल्ली राज्यक्षेत्र	६१,०००
केरल	३,२००
मध्य प्रदेश	८०,८००
मद्रास	३६,६५०
महाराष्ट्र	५,८०,५४५
मैसूर	७७,६००
उड़ीसा	२३,०००
पंजाब	६८,१००
राजस्थान	२८,४५०
उत्तर प्रदेश	१,५१,२००
योग	१२,१२,३४५

भविष्य निधि

†१३३७. **श्री चाण्डक** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के बनने से पहिले मालिकों के पास समस्त एकत्रित भविष्य निधियों को पुनः ले लिया है ;

(ख) कितने मालिकों ने अभी निधि सरकार को नहीं दी है और उसमें कितनी राशि है; और

(ग) सरकार धन न देने वालों से धन प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र पटल पर रख दी जायेगी ।

नई दिल्ली स्थित भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के वेतन-क्रम

†१३३९. **श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली के कुछ वर्गों के कर्मचारियों के वेतनक्रम वर्ष १९४७ से १९५८ की अवधि में संशोधित किये गये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे पद किस श्रेणी के हैं और संशोधन से पहले तथा बाद में उनके वेतन-क्रम क्या थे; और

(ग) यह संशोधन किस तारीख से लागू किया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ग). श्रेणियों की संख्या बहुत बड़ी है। वर्ष १९४९ से १९५८ तक कुछ श्रेणियों के वेतन-क्रम संशोधित हुए थे। इन सब श्रेणियों के बारे में लगभग दस वर्ष की अवधि के लिए जानकारी एकत्रित करना संभव नहीं है। यदि किसी श्रेणी-विशेष के बारे में जानकारी चाहिये तो जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

नई दिल्ली स्थित भारत सरकार मुद्रणालय में पदों की श्रेणियां

†**१३४०. श्री नम्बियार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में पदों के कौन-कौन वर्ग निम्न वर्गों में आते है :—

(१) अकुशल

(२) अर्ध कुशल

(३) कुशल

(४) अधिक कुशल

(५) प्रशिक्षित निरीक्षक।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में पदों का ऐसा कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं हुआ है जैसा कि कुशलता के आधार पर भारत सरकार के अन्य मुद्रणालयों में भी नहीं हुआ है।

नई दिल्ली स्थित भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों की वर्दियां

†**१३४१. श्री नबिम्यार** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में किस श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियां आदि दी जाती है ;

(ख) क्या किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दियां आदि देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) जिन्हें वर्दियां दी जाती हैं उन्हें धुलाई भता किस दर से दिया जाता है

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली में निम्न कर्मचारियों को वर्दियां आदि दी जाती हैं :—

कार्यालय दफतरी, चपरासी, फराश, चौकीदार, दरवान, भंगी, रिकार्ड-सप्लायर, मेडिकल आर्डरलीज, भिश्ती, नौकर-और सशस्त्र रक्षक।

(ख) उन सब कर्मचारियों को, जिन्हें वर्दियां पाने के लिए पात्र समझा गया था, उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सूचित में शामिल किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) धुलाई-भत्ता कार्यविधि में १ रु० प्रतिमास की दर से दिया जाता है।

केरल का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†**१३४२. श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को केरल के प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). नहीं, श्रीमान। केरल सरकार के प्रार्थना करने पर राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् ने वर्ष १९६०-६१ में केरल का प्राविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया था। परिषद् ने सितम्बर, १९६१ में केरल सरकार को प्रारम्भिक रिपोर्ट दी थी। आशा है कि शीघ्र ही पूर्ण रिपोर्ट केरल सरकार को दी जायेगी।

चन्दन के तेल का निर्यात

†**१३४३. श्री सुबोध हंसदा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्दन के तेल का अधिकतर उत्पादन प्रति वर्ष विदेशों को निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६१-६२ में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) वर्ष १९६१-६२ के ११ महीनों (अप्रैल, १९६१ से फरवरी १९६२ तक) में १.८२ करोड़ रु०।

(ग) अधिकतर चन्दन का तेल मद्रास और मैसूर राज्यों में प्राप्त चन्दन की लकड़ी से बनाया जाता है। दुर्भाग्यवश चन्दन की लकड़ी उस किस्म की है जो प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होती है और किसी भी मात्रा में उगाई नहीं जा सकती। फिर भी, राज्य प्राधिकारियों ने अधिक उत्पादन और स्तर बनाये रखने की योजना बनाई है।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियां

†**१३४५. श्री जेधे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना काल में महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी औद्योगिक बस्तियां और कहां कहां बनाई जायेंगी;

(ख) योजना के प्रथम वर्ष में कौन-कौन और कहां कहां औद्योगिक बस्ती बनी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ३१ मार्च, १९६२ तक कितना व्यय हुआ; और

(घ) वर्ष १९६२–६३ में बनने वाली औद्योगिक बस्तियां किस-किस नये स्थान पर बनेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]**

महाराष्ट्र में सरकारी उद्योग

†**१३४६. श्री जेधे**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में महाराष्ट्र राज्य में सरकारी क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित होंगे ;

(ख) उनके नाम और प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं ;

(ग) उनके लिये कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(घ) इन उद्योगों में सहयोग करने वाले विदेशों के क्या नाम हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]**

पूना में 'पावर एल्काहल' उद्योग

†**१३४७. श्री जेधे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला पूना में 'पावर एल्काहल' उद्योग स्थापित करने के लिये किस स्थान का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) कम्पनी का क्या नाम है और वह गैर-सरकारी या सहकारी है; और

(ग) उद्योग किस वर्ष पूरा होगा और उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). मेंसर्स पाली चेम लि०, बम्बई को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एल्काहल बनाने के लिये लाइसेन्स दिया गया है। यह एक गैर-सरकारी पार्टी है और वे जिला पूना में (महाराष्ट्र राज्य) में नीरा में अपनी डिस्टलरी बनायेंगे और उस पर ३० लाख रु० व्यय होंगे। आशा है कि इस कारखाने में इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

महाराष्ट्र में प्रसारण केन्द्र

†**१३४८. श्री जेधे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंच वर्षीय योजना में महाराष्ट्र राज्य में कितने और कहां कहां प्रसारण केन्द्र स्थापित होंगे ;

(ख) प्रसारण केन्द्रों के लिये स्थानवार कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक केन्द्र की क्षमता कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) से (ग). तीसरी पंचवर्षीय योजना में महारष्ट्र राज्य में निम्नलिखित पांच मीडियम वेव के रिले ट्रांसमीटर लगाने का विचार है :—

केन्द्र का नाम		शक्ति किलोवाट में	ट्रांसमीटर प्राजेक्ट की अनुमानित लागत
		(किलोवाट मी० वे०)	(लाख रु०)
१. संगली		२०	१३
२. परमनी		२०	१३
३. पूना	. . .	२०	६
४. पूना	हल्के गानों को रिले करने के लिये	१	१
५. नागपुर		१	१

इसके अतिरिक्त आकाशवाणी के विदेशों के लिये कार्यक्रम के लिये ५० किलोवाट का शार्ट वेव का एक ट्रांसमीटर भी बम्बई में लगाया जा रहा है जिस पर ९.८२ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है ।

दण्डकारण्य में स्लीपर उद्योग

†**१३४९. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास उद्योग निगम ने दण्डकारण्य में एक स्लीपर उद्योग स्थापित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) दण्डकारण्य में अब तक कौन कौन उद्योग स्थापित हुए हैं या कार्य करना आरम्भ कर दिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) हां ।

(ख) (१) बढ़ईगिरी सहित लकड़ी का काम ;

(२) हथकरघा बुनाई ;

(३) बांस की डलिया और चटाई बनाना ;

(४) अम्बर चर्खा योजना; और

(५) धान कूटना ।

अहमदपुर में नेशनल शुगर मिल में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

†१३५०. **श्री दिनेन भट्टाचार्य :**
डा० सरादीश राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदपुर (पश्चिम बंगाल) में नेशनल शुगर मिल को पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये ऋण और अनुदान दिया गया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या शर्तें हैं; और

(ग) वहां कितने विस्थापित व्यक्ति लगे हैं और उनका प्रतिशत क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

काफी का उत्पादन और निर्यात

†**१३५१. श्री राजा राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में काफी का कुल कितना उत्पादन हुआ और उसी अवधि में कितनी मात्रा निर्यात करने की अनुमति दी गई ;

(ख) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में फसल की क्रमानुसार कैसी हालत थी; और

(ग) क्या अधिक निर्यात होने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**:(क) और (ख). वर्ष १९६१–६२ की फसल में लगभग ४१,००० मीट्रिक टन काफी के उत्पादन होने का अनुमान है जबकि वर्ष १९६०–६१ में रिकार्ड उत्पादन लगभग ६८,००० मीट्रिक टन हुआ था । वर्ष १९६१–६२ में उत्पादन में एकदम कमी होने का कारण यह है कि पिछले वर्ष दक्षिण भारत में असाधारण भारी वर्षा होने से काफी की फसल बरबाद हो गई थी । वर्ष १९६१–६२ में निर्यात के लिए अस्थायी मात्रा २०,००० मीट्रिक टन की है ।

(ग) हां, श्रीमान् । परन्तु शर्त यह है कि निर्यात होने योग्य काफी का अधिक उत्पादन हो ।

नेफा को विमान से खाद्य पदार्थ भेजना

†**१३५२. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रति वर्ष विमान से कितना और कितने मूल्य का खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुयें नेफा भेजी गईं; और

(ख) क्या उस क्षेत्र में अधिक अन्न उपजाओ की देख भाल करने के लिए कोई पृथक विभाग है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी को विमान से भेजे गये खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के आंकड़े निम्न हैं :—

वर्ष	टन (हजार में)	विमान भाड़े के लगभग अनुमान
१९५७	७३	१३ लाख रु०
१९५८	८८	१५ लाख रु०
१९५९	१०२	१८ लाख रु०
१९६०	९८	१७ लाख रु०
१९६१	१०३	१८ लाख रु०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कृषि तथा सामुदायिक विकास निदेशालय एजेन्सी में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है ।

पटसन के रेशे का निर्यात

†१३५३. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत से निर्यात होने वाले पटसन के रेशे को फिलिपाइन्स में यंत्रीकृत कारखानों में केले के पौदे से बनने वाले रेशे से खतरे का सामना करना पड़ रहा है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** नहीं, श्रीमान् । पिछले दो वर्षों से पटसन का रेशा निर्यात करने की अनुमति नहीं दी गई है । थोड़ी मात्रा में निर्यात करने का विशेषकर निम्न श्रेणी के पटसन और मेस्टा का निर्यात अब पुनः आरम्भ करने का विचार है । आजकल किसी अन्य सूत से मुकाबला होने का भय नहीं है ।

हथकरघा उत्पादों का निर्यात

†१३५४. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य बढ़ जाने के कारण हथकरघा उत्पादों का निर्यात कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे यह उत्पाद निर्यातकर्त्ता प्रतिद्वन्द्वी दरों पर बिक सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) निर्यात कम मूल्य बढ़ जाने के कारण नहीं हुए हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अल्युमीनियम केबल्स एण्ड कन्डक्टर्स लिमिटेड, कलकत्ता

†**१३५५. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स अल्युमीनियम केबल्स एण्ड कन्डक्टर्स (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता के डायरैक्टर कौन कौन हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में लघु औद्योगिक एकक

†**१३५६. श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में पजाब के पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में कितने लघु औद्योगिक एकक स्थापित किये गये थे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कहां कहां पर स्थापित किये गये थे; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितने छोटे पैमाने के उद्योग, कहां पर तथा कब तक, स्थापित होंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है ।

लघु उद्योग

१३५७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग स्थापित करने के लिये जनवरी, १९५५ से जनवरी, १९६२ तक कितनी धन राशि दी गई है;

(ख) इस धन राशि से किस किस्म के उद्योग स्थापित किये गये और कहां-कहां पर; और

(ग) यह धन राशि कितनी फर्मों तथा कम्पनियों को दी गयी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) से (ग). एक विवरण साथ में नत्थी है ।

विवरण

(क) १९५५–५६ से १९६१–६२ तक राज्य सरकारों को निम्नलिखित राशियां मंजूर की गई हैं :—

अनुदान	१०५२.४० लाख रु०
ऋण . .	२२३७.६७ लाख रु०
योग . .	३२९०.०७ लाख रु०

कलेण्डर वर्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार लघु उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान देती है । राज्य सरकारें अपने यहां के उद्योगों को सहायता देने के अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत व्यक्तियों आदि को ऋण देती हैं । देश के विभिन्न स्थानों में स्थापित किये गये लघु उद्योग तथा जिन पार्टियों को ऋण मंजूर किये गये हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है । इसलिये यहां उन सब की गणना कर सकना सम्भव नहीं है ।

'तकुओं' का आवंटन

†**१३५८. श्री राजगोपाल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ 'तकुओं' को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के स्थान पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया जायेगा;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने 'तकुए' हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल कितने तकुए उपलब्ध हो जायेंगे;

(ग) राज्यवार 'तकुओं' के आवंटन के लिए कितने अभ्यावेदन मिले और राज्यवार उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) राज्य सरकारों की सिफारिशों के अनुसार लाइसेंसों को जारी करने में और राज्य सरकारों को पुनर्विचार के लिए अभ्यावेदन वापस देने के लिए किस कारण विलम्ब किया गया; और

(ङ) किन मामलों में अभ्यावेदन पुनर्विचार के लिए वापस किये गये थे तथा क्या यह राज्य सरकार की इच्छानुसार किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) ३,७८,८५६ 'तकुए' दूसरी योजना से तीसरी पंचवर्षीय योजना में 'अग्रनीत' हुए। इसके अतिरिक्त यह निर्णय किया गया था कि तीसरी योजना में ३० लाख और 'तकुओं' के लाइसेंस दिये जायें। इस प्रकार कुल 'तकुए' ३३,७८,८५६ हुए।

(ग) एक विवरण संबद्ध है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]**

(घ) बड़ी संख्या में लाइसेंस दिये जा चुके हैं। शष अभ्यावेदनों पर प्रविधिक दृष्टिकोण से विचार किया जा रहा है। राज्य सरकारों को कोई अभ्यावेदन नहीं लौटाया गया था क्योंकि कुछ बातों का स्पष्टीकरण करने के लिए राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार हो रहा है।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर के आधार पर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

निर्यात लाइसेंस

†**१३५९. श्री जेधे** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम और काजू का निर्यात करने के लिये निर्यात लाइसेंस जारी किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह किन शर्तों पर जारी किए गए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). आम और काजू पर निर्यात नियन्त्रण नहीं है। यह आयात और निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम के अधीन विनियमनों में भी नहीं आते हैं और इसीलिये इनकी सभी स्थानों पर बिना रोक टोक निर्यात किया जा सकता है। परन्तु (कच्चे) काजू के निर्यात पर नियन्त्रण है केवल काजू (केरनाल) का ही बिना रोक टोक निर्यात हो सकता है। जो 'काजू' कहलाता है।

रुद्रामपुर में कल्याण केन्द्र का भवन

†**१३६१. श्री प० कुन्हन** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुद्रामपुर, कोठागुडियम, सिगरेनी कोयला खानों में कल्याण केन्द्रों के भवनों के निर्माण में दो वर्ष की देर हो गई है ;

(ख) क्या निर्माण में शीघ्रता करने के लिये कोई अभ्यावेदन मिला है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो निर्माण कब आरम्भ होगा और कब पूरा हो जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) आवश्यक भूमि का कोयला खान कम्पनियों को हस्तांतरण न होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है ।

(ख) जी हां ।

(ग) कोयला खान कम्पनियों को भूमि दिये जाने के बाद निर्माण आरम्भ होगा । काम आरम्भ हो जाने के छः महीने में काम खत्म हो जायेगा ।

राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए आवास योजना

†**१३६२. श्री महेश्वर नायक** : क्या **निर्माण आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिसके अधीन राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये अनुदान दिया गया और यह मकान कर्मचारियों को किराये पर दिये जायेंगे ;

(ख) यह योजना निम्न और मध्यम आय वर्ग आवास योजना से किस प्रकार भिन्न है ;

(ग) गत वर्ष विभिन्न राज्यों को दिये गये अनुदान के व्यौरे क्या हैं ; और

(घ) क्या संघ सरकार ने अनुदान मिलने वाले प्रत्येक राज्य से इसकी प्रगति का पता लगाया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां ।

(ख) जबकि निम्न और मध्यम आयवर्ग आवास योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि सामान्य जनता का अपना मकान हो जाये तभी भाग (क) में वर्णित योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि मकान राज्य सरकारों के कर्मचारियों को किराये पर दिये जायें ।

(ग) और (घ). राज्य सरकारों को दिया गया ऋण तथा प्रगति का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

हुगली नदी के पोत चालकों द्वारा काम बन्द कर दिये जाने के बारे में वक्तव्य

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: कलकत्ता बन्दरगाह में हुगली नदी के पोत चालकों द्वारा काम न करने से उत्पन्न स्थिति १५ दिनों से बनी हुई है जिसके फलस्वरूप जहाजों का आवागमन अपेक्षाकृत धीमी गति से हो रहा है । ३ मई से १५ मई १९६२ के बीच जो जहाज इस बन्दरगाह से बाहर गये उनकी संख्या २० और जो जहाज इस बन्दरगाह में आये उनकी संख्या २२ है ।

प्राधिकारी इस बात की शीघ्र से व्यवस्था कर रहे हैं कि बन्दरगाह में जहाजों का आना जाना तेजी से हो सके और इस प्रकार जो काम में कमी आयी है वह पूरी हो सके । इस कार्य के लिये अवकाश प्राप्त पोत चालकों, अर्हता प्राप्त मास्टर मैरीनर्स तथा नौवहन कर्मचारियों की सेवाओं का तदर्थ उपयोग किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

इस समय केवल २८ पोत चालक काम कर रहे हैं जबकि इसके पूर्व ४६ पोत चालक कार्य किया करते थे। इस कारण नौवहन तथा व्यवसायिक हितों पर आघात हुआ है जो ऐसी स्थिति में अनिवार्य था तथापि जिसके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं।

उन ५० पोत चालकों में से जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है १९४८ के पहिले के ११ पोत चालक हैं न कि २ या ३ जैसे कि पहिले कहा गया था।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : मन्त्री महोदय ने १२ ता० को जो वक्तव्य दिय था उसके सम्बन्ध में मुझे यह पूछना है कि १५ और १६ मार्च १९४८ को जो बैठक हुई थी तथा जिसमें पोत चालकों के निबन्धनों और शर्तों के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से फैसला हुआ था, क्या वह केवल अंग्रेजी पोत चालको के निबन्धन और शर्तों को तय करने के लिये ही नहीं थी ?

†**श्री राज बहादुर** : १५ और १६ मार्च १९४८ को हुई बैठक की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें बंगाल पोत चालन सेवा की समस्याओं पर चर्चा हुई थी। तथा उसमें भारतीय और यूरोपीय पोत चालकों के बीच विभेद का कोई प्रश्न नहीं था। पोत चालकों के चार वर्ग हैं। १९२७ के पूर्व नियुक्त हुए सेक्रेटरी आफ स्टेट सेवाओं के पोत चालक, १९२७ के पूर्व नियुक्त गवर्नर जनरल की परिषद् द्वारा नियुक्त पोत चालक, तीसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो कि १९२७ से १९३१ के बीच नियुक्त हुए। चौथे वर्ग में वे लोग आते हैं जो कि १९३१ के बाद नियुक्त हुए। इन सभी वर्गों के लिये वेतन और निवृति वेतन निबन्धनो और शर्तों पर चर्चा हुई। उस पर अंग्रेज और भारतीय पोत चालकों की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने अपने-अपने हस्ताक्षर भी किये।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या यह बात सच नहीं है कि यदि पोत चालकों की मांगें स्वीकार की जातीं तो प्रतिवर्ष ४०,००० रु० और अधिक व्यय करने होते जबकि आजकल सरकार को ४०,००० प्रतिदिन का घाटा सहना पड़ रहा है ?

†**श्री राज बहादुर** : ऐसी बात नहीं है कि काम ठप्प हो रहा है। बल्कि ४० प्रतिशत काम चल रहा है। वास्तविक प्रश्न पोत चालकों की मांगें स्वीकार हो जाने पर अतिरिक्त वित्तीय भार के सम्बन्ध में नहीं था, अपितु प्रश्न यह है कि क्या इस विशेष सेवा को ऐसे वेतन क्रम दिये जा सकते हैं जो कि अन्य समुद्री नौवहन सेवाओं में उपलब्ध नहीं हैं ?

हुगली नौवहन सेवाओं में सबसे ज्येष्ठ अधिकारियों अर्थात् हार्बर मास्टरों को २७०० रु० और सहायक हार्बर मास्टों को २२०० रु० मिलते हैं यदि सरकार पोत चालकों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करेगी तो सम्भवत: सहायक पोत मास्टर इसके विरुद्ध आवाज उठायेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मेरे विचार से हुगली के पोत चालकों की मांग का केवल मात्र आधार एक है वह यह कि उन्हें भारत सरकार के अधीन सेवा में ले लिया जाये। इसकी विपरीत सरकार बाहर से आदमी लाकर स्थिति को और भी बिगाड़ रही है ?

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : सरकार पोत चालकों के साथ सहायक हार्बर मास्टरों का मामला भी क्यों नहीं लेती है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रश्न पर पहिले लोकुर समिति ने विचार किया। तदन्तर यह मामला श्री गुह राय को सौंपा दिया गया। इसके बाद जब उन्होंने कुछ अभ्यावेदन दिये तो उसे विशेष समिति

---

†मूल अंग्रेजी में

को सौंप दिया गया। हमारे लिये यह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है अपितु हम इस पर पूर्ण गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रहे हैं।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : क्या कलकत्ता पत्तन में जहाजों का जमाव देखते हुए सरकार इन पोत चालकों से बातचीत करने का कोई दूसरा तरीका निकाल रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : आधे घंटे की चर्चा के दौरान मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हुगली पोत चालकों की वेतन वृद्धि का प्रश्न तथा संविधान सभा द्वारा पारित किये गये अधिनियम को रद्द करना, दो पृथक् चीजें हैं इनके अलावा हम अन्य बातों पर बातचीत करने को तैयार हैं।

समिति के लिये निर्वाचन

काफी बोर्ड

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४ की उपधारा (२) (ख) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उस उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित कहवा बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४ की उपधारा (२) (ख) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उस उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित कहवा बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की मांगें—जारी

खान और ईंधन मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब खान और ईंधन मंत्रालय की मांग संख्या ७६, ७७, ७८ और १३३ पर चर्चा आरम्भ करेगी।

वर्ष १९६२-६३ के लिये खान और ईंधन मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७६	खान और ईंधन मन्त्रालय	२२,०३,०००
७७	भूतत्वीय सर्वेक्षण	२,७३,४६,०००
७८	खान और ईंधन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	१०,५६,१७,०००
१३३	खान और ईंधन मन्त्रालय का पूंजी व्यय	६२,१९,०५,०००

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : यह प्रसन्नता का विषय है कि खान और ईंधन मंत्रालय को, मंत्रिमंडल के मंत्री के पद के एक मंत्री के अधीन रखा गया है। उससे यह बात प्रगट होती है कि सरकार ने इसका महत्व समझ लिया है।

मेरे विचार से वह दिन दूर नहीं है जब कि भारत तेल और तेल पदार्थ में स्वावलम्बी हो जायेगा और वह विदेशी मुद्रा जिसे हम इस काम में व्यय कर रहे हैं बच जायेगी।

यह प्रसन्नता का विषय है कि सरकारी क्षेत्र तेल में तीन तेल शोधनशालाओं की स्थापना की जा रही है। नूनमती शोधन शाला का उद्घाटन किया जा चुका है बरौनी शोधनशालाओं की स्थापना १९६३ में की जाने वाली है। गुजरात में कोयाली स्थान पर एक अन्य शोधनशाला की स्थापना की जायेगी।

जहां तक नूनमती शोधन शाला का प्रश्न है पहिले यह अनुमान किया गया था कि वह शोधन-शाला जल्दी ही उत्पादन आरम्भ करेगी तथापि उत्पादन में विलम्ब का कारण यह नहीं है नल डालने में विलम्ब हुआ, अपितु इसका कारण यह है कि मिट्टी तेल और अशोधित तेल के एकक डालने में विलम्ब हुआ। यह सारी प्रक्रिया जनरेटिंग प्लांट के खराब होने के कारण हुई। इस कारण आसाम बिजली बोर्ड आवश्यक मात्रा में बिजली का संभरण नहीं कर सका। इसका एकमात्र उपचार यह है कि शोधन शाला का अपना बिजली उत्पादन संयंत्र होना चाहिये जो कि शोधनशाला को आवश्यक मात्रा में बिजली का संभरण कर सके।

आशा है कि बरौनी शोधनशाला को कलकत्ता और दिल्ली से मिलाने वाली लाइन अनुसूची के अनुसार बन कर तैयार हो जायेगी। मेरा सुझाव है कि गुजरात से बम्बई तक एक अन्य पाइपलाइन डाली जाये जिससे कि गुजरात का अशोधित तेल बम्बई ले जाकर साफ किया जा सके।

वस्तुत तेल की कीमतों में जो कमी हुई थी वह तेल पर उत्पादन शुल्क लगाने से निरर्थक साबित हुई है।

भारत के कई क्षेत्र में तेल मिलने की काफी संभावनायें है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को जैसलमेर, उड़ीसा के तटीय प्रदेश और गोदावरी वेसिन में तेल की खोज गम्भीरता पूर्वक करनी चाहिये।

जहां तक कोयले के संभरण का प्रश्न है स्थिति असंतोषजनक है। वस्तुत: कोयले के उत्पादन और उसके संभरण में कोई समन्वय नहीं है। कोयले का उचित संभरण न होने के कारण ही देश में औद्योगिक उपक्रमों के उत्पादन पर आघात हुआ है। इससे देश के औद्योगिक विकास पर धक्का लगा है कोयले के उत्पादन में भी कमी हुई है। कोयले की उत्पादन वृद्धि करने के लिये जो भी कार्यवाही अभी तक सरकार की ओर से हुई है वह उत्साहवर्द्धक नहीं है। उत्पादकों ने कोयले का उत्पादन इसलिये कम कर दिया कि खानों पर अभी बहुत कोयला पड़ा हुआ है। जब कि कई स्थानों पर कोयला उपलब्ध ही नहीं है। तालचेर और सिलगुड़ा में जो कोयले की खोज का काम चल रहा है उसे सरकारी क्षेत्र में लिया जाना चाहिये।

कोयले के साथ साथ मेंगनीज अयस्क के निर्यात का प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विदेशों में हमें अपनी मैंगनीज के लिये अच्छा बाजार ढूंढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि इसके निर्यात को प्रोत्साहन मिले।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश से लोह अयस्क के निर्यात की वृद्धि के लिये परादीप पत्तन का उचित विकास करना आवश्यक है। इस संबंध में हमने विदेशों के साथ जो संधियां या व्यापारिक समझौते किये हैं उनका पालन करना चाहिये ।

†**श्री उमानाथ** (पुछ कोई) : मैं लिग्नाइट के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । लिग्नाइट परियोजना को निर्धारित तिथि तक समाप्त करना ही चाहिए। इससे अतिरिक्त लिग्नाइट परियोजना का विस्तार उत्साहजनक है । यदि हमारी विद्युत उत्पादन की क्षमता २५०,००० किलोवाट से ४००,००० किलोवाट हो जाय तो यह बात स्वागत योग्य है । इस बारे में परियोजना की लागत के प्राक्कलनों की जो निरन्तर वृद्धि हो रही है वह असन्तोष का मामला है । प्रारम्भिक ६८ करोड़ रुपये के लक्ष्य को पहले तो बढ़ा कर ९४ करोड़ रुपये कर दिए गया और अब उसे ११२.६७ करोड़ रुपये कर दिए गया है । इस वृद्धि की दिशा में यह पुनर्विर्तन प्राक्कलन समिति के हस्तक्षेप के बावजुद किया गया हैं । मेरी यह मांग है कि इस मामले की जांच के लिए एक उच्च सत्ता आयोग स्थापित किया जाय । बढ़ रहे प्राक्कलन से विभिन्न उत्पादित वस्तुओं की उत्पादन लागत के बढ़ने की सम्भावना बनी रहेगी तथा किसी क्रम पर स्वयं परियोजना के जारी रखने पर ही आपत्ति की जा सकेगी ।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

अन्त में मैं मूल्यों के प्रश्न पर आता हूं । यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । यदि मूल्यों को किसी स्थिर स्तर पर न रोका गया तो गैर सरकारी क्षेत्र मूल्य स्तर को सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को नष्ट करने के प्रयोजन के लिए काम में ला सकेगा ।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि यह खेद की बात है कि लिग्नाइट परियोजना के सम्बन्ध में अनुमान लगाने का कार्य एक ब्रिटिश फर्म को दे दिया गया है । यह भी मालूम हुआ है कि इस फर्म को इस विषय का बिल्कुल कोई अनुभव नहीं । सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस मामले का किसी भी प्रकार के राजनीतक दबाव से काम नहीं लिया जायेगा । मद्रास के तटीय क्षेत्रों और कावेरी के डेल्टे में तेल की खोज के काम में विलम्ब के बारे में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । सरकार को दक्षिण में एक तेल साफ करने का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए ।

†**श्री प्र० च० बरुआ (शिवसागर)** : हमारे समक्ष जो खान तथा ईंधन मंत्रालय का प्रतिवेदन है उससे पता चलता है कि १९६०-६१ में देश भर में कोयले का उत्पादन ५४६ लाख टन था और १९६१-६२ में भी लगभग स्थिति यही रही। गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पादन ४४५ लाख टन बढ़ा जब कि सरकारी क्षेत्र की वृद्धि केवल ९० लाख टन थी । दूसरी योजना में कोयला उत्पादन का लक्ष्य ६०० लाख टन रखा गया था, जिसमें ६० लाख टन की कमी रह गयी । गैर सरकारी क्षेत्रों में अपना निर्धारित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लिया । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमें ९५० लाख टन कोयले की आवश्यकता होगी । तीसरी योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह गत अनुभव को देखते हुए बहुत अधिक है । गैर सरकारी क्षेत्र ने इस दिशा में जो सफलता प्राप्त की उसे देखते हुए उसे समुचित विकास के अवसर दिये जाने चाहिए । यह इस लिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार तीसरी योजना मे कोयला उत्पादन का लक्ष्य बढ़ा कर ९५० लाख टन कर रही है ।

इस बारे में एक और बात भी हमको समझ लेनी चाहिए कि केवल उत्पादन से ही काम नहीं चलता हमें मुनासिब परिवहन की भी व्यवस्था करनी होगी । इस समस्या की चर्चा तो प्राय रोज ही

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० चं० बरुआ]

सदन में हो जाती है। खान और ईंधन मंत्री इस बात की जिम्मेदारी रेलवे मंत्री पर डाल देते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। कोयला क्षेत्रों से दूर के उद्योगों को तेल के प्रयोग का जो सुझाव दिया गया है। उसके लिए मेरा कहना यह है कि भट्टी के तेल का शुल्क समाप्त कर देना चाहिए ताकि कोयला क्षेत्रों से दूर तक के कारखाने उसे वैकल्पिक ईंधन के रूप में काम में ला सके। इससे कोयले की बचत भी हो सकेगी।

आसाम में जो कोयला उपलब्ध होता है वह बहुत ही घटिया कोटि का है। पाउडर के रूप में यह उपलब्ध होता है। अतः इस बारे में मेरा निवेदन है कि आसाम में कोयले के मूल्यों का वैज्ञानिकन होना चाहिए और कोयले की कोटि को सुधारने के उद्देश्य से कोयला धोने के कारखाने लगाये जाने चाहिए। आसाम में गारों पहाड़ियों में कोयला पर्याप्त मात्रा में है। उन निक्षेपों से कोयला निकाला जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र में तेल सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए।

हमारे देश में तेल की खपत बहुत ही कम है। कुल मिलाकर १९६६ तक १५० लाख टन तेल की आवश्यकता होगी। लगभग ३० या ४० लाख टन की कमी रहेगी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस दिशा में हमारी आशा पूरी करने में असमर्थ रहा है। मेरा मत यह है कि उसे देश की उत्पादन क्षमता का ठीक ज्ञान नहीं है। और न ही उसने विभिन्न क्षेत्रों से तेल निकालने के बारे में सही व्यय का ही ब्यौरा तैयार किया है। मेरे विचार में आयोग के कार्य की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। एक खेदजनक बात यह भी है कि आयोग और आइल इंडिया के बीच कोई समन्वय नहीं हैं। मेरा अनुरोध है कि इस आयोग के मुख्यालय को आसाम में ले जाना चाहिये। "आयल इंडिया" द्वारा आसाम राज्य को दी जाने वाली "रायल्टी" में जो कटौती की गयी है उसे शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो राजस्व कम होने के परिणामस्वरूप राज्य का विकास रुक जायेगा। यह कटौती लगभग ४० प्रतिशत की है।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करेंगे। इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये कि तेल के उत्पादन में किसी प्रकार की कमी न हो।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): गोहाटी की तेल शोधनशाला का कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा। इस शोधनशाला की सारी योजना ही गलत ढंग से बनाई गयी है। जब इसका व्यय ५.५ को बढ़ा कर १८ करोड़ कर दिया गया तो इससे रूमानिया के यहां आये विशेषज्ञों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। यह शोधनशाला कुछ ही दिन चली और ४८ लाख का घाटा हो गया जो कि वार्षिक रूप में २ करोड़ तक फैलता है। मेरा कहना है कि इस कार्य की योजना ठीक ढंग से नहीं बनाई गयी थी। और इसके लिये मैं कारण बता सकता हूं। उसे बिना दो अन्य यूनिटों अर्थात् 'कोकिंग यूनिट' और तेल शोधन यूनिट के पूर्ण हुए बिना चालू कर दिया गया था। यह एक वैज्ञानिक भूल थी जिसकी ओर अपेक्षित धन नहीं दिया गया। ३.९६ करोड़ का तो उत्पादन शुल्क ही हो गया। ३० मार्च तक केवल ३० लाख एकत्रित हो सका। और शोधनशाला में संकट पैदा हो रहा है गत्यावरोध की स्थिति। उत्पादन में विलम्ब का यही कारण है। इस संयंत्र पर १८ करोड़ लगा है यदि आप २.५ प्रतिशत का भी ब्याज लगायें तो वर्ष में १.४० करोड़ फैल जाता है। आप अनुमान लगायें कि कितनी हानि उठानी पड़ रही है।

इसके अतिरिक्त कारखाने में 'हाई स्पीड डीजल तेल' और मोटर स्पिरिट के परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। इसके फलस्वरूप उत्पादन बन्द हो गया है और अब उसके अगले महीने चालू

†मूल अंग्रेजी में

हो जाने की सम्भवना है। कारखाने में तरक्कियों के मामले में भी काफी गड़बड़ है। कई लोगों की महीनों में तीन तीन तरक्कियां दे दी गयीं और कई बेचारे वैसे ही पड़े हैं यदि आवश्यकता हुई तो मैं ऐसे ९ नाम बता सकता हूं। यह कैसे हुआ यह देखने की बात है। आयल इंडिया भी सरकारी क्षेत्र की परियोजना है, कारखाने के उत्पादों के बेचने का कार्य इसे सौंपा गया था, परन्तु यह इस कार्य में बुरी तरह असफल रहा है। मेरी यह सरकार से प्रार्थना है कि कारखाने के कार्य सचालन की उच्च स्तरीय जांच के लिये तुरन्त कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए।

खम्भात तैल क्षेत्रों में काम की प्रगति बहुत धीमी है। अंकलेश्वर में तेल कूप संख्या ९ की खुदाई में ७३ दिन लगे। आसम तैल कम्पनी एक सप्ताह में इससे दुगुना काम करती है इसी प्रकार शेष कामों में देरी होती है।

खम्भात तेल क्षेत्रों में कितना तेल है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है। वहां से कितना तेल निकलेगा इस विषय में रूसी विशेषज्ञ ने कुछ कहा है, श्री ए० एन० एम० घोष ने कुछ और श्री मालवीय ने इनसे भिन्न। इसलिये इस विषय में सही जानकारी नहीं है।

हमारे देश में जो पश्चिमी तेल कम्पनियां हैं उन्होंने अपना जाल फैलाने की काफी कोशिश की है इन कम्पनियों से बहुत पुराना समझौता है और दुनिया में कोई तेलशोधक कारखाना इतने लाभ नहीं उठाता जितना लाभ ये कम्पनियां भरतीय सरकार से समझौते के अनुसार उठाती हैं। हम ने उन्हें आश्वासन दिया हुआ है कि उनका और २५ वर्ष तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। इन कम्पनियों से जब भी रियायतें मांगी जाती हैं तो वे उलट सुझाव रखती हैं।

तेल के स्वामित्व का मामला केन्द्रय सरकार और आसाम सरकार में कई देर से चल रहा है। भारत सरकार ने 'आयल इंडिया लिमिटिड' से आसाम सरकार की सलाह के बिना समझौता कर लिया। यह उचित नहीं था क्योंकि आसाम सरकार के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए थी।

इटली की ई०एन० आई० कम्पनी और ब्रिटेन की बर्माशैल कम्पनी के साथ संविदाओं की शर्तें मंत्री जी ने बताने से इन्कार कर दी हैं। हम यह इसलिये जानना चाहते हैं कि दामले समिति की जो सिफारिशें सरकार ने स्वीकार की हैं उनको कार्यान्वित भी किया है। हम अपनी राष्ट्रीय नीति का परिपालन चाहते हैं। मेरा ऐतराज यह है कि सरकार इसे बताना क्यों नहीं चाहती।

कोयले के संकट की ओर सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष समाप्त हो चुका है और सरकार ने इस उद्योग को ठीक करने के लिये कुछ नहीं किया। अभी इस्पात संयत्र पूरा काम नहीं कर रहे। यदि ये काम कर रहे होते तो कोयले का संकट और अधिक होता। कोयले के संकट को दूर करने के लिये चेष्टा होगी ऐसी आशा है। कोयले के परिवहन में कठिनाई की शिकायत दोनों मन्त्रालयों को मिल कर दूर कर लेनी चाहिये।

रेलवे बोर्ड के सभापति ने 'स्टेट्समैन' में जो लेख लिखा वह मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा है कि रेलवे ने कोयले के परिवहन के काम को शीघ्र ही पूरा कर दिया हैं। उन्होंने कहा है कि देशाभ्यन्तर जल परिवहन का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि समुद्रतटीय पौरिकों और सड़क परिवहन को कोयला के परिवहन की अच्छी सहूलियतें देनी चाहिए।

पश्चिमी और दक्षिण भारत में निर्यात उद्योग को उन देशों से बढ़िया किस्म का कोयला मंगवाने की इजाजत दी जाये जहां रुपयों से भुगतान हो सकता है। इससे देश की अर्थ व्यवस्था की प्रगति तेज हो जाएगी और बढ़ती हुई कीमतों की भी रुकावट हो जायेगी।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर): मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने पूर्व विभाग को मंत्रालय बना लिया है।

इस उद्योग में जो प्रगति हुई है उस पर अभिमान किया जा सकता है । नूनमती तैल शोधक कारखाने ने बहुत अच्छा काम किया है । यह ७.५ लाख टन उत्पादन करेगा ।

तेल भारत के औद्योगीकरण में बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा । सरकार ने जो तैल के समन्वेषण, शोधन और विपणन में जो सर्वतोमुखी नीति सरकारी क्षेत्र में अपनाने का निर्णय किया वह बहुत अच्छा है ।

यह बहुत अच्छा है कि अंकलेश्वर में ६०० लाख टन प्रति दिन तेल निकाला जाता है । शीघ्र ही वे १,५०० टन प्रति दिन के लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं । गुजरात में हम एक और २ लाख टन का तेलशोधक कारखाना बनाने वाले हैं ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने को अच्छी तरह देखा है । १९६३ के आरम्भ में १० लाख टन का उत्पादन होगा और दूसरे १० लाख टन का उत्पादन १९६३ के अन्त तक होगा ।

इस बात पर अभिमान किया जा सकता है कि सरकार ने ५ वर्ष में ही सरकारी क्षेत्र में तीन तैलशोधक कारखाने स्थापित किए हैं ।

हम इस समय तेल की कई चीजें दूसरे देशों से मंगवा रहे हैं । इन चीजों के उत्पादन से हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में १२० करोड़ की विदेशी मुद्रा बचा सकेंगे ।

यह भी बताया गया हैं कि नाल पथ डाल रहे हैं । यह रेलवे पर से बोझ को कम करेगा । आसाम से नूनमती तक नाल पथ डाल दिये गये हैं और नाल पथ भी डाले जा रहे हैं ।

यह कहा गया है कि सरकार और गैर-सरकारी तेल कम्पनियों में बातचीत के निष्कर्ष से जो कीमतों में कमी से लाभ हुआ है वह सरकार ने समेट लिया है । सरकार का यह काम उचित है क्योंकि इस उद्योग के लिये जो कि अभी किशोरावस्था में है रुपये की आवश्यकता है ।

इन सब बातों में इस उद्योग ने अच्छी प्रगति की है । मैं माननीय मंत्री जी को इस के लिये बधाई देता हूं ।

कोयला देश में बहुत विवादास्पद हो गया है । हम समाजवादी ढांचे के समाज में और कल्याण-कारी राज्य में विश्वास रखते हैं । कोयले के कारण न केवल बड़े उद्योगों को हानि होती है, परन्तु लाखों लोगों को रोटी पकाने के लिये कोयला की आवश्वकता है । माननीय मंत्री जी को इसका प्रबन्ध करना चाहिये ।

इस समय हम ६०० लाख टन से थोड़ा कम कोयला पैदा करते हैं । हमारा लक्ष्य ९७० लाख टन का है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारी आवश्यकता १०४० लाख टन से १०६० लाख टन होने की संभावना है । यदि ६०० लाख टन के परिवहन में मुश्किल हो, तो पूरा उत्पादन होने पर कोयले के परिवहन का क्या हाल होगा ?

कोयले के क्षेत्रों में ९०० एकक काम कर रहे हैं । आधे लाभदायक नहीं हैं । ऐसी कोयले की खानों पर व्यय नहीं करना चाहिए ।

कहा गया है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जो कि ७० से ७५ लाख टन कोयले का उत्पादन कर रही है अपनी शक्ति से कम कोयला उत्पादन कर रही है । वे ३० लाख टन और कर सकती हैं परन्तु परिहन की सुविधायें कम होने के कारण नहीं कर रही है । हम माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि कोयले के परिवहन की कठिनाई को दूर करने के लिये क्या योजनाएं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

यह आम आदमी और उद्योग के लाभ में है कि कोयले का श्रेणीकरण करना चाहिए। आजकल ए, बी, सी, श्रेणियां हैं। इनको स्पष्ट कर देना चाहिए।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जितना कोयले का उपादन अब कर रही है उस से अधिक कर सकती है। इसमें अच्छे "टैक्नीकल" विशेषज्ञ हैं। परन्तु इसका प्रशासनिक ढांचा ठीक नहीं है। माननीय मंत्री इस बात की ओर ध्यान दें।

खान और ईंधन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुन किए गए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
७६	१०	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोयला परिवहन नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए
७६	११	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोयले की कीमतों में वृद्धि	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए
७६	१२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोयले के लक्ष्य प्राप्ति में असफलता और १९६१–६२ में कोयले के उत्पादन में कमी	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाए
७६	१	श्री उमानाथ	मद्रास राज्य में कावेरी घाटी में तेलशोधक कारखाने की स्थापना के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	२	श्री उमानाथ	मद्रास राज्य में कावेरी घाटी में कुएं खोदने के लिए सूराख करने के काम का न आरम्भ करना	१०० रुपये
७६	३	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश में उद्योगों को कोयला का संभरण करने में असफलता	१०० रुपये
७६	१३	श्री मे० क० कुमारन	देश के दक्षिण भाग में उपभोक्ताओं की कोयले की मांग को पूरा करने में असफलता	१०० रुपये
७६	१४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	परिवहन में रुकावटें और कोयले के उत्पादन की कमी में इस का प्रभाव	१०० रुपये

१	२	३	४	५
७६	१५	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोयले की कीमतों को रोकने की आवश्यकता	१०० रुपये
७६	१६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोयले की नों के काम के लिये विद्युत की कमी	१०० रुपये
७६	१७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोयले की खानों में श्रमिकों की बुरी हालतें	१०० रुपये
७६	१८	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोयले की खानों में श्रमिकों और प्रबन्धकर्ताओ में बुरे श्रम सम्बन्ध	१०० रुपये
७६	१९	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्य	१०० रुपये
७६	२०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	देश में खनिजों के सब प्राकृतिक संसाधनों और तेल के सर्वेक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	५	श्री कोया	गहन भूतत्वीय सर्वेक्षण विशेषकर दक्षिणी क्षेत्रों में (केरल में भी) करने में असफलता	१०० रुपये
७७	६	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य में गदाग और मुन्दारगी में कापाय पर्वतों में स्वर्ण और तांबे की कच्ची धातु के लिये विस्तृत सर्वेक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	७	श्री शिवमूर्ति स्वामी	मैसूर राज्य में नीचे के पानी के संसाधनो के भूतत्वीय सर्वेक्षण की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	२१	श्री मे० क० कुमारन	केरल में खानों के गहन सर्वेक्षण करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७७	२२	श्री मे० क० कुमारन	केरल समुद्र तट पर तेल की खोज करने की आवश्यकता	१०० रुपये
७८	६	श्री कोया	लिगनाइट तथा कोयला, अबरक तथा अन्य खनिज पदार्थों को कन्नानूर, कोजीकोड, पालघाट और त्रिचूर जिलों में खोजने की आवश्यकता	१०० रुपये

७८	२३	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	इस्पात खानों के लिये सही किस्म का कोयला बनाने के लिये ठीक समय पर कोयला धोने के कारखाने स्थापित करने में असफलता	१०० रुपये
७८	२४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कोयले का संकट और आर्थिक औद्योगिक विस्तार पर इसका प्रभाव	१०० रुपये
१३३	२६	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	विदेशीय तेल कम्पनियों द्वारा मूल्यों में रियायतें	१०० रुपये
१३३	२७	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	नूनमती तेलशोधक कारखाने की प्रगति	१०० रुपये
१३३	२८	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	सरकारी क्षेत्र के तैलशोधक कारखानों का चलना और निर्माण	१०० रुपये

†**सभापति महोदय** : ये सब कटौती प्रस्ताव अब सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसात) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन में हमारा काम सन्तोषजनक नहीं था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य ९७० लाख टन तभी पूरा हो सकेगा यदि हम अपना उत्पादन ४२० लाख से बढ़कर ९७० लाख टन से हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि लक्ष्य १०५० लाख टन होना चाहिए यह उचित है। यह उत्पादन सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा होगा।

कोयले के सम्बन्ध में मुख्य कठिनाई उसके उत्पादन की क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि उसके समुचित परिवहन की है। हर-महीने लगभग पांच लाख टन कोयला खानों में, परिवहन की कमी के कारण जमा होता चला जाता है। यदि यही हालत बनी रही तो वर्ष के या तृतीय योजना के अन्त तक आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी कठिन हो जायगी। इसके लिये सड़क परिवहन को प्रोत्साहन देने की बात कही जाती है, लेकिन कोयला खानों के पास की सड़कें इस के लिये अनुपयुक्त हैं। अन्तर्देशीय जल-परिवहन से कुछ काम बन सकता है। इस पर अधिक मुद्रा भी नहीं लगेगी।

तटीय नौवहन द्वारा कोयला खानों से कलकत्ता पत्तन तक कोयला भेजने के सुझाव पर विचार किया जा रहा है। लेकिन उस से रेल परिवहन की कमी की पूर्ति नहीं की जा सकेगी। और उस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० चं गुह]

पर व्यय भी अधिक पड़ेगा। उस से अभी तक कोई अधिक परिवहन नहीं हो सका है। फिर भी ११ महीने में लगभग दो करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता उसे दी जा चुकी है।

आवश्यकता इस बात की है कि सरकार स्वयं अपना तटीय नौवहन विकसित करे। निजी समवाय कोयले का परिवहन करने में असमर्थ रहे हैं। उस पर उपभोक्ताओं को मूल्य भी अधिक देना पड़ता है।

सरकार पिछले दो वर्ष से कुछ स्थानों पर कोयले का स्टाक रखने की पद्धति पर अमल कर रही है। उस पद्धति में कई त्रुटियां हैं। उन स्थानों से कोयले को फिर से सड़क परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं के पास भेजना पड़ेगा और उसका व्यय उपभोक्ताओं को भरना पड़ेगा। और इस पद्धति में कोयले का अपव्यय भी अधिक होता है। उसका व्यय भी उपभोक्ताओं को भरना पड़ेगा।

सरकार ने दक्षिणी और पूर्वी प्रदेशों में जहाजों द्वारा परिवहित होने वाले कोयले पर आने वाले अतिरिक्त व्यय के लिये उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई है। ऐसी आर्थिक सहायता बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उस के समीप के राज्यों के उपभोक्ताओं को भी दी जानी चाहिये, क्योंकि सड़क परिवहन पर उनका व्यय रेल के मुकाबले, दोगुना पड़ेगा।

श्री आज़ाद ने छोटी-छोटी कोयला खानों का उल्लेख किया था। १९५६ में उनके लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। उसकी सिफारिश के अनुसार दस हजार टन से कम कोयला (प्रति माह) निकालने वाली और सौ एकड़ से कम क्षेत्र में फैली हुई कोयला खानों को छोटी कोयला खानों की श्रेणी में रखा गया है। उस परिभाषा के अनुसार बंगाल बिहार क्षेत्र की ७३४ कोयला खानों में से ६६६ को छोटी खानों की श्रेणी में रखा गया है। छोटी होने के कारण उन के कोयले के उत्पादन की लागत अधिक बैठती है और वे मुनाफे में नहीं चल पातीं। फिर भी, समितियों की बार बार सिफारिशों के बाद भी, उनको एक —दूसरी में मिलाने के कार्य में कोई भी प्रगति नहीं की गई है। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको या तो शीघ्र ही एक-दूसरी में मिला देना चाहिये, या फिर बन्द कर दी जानी चाहिये। पिछले पांच वर्ष में केवल ४५ ऐसी कोयला खाने एक-दूसरी से मिलने के लिये तैयार हुई हैं, और उनको मिलाया जा चुका है। सरकार को उनकी सहमति की राह नहीं ताकनी चाहिये।

फिर आता है कोयला धोने के कारखानों का प्रश्न। द्वितीय योजना काल में कोयला धोने के तीन कारखाने बनाने का लक्ष्य था। पर केवल एक ही कारखाना कार्गली में काम शुरू कर पाया है। उसका लक्ष्य २२ लाख टन कोयले की धुलाई का था, लेकिन अभी तक केवल १० लाख टन तक वह पहुंच पाया है। इसका क्या कारण है? सरकार को इसका स्पष्टकरण करना चाहिये।

अब तृतीय योजना के दौरान कोयला धोने के दो और कारखाने खड़े करने का लक्ष्य है। पता नहीं उसमें से कितना पुरा हो सकेगा। द्वितीय योजना के लक्ष्यों में यह भी शामिल था कि द्वितीय श्रेणी का सारा धात्विक कोयला इन कारखानों में धोया जा सकेगा। सरकार उनको किस सीमा तक पूरा कर पायी है?

दुर्गापुर कारखाने के लिये दुर्गापुर में अलग से कोयले की धुलाई का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था। वह भी शायद अमल में नहीं आ सका है। कोयला धोने के कारखानों से कोयले में ही मितव्ययता नहीं होगी, बल्कि रेलवे का भार भी कम हो जायेगा। इसलिये कि सामान्यतया साधारण कोयले में २० प्रतिशत भाग राख इत्यादि का होता है। इसलिये धुलाई के बाद रेलवे को २० प्रतिशत कोयला कम ढ़ोना पड़ेगा। इसलिये उसकी ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्ध-निदेशक ने मूल्य के सम्बन्ध में गैर-सरकारी कोयला खानों के मालिकों की सभी मांगें मान ली हैं। पता नहीं सरकार ने मूल्य-वृद्धि के उनके प्रस्ताव को क्यों मान लिया है। मैं उसका कोई औचित्य नहीं दे सकता, विशेषकर तब जब कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति ने मजूरी में किसी भी वृद्धि का प्रस्ताव नहीं माना है। कोयला समवायों ने १९५९ में २४७ लाख रुपये मुनाफा कमाया है, जब कि १९५६ में १४२ लाख रुपये ही कमाये थे। तीन वर्षों में, उन के मुनाफे में १०५ लाख रुपये की वृद्धि हुई हैं। फिर मूल्य-वृद्धि का क्या औचित्य है ?

माननीय मंत्री को निजी कोयला समवायों को मितव्ययता और प्रशासन की कार्यक्षमता में वृद्धि करने की सलाह देनी चाहिये थी। उस के बाद ही मूल्य-वृद्धि के उनके किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिये। कोयले की मूल्य-वृद्धि से अन्य सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी।

केंद्र और राज्यों के बीच पूर्ण सहकार्य की भावना रहनी चाहिये। खनिजीय संसाधनों के विकास और उपयोग में राज्यों का अपना हिस्सा निर्धारित कर दिया जाना चाहिय। तब राज्यों और केन्द्र के बीच कोई तनाव या विरोध नहीं रह जायेगा। ऐसे मतभेदों का निपटारा आपसी वार्ता से होना चाहिये।

कोयला बोर्ड में राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये।

कोयला बोर्ड के कृत्यों की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिये। खानों के मुख्य निरीक्षक के साथ उसके कृत्य अतिछादी नहीं होने चाहियें।

गैर-सरकारी खानों को उत्पादन बढ़ाने के लिये ६० करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे, जिन में से ३२.५ करोड़ रुपये सरकार को ऋणों और आर्थिक सहायता के रूप में देने पड़ेंगे।

विश्व बैंक ने राज्यों की गैर-सरकारी खानों को १७ करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं। लेकिन अगस्त १९६१ से अभी तक वह राशि गैर-सरकारी समवायों को नहीं मिल पाई है। सरकार को उस में इतना समय नहीं लगाना चाहिये।

सरकार को गन्धक के विकास की ओर खास तौर पर ध्यान देना चाहिये। देश में गन्धक की बड़ी कमी है।

मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रशासन की दृष्टि से इकाइयों को बांटा गया है। होना यह चाहिये कि प्रतिवदन में विभिन्न खनिज पदार्थों की दृष्टि से वर्गीकरण किया जाय।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : माइंज़ एंड फ्यूल (खान और ईंधन) मंत्रालय जो अलग बनाया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं और इसको मैं अच्छा समझता हूं । मैं आशा करता हूं कि जो कुछ भी इस मंत्रालय के ज़रिये अब काम होगा वह सही तरीके पर होगा । अभी तक जो काम हो रहा था उसमें त्रुटियां रही हैं, उनका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा ।

जहां तक कोयले का प्रश्न है, यह देश का एक बुनियादी उद्योग है । इसके उत्पादन का जो लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६० मिलियन टन का रखा गया था उसको पूरा नहीं किया जा सका । सिर्फ ५४.९३ मिलियन टन ही उत्पादन हो सका । देश में जो दूसरे उद्योग चल रहे हैं, जैसे रेलें हैं, ताप बिजली घर हैं, लोहा तथा इस्पात उद्योग है, सिमेंट उद्योग है, कपड़ा , कागज़, चीनी रसायन आदि उद्योग हैं या ईंटें जो भट्टों में बनती हैं तथा दूसरे जो इस तरह के उद्योग हैं, उन सभी के लिये कोयले की आवश्यकता पड़ती है । कोयला निर्यात भी होता है । इस वास्ते भी कोयला काफी मात्रा में निकालना बहुत आवश्यक है । योजना में निर्धारित अगर कोयले के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जाता है और उस लक्ष्य से कम कोयला उत्पादन होता है तो इन सभी उद्योगों में गड़बड़ी पैदा हो जाती है । मैं चाहता हूं कि सर्व प्रथम नया मंत्रालय इस ओर ध्यान दे और देखे कि इस प्रकार की गड़बड़ी जो अब तक रही है, वह आगे न होने पाए ।

जब आप योजना बनाते हैं तब आपको यह भी देखना चाहिये कि कोयले का जो उत्पादन हो वह अपनी जगह से दूसरे स्थानों पर पहुंच सके, इसके लिये रेल गाड़ी के डिब्बों की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो । कोयले का उत्पादन और डिब्बों की सप्लाई का समायोजन ठीक तरीके से आज नहीं हो पा रहा है । इसका नतीजा यह होता है ज़ब उत्पादन आगे बढ़ रहा होता है, उसको वहीं बीच में रोक देना पड़ता है जिससे देश को हानि उठानी पड़ती है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मार्च, १९६१ में पिट हैडज़ पर करीब १.३ मिलियन टन कोयला जमा हो गया था और इस कारण से उत्पादन को रोक देना पड़ा था । इस कारण से अप्रैल, १९६१ में सिर्फ ०.४९ मिलियन टन ही उत्पादन करना पड़ा और इस प्रकार से जून १९६१ में वह उत्पादन कम होते होते ०.३६ पर चला आया । इसलिये मैं चाहता हूं कि कोयले का उत्पादन लक्ष्य निश्चित करते समय इस बात को भी देखा जाए कि इस कोयले को ढोने की भी आप में क्षमता है या नहीं है और जो कोयले का विभाग है तथा जो रेल विभाग है वे दोनों आपस में बात करके इस ढंग से योजना बनायें जिससे कोयले के उत्पादन में कोई गड़बड़ी पैदा न हो ।

कोयला घरेलू कामों के लिये भी इस्तेमाल होता है और ईंट के भट्टे में भी इस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है । हमने देखा है कि कोयले का उत्पादन कम हो गया तो सारे देश में घरेलू काम के लिये कोयला मिलने में भी बड़ी कठिनाई पैदा हो गई थी । जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सम्बन्ध है, जहां से मैं चुन कर आया हूं, उस क्षेत्र में तो मैं बराबर देखता हूं कि कोयले की कमी कितने ही समय से चली आ रही है । चूंकि वहां पर कोयले की कमी रहती है इस वजह से लोगों को हमेशा ही घरेलू काम के लिये या ईंट का भट्टा पकाने के लिये कोयला मिलने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इस ओर आपका विशेष तौर से ध्यान जाना चाहिये ।

जो रिपोर्ट हमें दी गई है उसको देखने से मालूम पड़ता है कि पावर सप्लाई जो कोयला उद्योग में दी जाती है, उस में भी गड़बड़ रहा करती है । बिहार इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो बिजली मिलने

को थी, उस में भी कुछ समय के लिये कमी हो गई थी। इस कारण से भी बीच बीच में गड़बड़ी पैदा हो जाती है।

जहां तक कोयले के दाम का सवाल है, १-१-६१ से १ आ० प्रति टन के हिसाब से ज्यादा दाम नये टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे और २६-१२-६१ से २५ न० पै० प्रति टन पर रायल्टी देनी पड़ेगी। यही नहीं, इस के साथ साथ ही मैं समझता हूं कि नई स्कीम जो समुद्र और रेल द्वारा कोयला ढो कर दक्षिण पश्चिम हिन्दुस्तान पहुंचाने की है उस में करीब २१० लाख रु० की सब्सिडी देनी पड़ेगी। इन सभी वजहों से कोयले की कीमत बढ़ जायगी। लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूं कि जब सन् १९६०-६१ में कोयले पर जो मुनाफ़ा हुआ उस से ४६ लाख, ८६ हजार, ७५८ रु० इंटररेस्ट और १ करोड़, १५ लाख, ८८ हजार, ७६६ रु० डिप्रिशिएशन फंड में दिय जाने पर भी १ करोड़, ३ लाख ६५ हजार, ६४५ रु० का मुनाफा रहा है, तो क्यों इस मुनाफे का रिलीफ आम लोगों को नहीं मिलता है। कोयले की कीमत आज कम नहीं हो पाई है, बल्कि वह दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है।

रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दो कोलिअरीज में आग लगी: २४ मई, १९६१ को गिडी कोलिअरी में आग लगी जो कि २५ जुलाई, १९६१ को कंट्रोल में आई। कुरसिया माइन में २६ मई, १९६१ को आग लगी और वह अप्रैल, १९६२ में बुझाई जासकी। लेकिन एक जगह के बारे में इस रिपोर्ट में कोई ज़िक्र नहीं है। बिहार के झरिया कोल फील्ड में एक वर्ष से पहले से आग लगी हुई है लेकिन उस को कंट्रोल करने के लिय कुछ नहीं हो पाया है और उस का कोई जिक्र भी इस रिपोर्ट में नहीं देखा है।

आज के अखबार में मैंने देखा, और इस बात की मुझे खुशी है, कि श्री भगवान सिंह का, जो कि जम्मू और काश्मीर के खनिज निर्देशक हैं, एक बयान निकला है। उन का कहना है कि जम्मू तथा काश्मीर में १०० मिलियन टन कोयला प्रति वर्ष निकाला जा सकता है।

आज ही के अख़बार में यह भी खबर निकली है, अगर यह बात सही है तो मुझे इस के लिये बहुत खुशी है, कि बिहार में भी हजारीबाग जिले के रामगढ़ इलाके में नई कोयले की खान मिली है।

मैं चाहता हूं कि कोयले का जो निजी क्षेत्र है, जो अब तक प्राइवेट हैंड्स में है, उस को उन से ले कर उस का राष्ट्रीयकरण किया जाय। बिहार विधान सभा में भी लोगों ने इस की मांग की थी। मैं समझता हूं कि यहां पर निजी उद्योग के कोयला उद्योग का छोटा छोटा खान में अमलगमेशन न हो सके तो इस का पूरा नैशनलाइजेशन करना अच्छा रहेगा। अगर इस के लिये निजी उद्योग जो कुछ देने की जरूरत भी पड़ तो भी इस को करना चाहिये।

जहां तक पेट्रोल का सवाल है, उस के दाम के बारे में मुझे कहना है कि वह बहुत ही ज्यादा है। अब तक पैट्रोल का कारोबार बर्माशेल या ऐसी ही कम्पनी के हाथ में रहा है और उसनेबहुत एग्जार्विटेंट दाम लोगों से वसूल किया है। मैंने सुना है कि अमरीका में डेढ़ रु० प्रति गैलन के हिसाब से पेट्रोल मिलता है, लेकिन हिन्दुस्तान में पेट्रोल का दाम ५ लिटर का ३ रु० ६० न० पै० होता है, जो कि एक गैलन के बराबर होता है। सरकार ने आयल प्राइस एन्क्वायरी कमेटी कायम की थी;। उस की रिपोर्ट को आधार मान कर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम रक्ख जा सकते थे। लेकिन सरकार ने जो निश्चय किया है उस से अभी भीं जो उपभोक्ता हैं उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। जो दाम कम भी हो सकते हैं उस को सरकार टैक्स के जरिये ले लेगी।

[श्री भू ना० मंडल]

जहां तक किरोसिन आयल का सवाल है, जैसा मुझे मालूम हुआ है, एक सेर किरोसिन आयल के उत्पादन का लगभग तीन पैसा पड़ता है, लेकिन फिर भी बाजार में वह ५ या ६ आ० सेर बिकता है। अगर यह बात सही है तो यह बहुत बुरी बात है। चूंकि किरोसिन आयल के दाम बढ़ने का असर देहात के गरीब से गरीब लोगों पर पड़ता है, इस लिये सरकार को इस सम्बन्ध में भी लोगों को राहत देने की कोशिश करनी चाहिये।

बेरोनी रिफाइनरी के लोकेशन में बहुत देरी हुई। लोकेशन के बाद भी वहां काम बहुत ढिलाई से चल रहा है। वहां पर तेजी से तेल रिफाइनरी कारखाने का काम नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि सन् १९६३ के फर्स्ट हाफ में कमिशन होगा १ मिलियन टन और फिर दूसरे में भी एक मिलियन टन।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर)** : प्रधान मंत्री के अनुसार इस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय पर देश के आर्थिक विकास का दा ोमदार है। यह मंत्रालयइसलिये भी महत्वपूर्ण हैं कि स में गैर-सरका ी क्षेत्र की स्थिति काफी सुदृढ़ है और तेल पर विदेशी एकाधिकार है।

हमारे जैसे कम विकसित देश के लिये पेट्रोलियम का बड़ा महत्व है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिये कि एशिया में हम ने ही सब से पहले विदेशी एकाधिकारियों को चुनौती दी है। यह दूस ी बात है कि विदेशी एकाधिकारी अभी काफी शक्तिशाली है।

देश पर विदेशी पूंजी की जकड़ काफी मजबूत है। सोवियत संघ से 'मिग' विमान खरीदने के हमारे प्रस्ताव पर हुई रस्साकशी सी बात को सिद्ध करती है। अमरीका अपनी आर्थिक सहायता बन्द करने की धमकी हमें दे रहा है सीनेटर हम्फ्री ने तो यहां तक कह डाला है कि भारत यह क्यो भूलता है कि अमरीकी सहायता के बिना वह तटस्थ नहीं रह सकेगा।

विदेशी समवायों की शक्ति का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि न्यूजेर्सी की 'स्टैण्डर्ड आयल कम्पनी' का वार्षिक मुनाफा मद्रास राज्य के आय-व्ययक का तीन गुना है। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि वे सभी समवाय परस्पर संबंधित हैं। अमरीकी सीनेट समिति के १९५२ के प्रतिवेदन में बताया गया था कि सोवियत संघ के बाहर शेष संसार में तेल के उत्पादन का एकाधिकार ७ अन्तर्राष्ट्रीय तैल-समवायों के हाथों मे है उन सातों समवायों के बीच मूल्य-निर्धारण उत्पादन वृद्धि के बारे मे परस्पर समझौते मौजूद हैं।

वे सातों समवाय मनमाने ढंग से मूल्य बढ़ाते-घटाते रहते हैं। प्राक्कलन समिति ने १९५८ के प्रतिवेदनों में स्पष्ट व्यक्त किया था कि मूल्यों के उतार चढ़ाव के बारे में कुछ भी नहीं किया है। मंत्रालय ने उस के बारे में डामले समिति नियुक्त की थी। इस पृष्ठभूमि में, मैं माननीय मंत्री से पूछती हूं कि 'ब्रिटिश आयल कम्पनी' ने भारत को अपने नये समवाय में भागीदार बनाने का जो प्रस्ताव रखा था। उसका क्या अर्थ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक नीति संकल्प तैयार करते समय सरकार ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि तैल सम्बन्धी सभी नये उपक्रम सरकारी क्षेत्र में रहेंगे । लेकिन जब भी विदेशी मुद्रा की कमी पड़ती है, विदेशी एकाधिकारी समवाय हमारी सरकार पर दबाव डालकर उसकी नीति बदलवाने की कोशिश करते हैं। हमें विवश हो कर गैर-सरकारी तैल-हितों को कुछ सुविधायें देनी पड़ती हैं। 'ब्रिटिश आयल कम्पनी' के प्रस्ताव पर इसी दृष्टि से विचार किया जाना चाहिये ।

अब 'इन्टर नेशनल आयल कम्पनी' आगे बढ़ रही है । जब हम ने सोवियत संघ से तैल खरीदा था, तब उस ने हमें तैल देने से इन्कार कर दिया था । बाद में जब हम ने झुकने से इन्कार कर दिया, तभी उस ने रूसी समवाय का प्रस्ताव रखा था । माननीय मंत्री को हम उस प्रस्ताव का ब्यौरा बताना चाहिये ।

हमारे देश के संसाधनों से प्राप्त होने वाली तैल से देश की तैल-परिष्करिणियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकेगी । इसलिये हमें तैल का आयात अभी एक अर्से तक जारी रखना पड़ेगा । इसीलिये वे विदेशी समवाय उसका लाभ उठाना चाहते हैं।

हमें विदेशी समवायों के सभी प्रस्तावों पर सतर्कता से विचार करना चाहिये ।

सभा में इस बात पर वाद-विवाद हो चुका है कि विदेशी समवायों ने हमारे जाने-बूझे बिना अपनी परिस्ठकरिणियों की क्षमता बढ़ा ली है। हमें उसका पता भी नहीं था। स्टेट्समैन के सम्वाददाता का कहना है कि सरकार ने उसे मान लिया है कि वे नया संयंत्र लगाये बिना अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं।

हम जानना चाहते हैं कि इस मामले में सरकार की अपनी क्या नीति है ? क्या हम विदेशी समवायों को पूरी छूट देंगे ? यदि हम कोयले और पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में नहीं रखेंगे तो औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रख पायेंगे । इसलिये उनको सरकारी क्षेत्र में ही रखना चाहिये ।

नूनामती परिष्करिणी समय से पहले तैयार होगई थी और पाइप लाइन उसके दो तीन महीने बाद आयी थी। उसके कारण देश को बड़ी हानि उठानी पड़ी है। हमारे पास जितना तैल था उसे स्टोर करके रखने की हमारे पास जगह ही नहीं थी। इस लिये कि हमने रूमानिया के तैल-विशेषज्ञों की राय न मान कर डीजल तैल का उत्पादन बढ़ा लिया था । इसी से मंत्रालय की काफी आलोचना हुई थी।

सुना जाता है कि नूनामती परिष्करिणी में प्रशिक्षित तैल-प्राविधिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण के लिये ही गैर-सरकारी परिष्करिणियों में भेजा जा रहा है । उस से कोई लाभ नहीं होगा । विदेशी तैल-हितों की ओर से हमें सतर्क रहना चाहिये । वे शुरू से हमारी प्रगति मे रोड़े अटकाते आये हैं। पहले उन्होंने तैल देने से इन्कार किया, फिर तब जब हमारे यहां तैल निकल आया, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि वे सोवियत तैल का क्रय-विक्रय नहीं करेंगे । वे हमारी परिष्करिणीयों को असफल बनाना चाहते हैं। इसलिये हमें अपनी सतर्कता और कार्य दक्षता बढ़ानी चाहिये ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

तैल से संबंधित हमारे प्राविधिक कार्यकर्ताओं के वेतनों तथा उपलब्धियों में वृद्धि की जानी चाहिये । गैर-सरकारी परिष्करिणियों में काम करने वाले प्राविधिक कार्यकर्ताओं को ऊंचे-ऊंचे वेतन मिलते हैं। भारतीय कार्यकर्ताओं में इसीलिये काफी असंतोष है ।

पेट्रोलियम रासायनिकों के बारे में माननीय मंत्री बतायें कि उनकी क्या प्राथमिकतायें निश्चित की गई हैं। उनको सरकारी क्षेत्र में किस सीमा तक रखा जायेगा ?

आज हमारे देश में सब से महत्वपूर्ण ईंधन कोयला है । लेकिन चिन्ता की बात है कि उसका उत्पादन गिर रहा है । १९६१ में हमने ५६० लाख टन कोयला का उत्पादन किया है, जो १९६० के मुकाबले २० लाख टन कम है । तृतीय योजना का लक्ष्य ९७० लाख टन है । उसे बढ़ाकर ११०० लाख टन करने का विचार भी है ।

वह लक्ष्य हम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब छोटी-छोटी कोयला खानों को मिला कर बड़ी-बड़ी खानें बना दी जायें। छोटी-छोटी खानों की उत्पादन लागत अधिक बैठती है, और इसलिये वे उत्पादन वृद्धि में सहायक नहीं हो पातीं । उनको घाटा होता है ।

ऐसी छोटी-छोटी खानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये । उत्पादन-वृद्धि के लिये यह भी अत्यावश्यक है कि परिवहन में समुचित विकास हो ।

उसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है विद्युत् सम्भरण का। कोयले के उत्पादन की वृद्धि के लिये वह आवश्यक है । हमने विद्युत् उत्पादन की टरबाइनों के ठेके विदेशियों को देकर भारी भूल की है । उन के असफल होने से ही विद्युत् का संकट पैदा हो गया है । उसका दायित्व सरकार को अपने कंधों पर लेना चाहिये ।

सरकार ने रज्जु-पथ के निर्माण की योजना बनाई थी, लेकिन कोयला बोर्ड ने अभी तक उनका निर्माण शुरू नहीं किया है । झरिया और रानीगंज के रज्जुपथों का निर्माण १९६४ में आरम्भ होगा ।

इन सब बातों का यही निष्कर्ष निकलता है कि जब तक हम समूचे कोयला-उद्योग पर वास्तव में अपना नियंत्रण कायम नहीं कर लेते, तब तक तृतीय योजना के लक्ष्य पूरे नहीं होंगे ।

माल डिब्बों की कमी के कारण कोयला खानों के पास कोयले के स्टाक बहुत बढ़ गये हैं।

पता नहीं माननीय मंत्री ने किस आधार पर कोयले की मूल्य-वृद्धि का प्रस्ताव मान लिया है । उस से सभी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि हो जायेगी और मजदूर भी अधिक मजूरी मांगने लगेंगे । एक ऐसा चक्कर शुरू हो जायेगा जिस से निकलना मुश्किल हो जायेगा ।

मैं चाहती हूं कि माननीय मंत्री कोयले की मूल्य-वृद्धि के प्रस्ताव का और अधिक ब्यौरा हमें बतायें ।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन): मैं मंत्रालय को उसकी सफलताओं पर बधाई देता हूं। तेल हमें बाहर से मंगाना पड़ता था परन्तु मंत्रालय के प्रयत्नों से हमें गुजरात और आसाम के अतिरिक्त और भी कई एक स्थानों पर तेल का पता

†मूल अंग्रेजी में

लगाया है । खम्भात के क्षेत्र में १६ कुयें खोदे गये हैं। इन में से छ में तेल है और १० में गैस। बाकी के तीन शुष्क हैं। परन्तु मेरा यह सुझाव है कि इस गैस को शीघ्र अति शीघ्र प्रयोग कर लेना चाहिए। साथ ही मैं यह पूछना चाहता हूं कि यदि १० कुयें से गैस उपलब्ध होने की सम्भावना है तो इसे गुजरात के उद्योगों के लिये विद्युत् निर्माण के उद्देश्य से गुजरात विद्युत् बोर्ड को क्यों नहीं दिया जाता। मेरे विचार में तो वहां सारी की सारी गैस खपत हो सकती है ।

गैस तो वहां है, परन्तु कोयला क्षेत्र गुजरात से काफी दूर है। परिवहन की भी कठिनाइयां हैं और गुजरात की सारी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पा रही । गुजरात में बिजली की भी कमी है। वहां के लिए भी कोई जल विद्युत् योजना नहीं बन पाई । ताप्ती और साबरमती नदियों से कब बिजली मिल पायेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता । इन हालात में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह गुजरात राज्य कें गैस सम्भरण के प्रश्न पर विचार करें और मुनासिब दरों पर गैस के सम्भरण की व्यवस्था कर दें ।

मेरा यह भी निवेदन है कि वेवोल के क्षेत्र में जो खुदाई का परीक्षण किया गया है उसकी जानकारी गुजरात सरकार को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि वे इसी परीक्षण के कारण ही वहां राजधानी बनाने के कार्य को रोके हुई हैं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि किसी विदेशी समवाय से मिलकर इस दिशा में सहकारी उपक्रम हो सके तो बहुत अच्छा रहे। इसी प्रकार का एक उपक्रम आयल इंडिया लिमिटेड के नाम से हो भी रहा है। इस के द्वारा बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इस प्रकार का प्रयास गैर सरकारी क्षेत्र में भी किया जा सकता है और उन्हें तेल और पैट्रोल का काम सौंपा जा सकता है । पैट्रोल और तेल उत्पादन उद्योगों को गैर-सरकारी क्षेत्रों में विकसित करने में मुझे कोई बुराई दिखाई नहीं देती। मैं यह भी निवेदन. करना चाहता हू कि जो भूमि फालतू पड़ी है वहां पर शोधनशाला बनाने की प्रस्थापना पर विचार करना चाहिये । ऐसा करने से हमें भूमि के मुआवजे के रूप में कुछ देने की समस्या से मुक्ति मिल जायेगी ।

श्री दि० सिं० चौधरी (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में अधिक न कह कर मैं कुछ थोड़ी सी बात कोयले के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मैं यह जानता हूं कि यह मंत्रालय कुछ चीजों को जमीन से निकालता है, जो कि जमीन में पड़ी हुई है , और उन से देश का निर्माण होता है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जहां कई दृष्टियों से दुर्भाग्यशाली है, वह कोयले की दृष्टि से भी दुर्भाग्यशाली होता जा रहा है । कुछ दिन हुए हमारे यहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश का कोयले का कोटा पहले से कम कर दिया गया है । सोना निकालते हैं, जवाहरात निकालते हैं और भी बहुत सी चीजें जमीन से निकालते हैं। लेकिन मैं उन के बारे में नहीं कहना चाहता। उस को हमें दीजिये या न दीजिये । लेकिन कोयला जैसी चीज का जितना हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिये वह जरूर दिया जाना चाहिये । अगर हम को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं मिल सकती हैं, अगर पंच वर्षीय योजना में आबादी के लिहाज से जितना धन हम को चाहिये वह नहीं मिल सकता है, बड़े बड़े कारखाने नहीं मिल सकते, तो कम से कम जो छोटे छोटे कार्य उत्तर प्रदेश में कोयले के द्वारा हो रहे हैं, वह तो जारी रक्खे जायें ।

[श्री दि० सिं० धौधरी]

मैं निवेदन करूं कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ों की वजह से बड़ा नुक्सान हुआ, बहुत से मकान नष्ट हुए, और उसके साथ साथ बारिश होने कि वजह से गांवों को बहुत नुक्सान पहुंचा। मैं जिस मथुरा क्षेत्र से आता हूं, उस के सम्बन्ध में निवेदन करूं कि सैकड़ों नहीं हज़ारों घर नष्ट हो गये केवल पानी की वजह से। लेकिन जब उन के सामने सवाल आता है कि उन मकानों को बनाया जाय, तो उसके लिये ईंटें नहीं मिलती हैं। इस लिये ईंटें नहीं मिलती कि कोयले की कमी की वजह से जो भट्टे चलते थे वे बन्द पड़े हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि हमारे यहां कोयले का उत्पादन बढ़ रहा है, और मेरा तो यह कहना है कि कुछ लाख नहीं, मिलियनों टन कोयला हर वर्ष बढ़ रहा है और हम उस को ३३ मिलियन टन तक बढ़ा ले जायेंगे, तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक लेकिन उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जितना कोयला पहले मिलता था वह भी नहीं मिलता। और इस कारण जो ईंटों के भट्ठे चलते थे वे बन्द हो गये।

हम को मकान ही नहीं चाहिये, हमारे देश का सब से महत्वपूर्ण काम है अन्न का उत्पादन। हमें जितना चाहिये उतना हम पैदा नहीं कर पाते। इस के लिये हम को चाहिये कि हम कुएं बनायें। मथुरा ऐसे स्थान पर है जहां पर नहरों का पानी बहुत कम मिलता है, जहां ट्यूबवेल भी सफल नहीं हो पाये हैं। जो सरकारी रिपोर्ट में तजुर्बे के आधार पर निश्चय हो चुका है। सौभाग्य से अगर कुछ हो सकता है तो हम वहां यही कर सकते हैं कि कुएं बनायें और उससे सिंचाई करें। कुओं के लिये कोआपरेटिव से रुपया दिया जाता है, तकावी दी जाती है, लेकिन किसान बेचारा इस लिये अपने कुएं नहीं बना सकता कि उस कि पास ईंटें नहीं हैं, और ईंटें इस लिये नहीं हैं कि उन को तैयार करने के लिये कोयला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप देश का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो किसानों के लिये जो आवश्यक चीज है, जिस के बिना वह उत्पादन नहीं कर सकते, उस को देने का विचार करें। कोयला भले ही और काम के लिये बन्द हो जाय लेकिन कम से कम इस काम के लिये कम नहीं होना चाहिये।

हमारे यहां एक नाला निकल रहा है। जो मथुरा का जिला है, उसमें सरकार की कृपा से एक बहुत बड़ा नाला गोवर्द्धन डैम के नाम से निकला है। उस नाले के लिये ठेका दिया गया पुल बनाने के लिये, और यह कोशिश की जा रही थी कि बरसात से पहले नाला बन कर तैयार हो जाय। लेकिन आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि उस का काम इस लिये बन्द है कि जिस भट्टे को ठेका दिया गया था वह बन्द है। वह इस लिये बन्द है कि उस के लिये वहां से कोयला नहीं आता।

मैं इस मंत्रालय के ध्यान में विशेष रूप से लाना चाहता हूं कि कोयले की कमी का प्रभाव और तरह से भी पड़ता है। आप देखिये कि हमारी सरकार का उद्देश्य सहकारिता की उन्नति है, हम जो समाजवाद देश में लाना चाहिये हैं वह भी सहकारिता के द्वारा। इस मंत्रालय को मालूम होना चाहिये कि जो काम सहकारिता के द्वारा किये जा रहे हैं उन के करने वालों को कोयला पाने में अधिक कठिनाई होती है, अपेक्षकृत उन लोगों के जो निजी रूप से अपने काम करते हैं। यही नहीं बल्कि जो कोयला सहकारिता से काम करने वालों को मिलता है उस की क्वालीटी को अगर आप देखिये तो वह अपेक्षाकृत अधिक खराब होता है निजी काम करने वालों की तुलना में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो उच्च स्तर की संस्था कोआपरेटिव की उत्तर प्रदेश में है उस के सामने एक और सवाल आता है कि कोयला मंगाने में उन का अतिरिक्त खर्च भी होता है। दुर्भाग्य से वह कोआपरेटिव संस्थायें उस अतिरिक्त खर्चे को नहीं कर पातीं, इस लिये उन्हें कोयला पाने में कठिनाई होती है। इस लिये इस अतिरिक्त खर्च को, चाहे इसे आप रिश्वत

कहिये या भ्रष्टाचार कहिये, उस को रोकने की कोशिश की जाय अन्यथा यह सहकारिता का क्षेत्र, कि हमारी सरकार की चीज़ है हमारी पार्टी कांग्रेस की नीति है, जिसको हमारे नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विशेष महत्व दिया है, वह समाप्त हो जायेगा। इस मंत्रालय को मालूम होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश में जो सहकारिता के आधार पर चल रही है, संस्थायें हैं, उन को लाखों रुपयों का नुक्सान इस लिये हो गया कि उन के द्वारा चलाये जा रहे सैकड़ों, बल्कि शायद हज़ारों कहना गलत नहीं होगा, भट्ठे इस लिये बन्द हो गये कि उन्हें कोयला नहीं मिला।

मैं ने आप के सामने रक्खा कि उत्तर प्रदेश के कोटे कि दृष्टि से वहां कोयला नहीं मिल रहा है। इसी तरह से और बड़े बड़े काम हैं जो मैं ने आप के सामने रक्खे। मैं ने आप के सामने रक्खा कि उत्पादन को बढ़ाने के लिये, जो कुंएं हम बनाते हैं उस के लिये कोयला नहीं मिल रहा है। मैं ने आपके सामने यह भी रखा कि हमारे यहां जो मकान ढह गये हैं, नष्ट हो गये हैं, उन को बनाने के लिये भी हमें ईंटें नहीं मिल रही हैं, ईंटें इस लिये नहीं मिल रही हैं कि कोयला नहीं मिल रहा है। हमारे सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी कि जिला मथुरा कई वर्ष से डूबता रहा है। उस से बचाने के लिये जो नाले की योजना सरकार ने बनाई थी, वह योजना स लिये सफल नहीं हो रही है कि कोयले की सप्लाई के आधार पर जिन भट्ठों को ठेका दिया गया था वे बन्द पड़े हैं। मैं कहां तक इन बातों को आपके सामने रक्खूं? मैं ो यही निवेदन करूंगा, जैसा कि पहले भी कह चुका हूं जिस तरह से हम और बातों में ऊपर की तरफ देखते हैं, जिस तरह से मैं ने आपको बतलाया कि हमारे पूंजीपति या जो हमारे निजी उद्योग धन्धों को चलाने वाले हैं और बातों में आगे बढ़ जाते हैं उसी तरह से वे कोयला जैसी चीज़ को भी सब मिल कर खा जाते हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। तो मैं इस के लिये कहां तक निवेदन करूं। जहां हम सोशलिस्टपैटर्न लाना चाहते हैं, समाजवाद लाना चाहते हैं, ऊपर से उन्नति नीचे तक लाना चाहते हैं वहां यह लोग जो व्यक्तिगत कामों को कर रहे हैं वे समाज को नीचे के हकों को ऊपर को ले जाना चाहते हैं।

इस से आगे बढ़ कर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग निजी भट्ठे चलाते हैं, वे न जाने कहां से अपने भट्ठों के लिये कोयला ले आते हैं। अगर परमिट से चाहें तो कोयला नहीं मिलता लेकिन अगर ब्लेक के द्वारा या भ्रष्टाचार कर के लेना चाहें तो जितना चाहें ले सकते हैं। बहुत से भट्ठे ऐसे हैं जो इस तरह से चल रहे हैं। जो कोयला कायदे के मुताबिक आना चाहिये वह नहीं आता है लेकिन इस तरह से आ जाता है। मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय का काम है कि वह गम्भीरता से इस बात पर विचार करे और उस बुनियाद को मजबूत करे जो नीचे से किसानों को उठाने की बुनियाद है। उस बुनियाद को मजबूत कीजिये जो कि देश के लिये अन्न उत्पादन करने वाली है। उन लोगों को बड़े बड़े कारखाने नहीं चाहियें, जवाहरात हीरे नहीं चाहियें, उन को कोयला चाहिये कोयला इस लिये नहीं चाहिये कि उन को बड़े बड़े महल बनवाने हैं, इस लिये नहीं चाहिये कि बड़े बड़े कारखाने बनाने हैं। जो निम्न स्तर के साधारण आदमी बाहर पड़े रहते हैं, उन के छोटे छोटे घरों को बनवाने के लिये, अन्नोत्पादन के लिये और कुंओं के लिये ईंटें नहीं हैं, वह चाहिये ताकि उनसे पानी निकल सकें और अन्न उत्पादन बढ़ सकें।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : १० अप्रैल १९६२ से पूर्व खान और ईंधन विभाग को इस्पात् खान और ईंधन मंत्रालय में विलीन कर दिया गया था। परन्तु उस दिन से यह अलग मंत्रालय हो गया है। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु कोयले की स्थिति के बारे में चिन्ता है। इस कोयला उद्योग पर भारी संकट है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हमें इस दिशा में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामेश्वर टांटिया]

जागरूक होना चाहिए। इस बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य हमने निर्धारित किये उसे प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए और सारे साधन लगा देने चाहिए। हमें यह समझ लेना चाहिए कि कोयले पर ही सारे उद्योगों का आधार है। दूसरी योजना में लक्ष्य ६०० लाख टन था। परन्तु हम उत्पादन ५४० लाख टन से अधिक न बढ़ा सके। ६० लाख टन की कमी रह गयी। तीसरी योजना में लक्ष्य ११०० लाख टन है। हैरानी की बात है कि जिस गति से हम चल रहे हैं उससे यह लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जायेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि गैर सरकारी क्षेत्र ने अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया था। हमें इस सफलता पर उन्हें मुबारक बाद देनी ही चाहिए। मेरे विचार में गाड़ियों का उपलब्ध न होना भी इस दिशा मे संकट का कारण है। हमें आशा करनी चाहिए कि आने वाले वर्षों में स्थिति काफी सुधर जायेगी और रेलवे मंत्रालय और खान ईंधन मंत्रालय में अच्छा और अपेक्षित समन्वय निर्माण हो सकेगा। रेलवे को ७१०० गाड़ियां देनी चाहिए थीं परन्तु दी गयी ५९००। अब प्रतिदिन १२००० गाड़ियों की आवश्यकता है। इस स्थिति से कोयले के शहरों में दाम भी बढ़ जाने की सम्भावना है।

यह भी अच्छी बात है यदि हम विश्व बैंक से मशीनरी को बदलने के लिए लिए हुये कर्ज को इस उद्योग में लगा दें। पता नहीं सरकार इस कर्जे का प्रयोग क्यों नहीं कर रही। यह भी मेरा अनुरोध है कि जहां पर कोयला उपलब्ध नहीं, वहां सरकार को भट्टी का कोयला मुनासिब दरों पर देना चाहिए इस उद्देश्य के लिए जब तक रेलवे परिवहन अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता सड़क और जल परिवहन साधनों को भी प्रयोग में लाया जाय। उद्देश्य यही है कि सारा जोर लगा कर कोयला सम्बन्धी लक्ष्य को बढ़ाया जाए।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रान्त से आता हूं जहां कि आयरन और काफी मात्रा में मिलता है। मेरी इस हाउस से दरख्वास्त है कि इस काम को जल्दी से जल्दी नेशनलाइज किया जाय। वहां जो पहले संडूर स्टेट था उसमें बहुत अच्छा आयरन ओर निकलता था और उसका परसेंटेज ७० तक रहता था। अब यह स्टेट मर्ज हो चुका है और उसके मर्ज होने के बाद बड़े बड़े प्राइवेट लोग इस आयरन ओर को ले रहे हैं। इस कारण वहां इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में और आयरन हासिल करने में कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। लिहाजा मैं चाहता हूं कि संडूर का जो तमाम आयरन ओर पूंजीपतियों ने हासिल किया है और जिसको और लोग हासिल कर रहे हैं, उसको जल्दी से जल्दी नेशनलाइज कर दिया जाए।

इसके अलावा मुझे यह कहना है कि हमारे यहां की कोलार गोल्ड माइन्स और हट्टी गोल्ड माइन्स को सेंटर अपने हाथ में ले रहा है हालांकि इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। इन माइन्स को स्टेट ने नैशनलाइज कर दिया था और उनको स्टेट चला रही थी। फिर भी सैंटर नेशनल इंपारटस की वजह से जब उनको अपने हाथ में ले रहा है तो वहां कम्पेन्सेशन और रायलिटी का सवाल आएगा। मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार सहानुभूति से विचार करे और यह वाजिबी तौर पर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैसूर राज्य के लिये यह बड़े फख्र की बात है कि यह दोनों कोलार और हट्टी की गोल्ड माइन्स उस में मौजूद है। मेरा कहना यह है कि अब गोल्ड माइंस को जो नेशनलाइज किया जा रहा है तो उस के लिये हमें यह पता चला है कि कम्पेंसेशन बहुत कम दिया जा रहा है।

इस के अलावा पहले जो यहां पर प्राइवेट ओनर्स काम करते थे तो डेढ़ दो करोड़ रुपया इन दोनों माइंस् को नेशनलाइज करने में मैसूर स्टेट को भार उठाना पड़ा था और मुआविजा देते समय केन्द्रीय सरकार उसको भी ध्यान में रक्खे और जोड़ दे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आयरन ओर बनाया जाता है इसको कच्चे रूप में ही एक्सपोर्ट किया जाता है । मुल्क की सम्पत्ति को खसूस्न आयरन ओर को देश में ही खपाने के लिये बड़े बड़े स्टील के कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता है और इसलिये बैलारी और हास्पेट में स्टील के बड़े बड़े कारखाने कायम करने निहायत जरूरी हैं क्योंकि वहां पर तुंगभद्रा प्रोजेक्ट की वजह से काफी एलेक्ट्रिसिटी हम हासिल कर सकते हैं । यहां पर बड़े पैमाने पर नेशनल इंडस्ट्रीज कायम की जांय या छोटे पैमाने पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलाने के लिये भी इनकरेजमेंट दिया जाय ताकि हमें यह कच्चा माल जो कि आयरन ओर के रूप में हम ऐक्सपोर्ट करते हैं वह न करना पड़े और उसको हम खुद अपने देश के निर्माण में काम में ला सकें । यहां पर स्टील इंडस्ट्रीज के छोटे और बड़े धधों को कायम करना निहायत जरूरी है ।

सुंडूर महाराजा की स्टेट मर्ज होते वक्त उन्होंने जो अपनी ओन प्रापरटी बताई है वह बिलकुल गलत है । उतनी प्रापरटी नहीं है और उसको जल्द से जल्द नेशनलाइज करना चाहिये । सुंडूर महाराजा और डालमिया की जो मैंगनीज की हजारों एकड़ की फील्ड्स हैं, इतना बड़ा ऐरिया नहीं रहने देना चाहिये और उनका कम्प्लीट नेशनलाइजेशन करके छोटे छोटे टुकड़े बना कर दे देना चाहिये । सुंडूर महाराजा को मैंगनीज इंडस्ट्री शुरू करने के लिये जो लाइसेंस दिया है उसको रद्द करके नेशनलाइज करके नेशनल इंडस्ट्रीज शुरू करनी चाहिये । इसके लिये प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी मैंगनीज जो काफी पाया जाता है उसको डेवलप करने के लिये इस को उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिये । इस साल मैंगनीज के जो आंकड़े दिये गये हैं उससे मैंगनीज मंगाने में काफी फारेन का उत्पादन बहुत कम बढ़ा है, एक्सचेंज खर्च हो जाता है और उसका नुकसान उठाना पड़ता है । इस लिये जरूरत इस बात की है कि जहां तुंगभद्रा की इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होती है वहां पर आयरन और मैंगनीज की इंडस्ट्रीज स्टार्ट करनी चाहिये ।

सुंडूर महाराज को लाइसेंस दिये तकरीबन ४, ५ साल हो गये अब तक वह इंडस्ट्री कायम नहीं कर पाये । अब उनको इस इंडस्ट्री को कायम करने के लिये जो एक, एक साल का ऐक्सटेंशन दिया जाता है और जो मदद दी जाती है मैं उसके बिलकुल खिलाफ हूं । मैं चाहता हूं कि आपकी ओर से इंडस्ट्रीज कायम करने के लिये जो भी सहूलियतें दी हैं उन को बिदड्रा कर लिया जाय और नेशनल तौर पर यह इंडस्ट्री कायम की जाय या किसी एक्स रूलर के हाथ में यह काम दे दिया जाय ।

इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने जब एक सवाल पूछा था तो यह जवाब दिया गया था कि चूंकि यहां पर कोयला नहीं है इसलिय हम आयरन और स्टील की इंडस्ट्री कायम करने से मजबूर हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि जब तुंगभद्रा प्रोजक्ट से काफी इलेक्ट्रिसिटी हम हासिल करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि कोयले के लिये ही हम इसका एक ठहराव करें । लेकिन अगर कोयला जरूरी भी हो तो दूसरी तरफ से हम यहां पर कोयला हासिल कर सकते हैं । लिहाजा आप यहां पर आयरन और स्टील की इंडस्ट्री नेशनल तौर पर कायम कीजिये ।

अन्त में मैं फिर आपसे कहूंगा कि इन दो गोल्ड मांइस् को नेशनलाइज करने के लिये जो आर [illegible] वह मुनासिब हो और लिबरल तरीके से उनको मुआविजा दे कर नेशनलाइज करें

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं इस मंत्रालय को और विशेष कर मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी मेहनत से हिन्दुस्तान में तेल उत्पादन करने का काम प्रारम्भ किया। चंद वर्ष पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहां हम तेल निकाल सकते हैं। लेकिन इस मंत्रालय ने और खास कर हमारे मिनिस्टर साहब ने अथक परिश्रम कर के यहां तेल मिलने की एक आशा हम लोगों में पैदा कर दी है। अभी तेल का उत्पादन देश में कम हो रहा है लेकिन आशा है कि कुछ दिनों के बाद हम तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे और हमारा काम देश में पैदा होने वाले तेल से चल जायगा।

हमारे कई दोस्तों ने आयल एंड नेचुरल गैस कमिशन को क्रिटिसाइज किया है और बेढंगे तरीके से क्रिटिसाइज किया है।

उस कमिशन के ऐचीवमेंट्स रिपोर्ट के सफे ३९ पर पैराग्राफ १२ में दिये गये हैं :—

"प्रारभिक प्रयोग के बाद अंकलेश्वर में १५ अगस्त १९६१ को बिना साफ किये तेल का उत्पादन आरम्भ हो गया। १.९.६१ से ६.२.६२ तक लगभग १०० टन तेल प्रतिदिन बाहर भेजा गया। आशा है यह उत्पादन अक्तूबर १९६२ तक बढ़ कर १५०० टन प्रतिदिन हो जायेगा।" अब यह कोई मामूली ऐचीवमेंट नहीं है। जहां तक गलतियों का सम्बन्ध है तो बड़े बड़े इस्टैबलिशमेंटस से गलतियां तो हो ही जाया करती है। मैं मानता हूं कि उन गलतियों को दूर करना चाहिये लेकिन जो ऐचीवमेंट्स हुए हैं उनको नजरअंदाज करना मुनासिब बात नहीं होगी ।

दूसरी बात इस तेल के सम्बन्ध में जिसके लिये में बधाई देता हूं वह यह है कि जब फौरेन कम्पनीज कम्बाइंड हो कर अपना तेल का रेट कम नहीं कर रही थीं तो मिनिस्टर साहब ने हिम्मत नहीं हारी और रूस से तेल मंगवाया। उस के बाद कई तरह से फौरेन कम्पनीज ने हमारे इस ऐक्शन को डिफीट करना चाहा और यह चाहा कि फ्यूचर में फिर यह इम्पोर्ट न हो, उसके लिये जो गैलिएंट फाइट मिनिस्टर साहब ने दी या मंत्रालय ने दी मैं उस के लिये उनको बधाई देता हूं। हांलाकि उसमें कोई २ या ढ़ाई लाख रुपये का हमें घाटा हुआ लेकिन यह कुछ बात नहीं है क्योंकि जब कम्पिटीशन होता है तो कभी घाटा और कभी नफा होता ही है। हमें उन की हिम्मत की तारीफ करनी चाहिये कि इस कम्बीनेशन के बावजूद उन्होंने इस काम को बखूबी किया और करने का इरादा रखते हैं इसलिये भी मैं उनको बधाई देता हूं।

मैं इस सम्बन्ध में और अधिक न कह कर कोयले के सम्बन्ध में कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। कोयले के बारे में मैं देखता हूं कि बड़ी ही शोचनीय अवस्था है। हमारे यहां जमीन के अंदर काफी कोयला पड़ा हुआ है, निकालने की शक्ति भी हम लोगों में है लेकिन चूंकि हम उसको ले नहीं जा सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते हैं इसलिये हमारा प्रोडकशन गिर रहा है। अब करें भी क्या ? जब पिटहैड्स में ज्यादा कोयला जाता है तो जानबूझ कर अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। हम उस की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने की शक्ति भी हम में है लेकिन चूंकि कोयले को रखने की जगह हमारे पास नहीं है, उसको उठा कर ले जाने के साधन प्राप्त नहीं हैं इसलिये हमें उसके प्रोडक्शन को कम करना पड़ा। यह बहुत ही दर्दनाक बात है। जिस काम को हम कर सकते हैं उसको एक मामूली बाधा के कारण यदि हम न कर सके तो उस में बड़ा अफसोस होता है। परिणामस्वरूप हमको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ा है और सन् १९६०-६१ में टार्गेट के बहुत नीचे हम को आना पड़ा।

मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस बात को सोचे कि कोयला जो हम पैदा करेंगे उसको ले कैसे जायेंगे। रेलवेज से सारा कोयला ले जाना संभंव नहीं है। रोड्स हमारी इतनी मजबूत नहीं हैं कि वह बड़े बड़े ४०, ५० और ६० टन लादने वाले ट्रकों को अपने ऊपर से गुजार सकें। कम से कम

में अपने प्रान्त की बात जानता हूं कि वहां की सड़कें और पुल इतने मजबूत नहीं हैं कि उन के ऊपर से इतनी हैवी ह्वैकिल्स् आ जा सकें। और अगर वे आयें जायेंग, तो पुल और सड़कें टूट जायेंगी। इस बारे में क्या करना है? अगर माननीय मंत्री के पास इस सम्बन्ध में कोई प्लान हो, तो वह हाउस को बतलाने की कृपा करें।

थर्ड फ़ाइव यीअर प्लान के अन्त तक कोयले का प्राडक्शन ९७ मिलियन टन करना है। इस समय वह ६० मिलियन से कम है। इस के मानीये हैं कि प्राडक्शन में ५२ परसेंट से ज्यादा वृद्धि करनी है। जहां तक वैगन्ज़ का सम्बन्ध है, आज ४,७०० वैगन्ज़ हम को मिलते हैं। अगर ४० परसेंट भी बढ़ाए जायें, तो ७,००० वैगन्ज़ पर-डे हम को चाहिये। मुझे विश्वास नहीं कि रेलवे मंत्रालय उनका प्रबन्ध कर सकता है। तो फिर आल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या होगा? आखिर कोयला कैसे ढ़ोया जाये? आज तो सिटुएशन कुछ ईज्ड है, लेकिन फिर कभी ऐसी हालत न आ जाये कि बीच में ही प्राडक्शन को रोक देना पड़े। मैं समझता हूं कि इस के लिये उपाय सोचना और करना बहुत आवश्यक है।

अपने प्रान्त में हम देखते हैं कि वहां पर असंख्य टन कोयला पड़ा हुआ है, लेकिन वहां के कनज्यूमर्ज—खासकर रूरल एरियाज़ के कनज्यूमर्ज—कोयले के लिय तरस रहे हैं। यह तो वैसी ही मिसाल है कि सामने अन्न परोसा हुआ है, रखा हुआ है, लेकिन आदमी उस को ले नहीं सकता, खा नहीं सकता और उसे भूखा रहना पड़ता है। बिहार में कोयले की कमी नहीं है। वहां पर वहुत कोयला निकलता है, लेकिन हम को मिल नहीं सकता है। जो लोग कोल पिटहैड्ज़ से दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, उन को डिफ़िकल्टी हो सकती है। एक क्षण के लिये उन की बात जाने दीजिये, लेकिन नज़दीक वालों को कोयला कैसे उपलब्ध किया जाये, इस का उपाय अवश्य किया जाना चाहिये।

वह क्षेत्र एक फ्लड-एफ़ेक्टिड एरिया है। वहां पर कच्चे मकान नहीं बनाए जा सकते। अगर बनाए जायेंगे, तो एक साल के बाद गिर जायेंगे इस लिये वहां कोयले की बहुत ज़रूरत है। लेकिन कोयला होते हुए भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उस को ले जाने के लिये साधन नहीं हैं। इस का क्या उपाय है?

मैं एक उपाय सोचता हूं और वह यह है कि लीन सीज़न में—भादों और उस के आस-पास के दो महीनों में नदी के किनारे जरा से नाव या स्टीमर के ज़रिये या और किसी तरह से कनज्यूमर्स ले जा सकें स्टाक पूरा किया जाये। बाद में कनज्यूमर्ज़ वहां से ले जा सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं।

नार्थ बिहार में पहले से ट्रांसपोर्ट बाटलनेक था। मुकामाह ब्रिज के बनाए जाने से वह समस्या बहुत हद तक हल नहीं हुई। उस पर इतनी भीड़ होती है कि कोयले के वैगन्ज़ नहीं ले जा सकते। उसके अलावा वैगन्ज़ हैं भी नहीं। इसका उपाय क्या है? जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, या छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज़ चलाना चाहते हैं, या जो ब्लैक-स्मिथ्स अपना काम करना चाहते हैं, उन को कोयला कैसे मिले? उसका एक उपाय तो मैंने रखा है। अगर गवर्नमेंट के पास इस बारे में कोई दूसरा प्रोपोज़ल हो, तो वह इस सदन के सामने प्रस्तुत करे।

जहां तक अन-इकानोमिक कालियरीज़ का सम्बन्ध है, गवर्नमेट की एफ़र्टस से उनमें से कुछ को एमलगमेट किया गया। कमेटी ने अभी तक ४१ प्रोपोज़ल माने हैं, लेकिन उनमें से २३ केसिज़ में इम्पलीमेंटेशन हुआ और ४५ कालियरीज़ को एमलगमेट किया गया। लगभग छःसौ अन-इकानोमिक कालियरीज़ बाकी हैं। उनका क्या होगा? हम चाहते थे कि यहां पर ऐसी फ़िगर्ज़ रखी जातीं कि

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

टोटल प्राडक्शन का कितना हिस्सा इन अन-इकानोमिक कालियरीज़ में होता है और उन को इकानोमिक बनाने का क्या तरीका है। एक तरीका तो एमलगमेशन था, लेकिन वह फ़ेल हो गया।

दूसरा तरीका है नेशनलाइज़ेशन का। प्रश्न यह है कि क्या हम इतनी कालियरीज़ को नेशनलाइज़ कर सकते हैं। क्या उन अन-इकानोमिक कालियरीज़ में पैसा सिंक करके हम कुछ इनकम हासिल कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट बराबर उन उद्योगों और अण्डरटेकिंग्ज़ को लेती रहे, जिन में सदा घाटा होता रहे? हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई उद्योग गवर्नमेंट के हाथ में आता है, तो उसको उस उद्योग में एक स्टैण्डर्ड मेनटेन करना पड़ता है। प्राइवेट ओनर्ज़ तो रूल्ज़ की खिलाफ़-वर्जी करके और मज़दूरों को एमेनिटीज़ न देकर भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में कोई कालियरी आने के बाद अगर उसमें मज़दूरों को पूरी फैसिलिटीज़ और एमेनिटीज़ न दी जायें और सब सेफ्टी के मेज़र्ज़ न अख्तियार किये जायें, तो उसकी क्रिटिसिज्म होगी, उसकी आलोचना की जायगी। ऐसी हालत में अन-इकानोमिक कालियरीज को नैशनलाइज़ किया जाय या नहीं, यह एक अहम प्रश्न है। मैं नहीं जानता कि गवर्नमेंट के पास उन कालियरीज़ के सम्बन्ध में क्या प्रोपोज़ल है। यह भी अच्छा नहीं होगा कि उनको हमेशा के लिये बन्द कर दिया जायगा, क्योंकि उस अवस्था में जो प्राडक्शन इस वक्त होता है, वह बन्द हो जाएगा।

मैं मानता हूं कि अगर इस सम्बन्ध में काम्पीटीशन रहता और बाजार में कोयला बिना कण्ट्रोल के बिकता, तो ये कालियरीज़ बन्द हो जातीं——वे काम न कर सकतीं, चल न सकतीं। चूंकि इस वक्त स्केर्सिटी प्राइसिज़ प्रीवेल करती हैं, इसलिये कालियरीज़ मुंह-मांगे दाम ले लेती हैं और उनका काम चल जाता है। हम यह जानना चाहते हैं कि मिनिस्टर साहब इस बारे में क्या उपाय करना चाहते हैं, जिस से उन कालियरीज़ का प्राडक्शन बढ़े और नेशन का काम चले।

इस बारे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि जिन प्रान्तों में ये फैक्ट्रीज़ हैं——जैसे हमारे यहां बरौनी रिफ़ाइनरी और आसाम में रिफ़ाइनरी हैं——वहां के लोकल लोगों को क्या सुविधायें मिलती हैं। मैंने देखा है कि वहां पर छोटी छोटी जगहों के लिये बाहर से लोग लाए जाते हैं और चिल्ड्रन आफ दि सायल की तरफ़, जिन को इन फ़ैक्ट्रीज़ के खुलने से बड़ी उम्मीद होती है, काफी ध्यान नहीं दिया जाता है। २००, ४०० और ६०० रुपए की पोस्ट्स बाहर के लोगों को दी जाती हैं, जिससे वहां के लोगों को बहुत असन्तोष होता है और कभी कभी झगड़ा तकरार भी होता है। एक दो वर्ष पहले आसाम और बरौनी में झगड़ा और मारपीट हुई। इन्हीं बातों को लेकर इजीनियर्ज़ आदि भी असन्तुष्ट हुए कि उन को ठीक डील नहीं मिला है। इसलिये इस बात की तरफ़ काफ़ी ध्यान देना चाहिये कि जहां ये फ़ैक्ट्रीज़ हैं, वहीं के लोगों को, जिल्ड्रन आफ दि सायल को, उन में स्थान दिया जाये और बाहर के लोग इम्पोर्ट न किये जायें।

इस मिनिस्ट्री में कोयले और तेल के अतिरिक्त गोल्ड को माइन्ज़ और लिग्नाइट आदि भी आते हैं। उनकी तरफ ध्यान तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ गवर्नमेंट का काफी ध्यान नहीं है। उन की प्राडक्शन की तरफ ज़रा स्टैप-मदरली ट्रीटमेंट होता है। वे भी नेशन की वैल्थ को ऐड करने में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। उन की तरफ भी हम लोगों का ध्यान जाना चाहिए। जैसे आयल और कोयले की तरफ मिनिस्टर साहब का ध्यान है, वैसे ही इन सामानों के प्रति भी उनका रुख होना चाहिए, जिससे देश की वैल्थ में वृद्धि हो सके।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तेल के मामले में बहुत अच्छा काम किया है और तेल के मामले में मैं

समझता हूं कि हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। मैं आशा करता हूं कि उनकी हार्दिक इच्छा और कोशिशों के फलस्वरूप वह समय जल्दी आ जाएगा जबकि देश में तेल की कमी नहीं रह जाएगी और कम से कम विदेशों में हमें तेल मंगाना नहीं पड़ेगा और इस बारे में विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा।

कोयले का जहां तक सम्बन्ध है मैं मन्त्री जी का खास कर उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वहां पर कोयले की बहुत कमी है और वहां के रहने वालों के लिये यह एक समस्या बन गई है। कारखाने चलाने वालों के लिए, घर गृहस्थी चलाने वालों के लिये यह समस्या बहुत गम्भीर रूप धारण कर चुकी है। वहां की परिस्थिति इतनी खराब है कि बयान नहीं की जा सकती। मैं कानपुर से आ रहा हूं और वहां की स्थिति ऐसी है कि कारखाने चलने मुश्किल हो गए हैं। यही स्थिति साफ्ट कोक के बारे में है। जहां पर एक लाख मन की जरूरत है, वहां पर मुश्किल से बीस या पच्चीस हजार मन कोयला ही दिया जाता है। कहने को कहा जाता है कि कानपुर में एक कोल डम्प कायम कर दिया गया है लेकिन डम्प बनाने से क्या फायदा है अगर कोयला ही नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि वहां पर कोयले की जो स्थिति है, उसकी तरफ मन्त्री जी का ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानपुर की ही स्थिति ऐसी नहीं है बल्कि बीयांड मुगलसराय, मुगलसराय के आगे जितनी भी जगहें हैं, उन सब की परिस्थिति ऐसी है। अभी कुछ दिन पहले एक सवाल मैंने यहां सदन में किया था और मैंने कहा था कि जो भट्टे चलाने वाले हैं, उनको कोयला नहीं मिल रहा है, इस वजह से लगभग तीस हजार मनुष्यों के सामने जो इस काम में है, बेकार होने की नौबत आ सकती है। मैं समझता हूं कि अगर इस बारे में कुछ नहीं किया गया तो परिस्थिति इतनी गम्भीर हो जाएगी कि बाद में शायद वह सुलझायी न जा सके। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम कोयले के बारे में क्या परिस्थिति है, इस पर प्रकाश डाला जाए। सवाल जवाब तो यहां पर होते रहे हैं और हमें यह भी मालूम है कि कोयले का उत्पादन देश में बढ़ा है और आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि देश में कोयला ही कोयला है, लेकिन मुसीबत का तब पता चलता है जब हम लोग अपने शहरों में जाते हैं और वहां की हालत को देखने व सुनते हैं। कारखाने वालों तथा गृहस्थी वालों दोनों को कोयला नजर आता नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि बीयांड मुगलसराय क्या स्थिति है, इसको मन्त्री महोदय हम लोगों को बता दें और जो सही पोजीशन है, उससे हम को अवगत करा दें तो कम से कम हम लोगों को यह तो मालूम हो सकता है कि आखिर बात क्या है और परिस्थिति है क्या।

दूसरा सवाल कोयले के दामों का आता है। ऐसा लगता है कि शायद इसके दाम बढ़ा दिये जायेंगे। अगर कोयले के दाम बढ़ाये जाते हैं तो तमाम चीज़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं। आप की तरफ से कहा जा सकता है कि दाम इतने कम बढ़ाये जायेंगे कि बड़े आदमियों को मुमकिन है कि कुछ देना पड़े लेकिन जो कन्ज्यूमर्ज़ हैं जो छोटे उपभोक्ता हैं उन पर शायद कोई असर न पड़े। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हालत कुछ ऐसी हो गई है कि दाम बढ़ने से मुमकिन है कि खास असर न होता हो, लेकिन आम तरीके से जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं, उनको अगर कोयला थोड़ा सा भी महंगा मिलता है, तो वे यह कोशिश करते हैं कि उनके यहां से कन्ज्यूमर्ज को, उपभोक्ताओं को जो चीज़ मिले, वह ज्यादा दामों से मिले। इसलिये मैं समझता हूं कि कोयले के दाम बढ़ाने से पहले इसको अच्छी तरह से सोच लिया जाए कि उसका असर कहां तक जाएगा। अगर उसका कोई भी असर नहीं होगा और आप ऐसा समझते हैं तो मेरे विचार में यह गलत है। इसका असर जरूर होगा। अब उसका कम असर होता है या ज्यादा, यह अलग बात है। इस वास्ते यह चीज़ भी सफाई के साथ हमारे सामने रखी जानी चाहिये।

[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने या कानपुर के ज़िलाधीश ने या वहां के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ग्राफिसर ने बार बार ग्रापके सामने वहां की कोयले की समस्या को रखा है लेकिन ग्रभी तक ग्रापने इस समस्या को हल नहीं किया है । मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के इस सदन में हैं, वे इस बात में मेरा समर्थन करें कि वहां की समस्या को जल्दी सुलझाया जाए । ग्रभी मेरे एक मुग्रज्ज़िज़ दोस्त ने वहां की समस्या को ग्रापके सामने रखा ग्रौर मैं चाहता हूं कि ग्राप उसको हल करें । मैं यह बात इसलिए नहीं कहता कि मैं उत्तर प्रदेश से ग्राया हूं बल्कि इसलिये कहता हूं कि वहां की स्थिति काफी गम्भीर है ग्रौर स्थिति ग्रगर ऐसी गम्भीर बनी रही तो कारखाने वाले जो चाहते हैं कि उनके कारखाने चलते रहें, वे उनको बन्द करने पर मजबूर हो जायेंगे ग्रौर घरेलू इस्तैमाल के लिये लोगों को कोयले की मुश्किल का सामना जो ग्रब करना पड़ रहा है, वह ग्रागे भी करते रहना पड़ेगा ।

दूसरी समस्या कोलमाइंज़ के एफिशेंट फंक्शनिंग की है । उपाध्यक्ष महोदय, जब हम कोल माइंज़ के राष्ट्रीयकरण की बात कहते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद हमें राष्ट्रीयकरण का कोई मीनिया है या फोविया है, इसलिए हम इस बात को कहते हैं । लेकिन यह बात नहीं है । मैं समझता हूं कि कोयला खदानों के जो मालिकान हैं, उन्होंने खदानों की ऐसी बुरी हालत कर रखी है, चाहे ग्राप इसे वर्कर्ज़ की हैसियत से देखें, उनके दृष्टिकोण से देखें या सप्लाई पोज़िशन के दृष्टिकोण से देखें, कि ध्यान की जा सकती है । हालत ग्राज बद से बदतर होती चली जा रही है । सरकार को चाहिये कि ग्राज नहीं तो धीरे धीरे इनका राष्ट्रीयकरण करती चली जाए । कम से कम वह इस दिशा में बढ़ने की कोशिश तो कर ही सकती है । ग्राज नहीं तो दस साल बाद, चौथी योजना में ही सही ग्रगर उनका राष्ट्रीयकरण हो जाए तो भी उसका स्वागत किया जाएगा । एन० सी० डी० सी० के खिलाफ जो चार्जिज़ लोग लगाते हैं मैं यह नहीं कहता कि वे सभी बेबुनियाद हैं । उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है । लेकिन मैं कह सकता हूं कि मोटे तौर पर वह सुचारू ढंग से काम कर रही है । हो सकता है कि उसमें कुछ नुक्स हों । लेकिन वे सभी में हैं । उसका फंक्शनिंग देख कर मालूम होता है कि वह साधारणतया दूसरी कोलमाइंज़ से ग्रच्छे तरीके से काम कर रही है, उनसे बेहतर कम से कम वह जरूर है । इसलिए मैं समझता हूं कि कोलमाइंज़ का राष्ट्रीयकरण देश के हित में होगा, देश के ग्रौद्योगिक विकास की रफ्तार तेज़ करने में सहायक होगा । ग्रगर हमने ग्रौद्योगिक विकास की रफ्तार को दुगुना करना है ग्रौर हम चाहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रौद्योगीकरण ग्रधिक हो तो इसके लिए जरूरी है कि कोयले की खाने सरकार के हाथ में ग्रायें उन पर उसका पूरा कंट्रोल रहे । इसके बिना मैं समझता हूं कि जो हमारी योजना है वह कामयाब नहीं हो सकती है ।

ग्रब मैं ग्रायल एंड नैचुरल गैस कमिशन के दफ्तर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मेरे मुग्रज्ज़िज़ दोस्त बरुग्रा साहब ने कहा कि यह दफ्तर देहरादून में न हो बल्कि ग्रसम में हो । उनकी यह बात मेरी समझ में नहीं ग्राई । देहरादून में जिस तरह से वह फंक्शन कर रहा है ग्रौर जिस सुचारू ढंग से चल रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वह सराहनीय है । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर प्रान्तीय दृष्टिकोण से विचार न किया जाए । ग्रगर वह खुशकिस्मती से उत्तर प्रदेश में है ग्रौर देहरादून उत्तर प्रदेश में है तो यह कसूर उत्तर प्रदेश वालों का नहीं है । मुमकिन है कि देहरादून में कुछ ऐसी परिस्थितियां हों, ऐसी सहूलियतें हों, जिन की वजह से वह वहां है । मैं समझता हूं कि इस दफ्तर को वहीं रहने दिया जाना चाहिये, देहरादून में जहां वह ग्रब है वहीं पर रहने दिया जाना चाहिये उसके फंकशनिंग में माननीय मंत्री जी ने जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, उनके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं ।

जिस तरह से वह तेल की समस्या को हल कर रहे हैं, उसी तरह से उनको कोल की समस्या को भी हल करना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनका इस मिनिस्ट्री में आना बहुत अच्छा रहा है। चाहे आप फार्चुनेट कहिये या लकी कहिये, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस समस्या को हल करने में भी कामयाब होंगे और कोयले को छू कर हीरा बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की तरफ वह खास तौर से ध्यान देंगे जहां कोयला न जलाने के लिए है और न मिल मालिकों को मिलों को चलाने के लिए मिल रहा है और न ही साधारण आदमी को मिलता है। वहां पर कोयले के लिए हाहाकार मचा हुआ है और मैं आशा करता हूं कि वह कुछ न कुछ इस बारे में अवश्य करेंगे।

†**श्री रामरत्न गुप्ता** (गोंडा) : इस में कोई सन्देह नहीं कि देश में कोयले की स्थिति बहुत शोचनीय और संकटपूर्ण हो रही है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयला उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। कोयले की समस्या केवल उसके परिवहन की ही नहीं वरन् उत्पादन की भी है। सरकारी क्षेत्र में उत्पादन कम रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र को अपने कार्य का विस्तार करने और इस प्रकार योजना लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस आयोजन के लिये विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण को उचित ढंग से नहीं लाया जा रहा है जैसा कि अपेक्षित था। कारखानों को कोयले के बजाय तेल से चलाने की योजना व्यवहारिक नहीं है। सरकार को यह देखना चाहिये कि इससे औद्योगिक उत्पादन की लागत न बढ़े। जहां तक तेल उत्पादन का सम्बन्ध है, हाल की उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण तेल उद्योग का लाभ बहुत कम हो गया है। यदि तेल उद्योग को प्रोत्साहन करना है तो इस मामले में समुचित विचार करना चाहिये। तेल उत्पादन के जो भी आंकड़े उपलब्ध है उससे पता लगता है कि इस मामले में तीसरी योजना के अन्त तक १५० लाख टन की कमी रहेगी।

श्री ना० नि० पटेल (बुलसार) : अध्यक्ष महोदय, गुजरात की तरफ से मैं अपने मंत्री महोदय, श्री मालवी का जितना अभिनंदन करूं, उतना कम है। उन्होंने हमारे गुजरात में जितना हो सका और जहां हो सका, उतना तेल निकालने का बहुत अच्छा प्रयत्न अभी तक किया और वह बड़े कामयाब भी हुए। इस से मुझे यह लगता है कि हमारे गुजरात की सूरत बदलेगी। गुजरात की ही नहीं सारे देश की सूरत भी जल्दी से जल्दी बदल जायेगी। हमारे यहां कैम्बे में कुछ कुंओं में तेल है कुछ में नहीं है। मगर थोड़े दिन पहले हमारा एक अखबार "करेन्ट" है उस में, वहां के थोड़े से प्रजा सोशलिस्ट दोस्त हैं जिन्होंने मंत्री महोदय का थोड़ा क्रिटिसिज्म किया और बतलाया कि मालवीय जी ने पंडित जी को गलत बात दिखला दी। कैम्बे में कुंओं में तेल नहीं था, दूसरे कुंओं से पम्पिंग कर के जब पंडित जी वहां गये तो उन को तेल बतलाया। मैं भी गुजरात से आता हूं, जब मैं ने इस को पढ़ा तो मैं ने इस की जांच की। मुझे मालूम हुआ कि वहां पर कुछ वर्कर्स काम करते थे, उन में से कुछ को निकाला गया क्योंकि वह लोग काम में दिक्कत पैदा करते थे। वे वर्कर्स पी० एस० पी० वालों से मिले। और उन्होंने "करेन्ट" में इस तरह की बात छाप दी। इस हाउस के अन्दर मैं श्री मालवीय से कहता हूं कि गुजरात में ऐसे लोग हैं जो कि हवन में हड्डी डालने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ना० नि० पटेल]

वाले हैं। उन लोगों की बिना परवाह किये हुए जो काम आप ने अपने हाथ में लिया है, उस को पूर्ण करें :

मैं सूरत डिस्ट्रिक्ट से आता हूं। सूरत डिस्ट्रिक्ट में ओलपाड़ के अन्दर भी माननीय मंत्री जी ने काम शुरू किया है और मेरी समझ में यह भी आया है कि जहां हमारा उकाई बांध बन रहा है उस तरफ भी वह कुछ कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं उन से प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ थोड़े दिन पहले ऐसा सुनाई पड़ता था कि वहां की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आम तौर पर टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीज़ अहमदाबाद में है, उन को कोयला नहीं मिल रहा है। बिना कोयले के वहां की मिलें बराबर नहीं चलतीं। अभी थोड़े दिनों पहले बलसार में अतुल की एक फैक्टरी कोयला न मिलने के कारण वह दस पन्द्रह दिन बन्द रही और बहुत से लोग बेकार रहे। सुनने में आया था कि वहां अंकलेश्वर से और कैम्बे से इंडस्ट्री के फ्यूअल के लिए तेल भेजा जा सकता था। अगर ऐसा कुछ हो सकता हो तो उस ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दें जिससे हमारी टैक्सटाइल इंडस्ट्री की उन्नति हो।

अभी हमारे गुजरात के एक माननीय सदस्य श्री पुरुषोत्तम दास जी ने कहा कि जो कोयले की रिफाइनरी कायम की जा रही है उसके बदले किसी दूसरी जगह लगायी जाये। मैं इसके खिलाफ हूं क्योंकि इसके लिए जो जगह मुकर्रर हुई है उसका प्लान और एस्टीमेट वगैरह हो गया है। अगर अब इसको इसके बदले दूसरी जगह ले जाया जायेगा तो मेरा खयाल है कि एक दो साल ज्यादा निकल जायेगा। तो ऐसा विचार न करके, जो जगह मुकर्रर है उस पर ही इसको बनाया जाये। चाहे उस जमीन का कुछ ज्यादा दाम देना पड़े लेकिन जल्दी से जल्दी वहां रिफाइनरी शुरू हो जाये ऐसा प्रयत्न किया जाये, यही मेरी प्रार्थना है।

दूसरे मैं मालवीय जी से यह भी विनती करता हूं कि उनके पास दादरा और नगर हवेली से एक डेपूटेशन आया था उस वक्त उन्होंने बताया था कि उनकी ओर ध्यान दिया जायेगा। दादरा और नगर हवेली पुर्तगाल के अधीन थे पर वे अब भारत के अंग हैं। वहां कोई उद्योग धन्धा नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम वहां के लिए कुछ करेंगे। तो आज उनसे मेरी प्रार्थना है कि अगर हो सके तो दादरा और नगर हवेली के लिए भी कुछ करें ताकि वह एरिया जो अभी तक गुलामी में रहा है उसका उद्धार हो जाये।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : मालूम हुआ है कि सेन्ट्रल प्रोविन्सस् मैंगेनीज़ और कम्पनी तथा सरकार के बीच एक समझौता हुआ है जिसके अनुसार सरकार उस समवाय के ५१ प्रतिशत भागों पर अपना अधिकार करेगी। इन ५१ प्रतिशत भागों के भागीदार केन्द्रीय सरकार तथा अन्य दो राज्य सरकारें होंगी और शेष ४९ प्रतिशत अंशों पर उस विदेशी समवाय को अधिकार होगा। पता नहीं सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया। विशेषकर जब कि समवाय के बहुत से पट्टों की अवधि खत्म हो गई थी और अन्य की खतम होने वाली है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

पश्चिमी बंगाल औद्योगिक क्षेत्र है। वहां कोयले की बहुत कमी है। खास बात तो यह है कि पश्चिम बंगाल में सब से अधिक उद्योग हैं और पश्चिम बंगाल एवं बिहार की सीमा पर सब से अधिक खान भी हैं। सरकार को यह बताना चाहिये कि यह संकट कहां तक परिवहन की कमी के कारण है और कहां तक कोयला निकालने और उसके संभरणों के आवंटन में सुस्ती के कारण है।

†मूल अंग्रेजी में

इन उद्योगों को कोयला भेजने के लिये क्या व्यवस्था की गई है । वैगनों की कमी के कारण उन्हें सड़क के द्वारा ट्रकों से कोयला मंगाना पड़ता है । जिसमें उन्हें अधिक धन भी व्यय करना पड़ता है ।

दक्षिण के भागों को कलकता बन्दरगाह से कोयला भेजने के बारे में क्या निर्णय किया गया है । जहाजों की कमी के कारण काफ़ी अवरोध हो जाता है । यह योजना काफ़ी पीछे पड़ गई है । सरकार को यह बताना चाहिये कि उसे इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या आपत्ति है कि यदि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिये उन क्षेत्रों में तुरन्त कार्य प्रारम्भ करना संभव नहीं है तो पश्चिम बंगाल सरकार स्वयं अपनी खानों को चलाये और उनका विकास करे ।

†**श्री हेडा** (निज़ामाबाद) : आंध्र प्रदेश में कोयले के मामले में अतिरिक्त उत्पादन करने वाला क्षेत्र है किन्तु फिर भी वहां कोयले की बहुत कमी है । चाहे वह कोयला किसी भी काम के लिये क्यों न चाहिये । इसका कारण यह है कि आन्ध्र प्रदेश में उत्पन्न होने वाला कोयला पहले आन्ध्र प्रदेश को नहीं दिया जाता । आंध्र प्रदेश का कोयला दूसरे क्षेत्रों को तथा दूसरे क्षेत्रों का कोयला आंध्र प्रदेश के लिये दिया जाता है । यही कारण है कि यह कोयला ठीक समय पर नहीं आता और हमारे यहां कोयले की कमी रहती है । प्राग टूल्स का कारखाना कोयले की कमी के कारण ही बंद करना पड़ा ।

मेरा एक सुझाव है कि आंध्र प्रदेश में यह कोयला बंगाल, बिहार तथा सिंग्रेनी आदि कोयला खानों से सड़क द्वारा लाया जाता और हैदराबाद से उसे रेल द्वारा अन्य स्थानों, जैसे दिल्ली तथा बम्बई तक पहुंचाया जा सकता है । हैदराबाद एक बड़ा नगर है वहां की जनसंख्या में भी बराबर वृद्धि हो रही है । लेकिन कोयले की कमी के कारण वहां के वे उद्योग जो दो वर्ष पूर्व अच्छा कार्य कर रहे थे अब वे कोयले की कमी के कारण प्रायः बन्द हैं । थर्मल प्लांट भी वहां कोयले की कमी के कारण प्रायः बन्द रहते हैं इस कारण हैदराबाद को बिजली भी नहीं मिल पाती ।

मुझे बताया गया है कि सिंग्रेनी का कोयला ऐसा है जिसे पूर्व की ओर नहीं भेजा जा सकता । आज हमारे देश में जब कोयले के लिये हाहाकार मचा हुआ है तब कोयले की किस्म के बारे में झगड़ा करना उचित नहीं है । जिस प्रकार का कोयला भी मिले वैसा ही कोयला महत्वपूर्ण उद्योगों को भेज देना चाहिये । आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर विचार करेंगे ।

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: जहां तक कि खम्भात के तेल निक्षेपों की बात है, उनके बारे में विवाद उठाया गया है । यहां इसकी आलोचना की गई है । भले ही यह आलोचना अच्छे उद्देश्य से की गई हो किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं । सरकार ने न तो यहां सभा में और न बाहर ही कभी भी यह नहीं कहा कि वहां कोई तेल क्षेत्र है । वहां तो एक कुएं में तेल पाया गया था । कुएं में तेल पाना और तेल क्षेत्र होना दोनों ही अलग अलग बातें हैं ।

खम्भात के एक कुएं में जब तेल मिला तो मैंने केवल यही कहा था कि वहां के प्राकृतिक गैस आयोग के नवयुवक टैकनिशियनों के बड़े परिश्रम से वहां तेल निकालने का काम शुरू किया । उन्होंने एक पद्धति कायम की । हमने सोचा कि यदि वहां खुदाई की जाये तो तेल वाली चट्टानें मिल सकती हैं । इसलिए पहले कुएं से तेल निकालने का काम शुरू किया गया और सौभाग्य से वहां तेल मिल गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

बाद को चलकर अन्य कुओं में भी प्रयत्न किया गया और वहां केवल गैस मिली। और कुछ में से बहुत ही घटिया किस्म का तेल भी मिला। सामान्यतः किसी क्षेत्र के तेल निक्षेपों की किस्म और मात्रा निर्धारित करने में दो वर्ष से अधिक समय लग जाता है। इसलिये हम काफ़ी सावधान थे और हमने कभी भी यह घोषणा नहीं की कि वहां तेल होता है।

श्री प० रा० पटेल ने कहा है कि १९ कुओं में तेल की खोज की गई और उन में से अधिकतर कुओं से गैस ही मिली। एक कुएं की अच्छी तरह परीक्षा करने में ५ से छः महीने तक लग जाते हैं। नाहरकटिया तेल क्षेत्र में तो हम को इस से भी अधिक समय लगा। कुएं में जिस जिस ढंग का रेत पाया जाता है हम बराबर खोज करते जाते हैं। यही कारण है कि वहां एक से दो वर्ष तक लग जाते हैं। अतः अब स्थिति यह है कि खम्भात में तेल नहीं बल्कि गैस पाई जाती है। इसलिये बाद में यह निर्णय हुआ कि इसे तेल क्षेत्र न कहकर गैस क्षेत्र कहा जाये। वास्तव में स्थिति तो यह है कि हम किसी बात के लिये निश्चित नहीं हैं। अब भी हमें यह आशा है कि हो सकता है कि वहां कोई तेल वाला कुआं मिल जाये फिर इसके बाद एक बात यह है कि गैस के नीचे तेल भी पाया जाता है। इसलिये हम आशा करते हैं कि हमें गैस के नीचे कभी भी तेल मिल सकता है।

दो साल तक कुओं के परीक्षण के बाद वर्तमान स्थिति यही है कि वहां तेल नहीं गैस पाई गई है। वहां कितनी गैस है इसका पता भी अभी कुछ और कुओं की खुदाई के पश्चात् ही चलेगा। इस कारण अब तक जो आंकड़े हमारे पास हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी और उसके बाद ही यह पता चलेगा कि कितनी गैस और मिल सकती है। लेकिन आशा है कि वहां कुछ और गैस मिलेगी।

यह प्रश्न उठाया गया है कि उस गैस को ग़ैर-सरकारी उद्योगों को क्यों नहीं दिया गया ताकि वे उसका उपयोग कर सकें। वह गैस इतनी अधिक मात्रा में नहीं है कि उसका उपयोग औद्योगिक कार्यों के लिये किया जा सके। मान लीजिये कि अब तो हम ग़ैर-सरकारी उद्योगों से गैस देने के लिये करार कर लें किन्तु कुछ समय के पश्चात् मानों गैस मिलना बन्द हो जाये तो हमारी स्थिति क्या होगी। उस समय हमारी तीव्र आलोचना की जायेगी। इसलिये हम गुजरात सरकार से ही गैस देने के बारे में बातचीत करेंगे। सरकार ने उस गैस का केवल स्थानीय बिजली संयंत्र को संभरण करने का निर्णय किया है।

अंकलेश्वर में तेल मिलने पर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां बराबर तेल मिल रहा है और इस मामले में हमें कोई कठिनाई नहीं है। वहां से काफ़ी मात्रा में हमें तेल मिल रहा है। इस क्षेत्र में हम कोयाली में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने वाले हैं। अंकलेश्वर क्षेत्र में मिलने वाले कोयले की किस्म वास्तव में बहुत अच्छी है। बर्मा शैल तेल शोधक कारखाने से इस तेल के लिये हमें अच्छा पैसा भी मिलता है जबकि अन्य क्षेत्रों से मिलने वाले तेल के लिये हमें इतना पैसा नहीं मिलता।

नूनमाटी तेल शोधक कारखाने के बारे में कहा गया है कि वहां इंडियन रिफाइनरीज़ ने गलत काम किया है। और ये गलतियां बराबर हो रही हैं। इसके अलावा यह तेल शोधक कारखाना वहां तभी स्थापित कर दिया गया था जबकि उस क्षेत्र में तेल मिलना भी शुरू नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने के बाद उसे सामान्य रूप से काम करने तक की स्थिति में काफ़ी समय लगता है। इस कारखाने ने १ दिसम्बर से काम करना शुरू किया है। यह जानते हुए उसे चालू किया गया था कि हमें जितने अशोधित तेल

की आवश्यकता होगी। वह सामान्यतः पाइप लाइन से नहीं मिलेगा क्योंकि पाइपलाइन वहां नहीं है। फिर भला यह कैसे कहा जा सकता है कि ३ १/२ महीने बाद वह काम करने लगेगा। हम आशा करते हैं कि आगामी कुछ महीनों में यह काम करने लगेगा। और यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि आजकल हमारी प्रगति किस ढंग से हो रही है। बर्मा शैल तेल शोधक को अच्छी तरह काम करने में लगभग ८ महीने, काल्टैक्स को ८ महीने, स्टेन्डर्ड वैकुअम तेल शोधक को ५ महीने लगे थे। इनके सामने भी नाना प्रकार की कठिनाइयां आई थीं।

नूनमाटी कारखाने के एक संकट के बारे में सभा को एक जानकारी नहीं है। जब आसाम आइल कम्पनी तथा बर्मा शैल कम्पनी के साथ करार किया गया था तो यह कल्पना की गई थी कि असाम में उत्पादित तेल यहीं साफ किया जायेगा और इसका निर्यात नहीं किया जायेगा। इसलिये बर्मा शैल कम्पनी इस बात के लिये बाध्य होगी कि वह सभी तेल, तेल शोधक कारखानों को देगी जो कि नूनमाटी में बने, अथवा गोहाटी में बने। इसलिये सरकार नाहरकटिया वा समस्त तेल लेने के लिये बाध्य है चाहे वह अच्छी किस्म का हो या घटिया किस्म का। शुरू में जब तेल मिला तो परीक्षण के लिये इसे अमरीका, रूस और रूमानिया भेजा गया। माननीय सदस्यों का मैं यह बताना चाहता हूं कि तेल शोधक कारखाने एक ही तरह के तेल का शोधन कर सकते हैं। जब तेल की किस्म गिरने लगती है तो उस कारखाने को ध्यान में रख कर उसका परीक्षण फिर से कराया जाता है। अब बर्मा शैल कम्पनी कहती है कि करार के अनुसार भारत सरकार इस तेल को ले। आयल इंडिया कम्पनी, जिसमें भारत सरकार ५० प्रतिशत की भागीदार है इस तेल को लेगी। इस कारण एक असंतुलन उत्पन्न हो गया है क्योंकि वह कारखाना एक खास किस्म के तेल के लिये बनाया गया था। उस प्रकार के तेल का संभरण नहीं किया जा सकता। अतः स्थिति यह है। सितम्बर, १९६० में आयल इंडिया लिमिटेड ने इंडियन रिफाइनरीज़ को लिख दिया था कि नाहरकटिया में मिलने वाले तेल की किस्म में अन्तर होने वाला है। तेल की किस्म कभी कभी बदल जाया कररी है। नाहरकटिया में हालत यह है कि वहां सभी कुओं से मिलने वाले तेल की किस्म में हेरफेर ही नहीं है बल्कि एक कुएं से मिलने वाले तेल में भी अन्तर है। इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। यह कोई गम्भीर बात नहीं है। गम्भीर बात तो यह है कि तेल ऐसी किस्म का तैयार हो रहा है जिसे हम ले नहीं सकते। तेल शोधक कारखाने को बन्द भी नहीं किया जा सकता। 'लो स्पीड आयल' अथवा अन्य प्रकार का तेल निकल रहा है। जिनके लिये यह कारखाना नहीं बना था। अतः उसके लिये हमें बाज़ार ढूंढना होगा और निश्चित आयोजन करना होगा। इसका अभिप्राय यह होगा कि इस काम में हमें समय भी लगेगा और हमारे लाभ भी कम हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में इंडिया आयल रिफाइनरीज़ ने मूल्यों में कमी करने की मांग की है। इस समय 'इंडियन रिफाइनरीज़ लि०' तथा 'आयल इंडिया लि०' में ये मूल्य कम करने के बारे में बातचीत चल रही है तथा ऐसा निर्णय करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जिससे कि हमें हानि न पहुंचे। इससे ४० से ६० लाख रुपये तक की हानि की बात कम चाहते हैं कि यह हानि हमें प्रति मास न हो। सिद्धान्त के रूप में आयल इंडिया कम्पनी इस पर विचार करने के लिये तैयार हो गई है। और मूल्यों में कमी करने के बारे में विचार करेगी। इंडियन रिफाइनरीज़ लि० मूल्यों में कमी करने पर बहुत जोर दे रही है। इसमें काफी समय लग जायेगा। हो सकता है कि यह मामला एक सप्ताह में निपट जाये और हो सकता कि महीनों लग जायें।

सभा को मैं बताना चाहता हूं कि नूनमाटी तेल शोधक कारखाने में झगड़े के दो कारण हैं—पाइपलाइन को अन्तिम रूप देने में देर और अशोधित तेल की किस्म में अन्तर। किन्तु ऐसा होना अनिवार्य था। हमें यह विचार करना है कि पेट्रोल उत्पादों की किस्में ऊंची किस प्रकार रहें। एक विशेष नमूने के तेल की कुछ मात्रा विदेशों से मंगा कर इसमें मिला दें। यह समस्या गम्भीर नहीं है। इसका निदान किया जा सकता है। संभव है कि रुद्रसागर में हम तेल की खोज कर रहे

[श्री के० दे० मालवीय]

है, वहां ऊंची किस्म का तेल मिल सकता है और फिर इन दोनों के मिलाने से समस्या हल हो सकती है। यदि ऐसे हल न हुई, तो कीमतों का समायोजन इस प्रकार कर दिया जायेगा कि शोधन शाला को हानि न उठानी पड़े। नूनमाटी में कठिनाई का तीसरा कारण यह भी है कि कभी कभी कम्प्रैसर टूट जाता है और इसे ठीक करने में कई सप्ताह बीत जाते हैं। इन कारखानों से एक विशेष स्थिति पैदा हो गई है और अफवाह चल पड़ी है कि नूनमाटी का कार्य संचालन उचित नहीं है। किन्तु आशा है कि जल्दी से नूनमाटी के कार्य में सुधार हों जायेगा।

पाइप में देरी का कारण यह है कि १९६०–६१ में भारी वर्षा के फलस्वरूप वे नहीं मिल सके और इस तरह रेल द्वारा अशोधित तेल ले जाने में काफी खर्च उठाना पड़ा। पाइपलाइन ने भारी वैक्स तेल ले जाने में असमर्थ थी अतः शीघ्र ही अशोधित-तेल को विशेष स्थिति में बनाये रखने के लिए शीघ्र एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र और पाइपलाइने मिल कर नाहर-कटिया में उपलब्ध तेल का संभरण होने लगेगा। तेल की क़िस्म घटिया होने के कारण आय में कितनी कमी हुई है, यह बताना मेरे लिये कठिन है, किन्तु तेल समवाय, सम्भरणकर्ता और उपभोक्ता इस पर विचार कर रहे हैं।

कावेरी घाटी में तेल की खोज में शीघ्रता की जायेगी। श्री उमानाथ ने यह शिकायत की कि हम दक्षिण में तेलशोधनशाला का निर्माण नहीं कर रहे हैं। भूतत्वीय सर्वेक्षण पूरा होने के तुरन्त बाद वहां तेल की खोज शुरू कर दी। किन्तु अभी तक वहां कोई सूराख नहीं किया है ऐसा तभी किया जा सकता है जब कि तेल की संभावना नजर आये। यह सूराख समुद्री क्षेत्र की ओर हो अथवा जमीन की ओर। इसमें अभी सन्देह है कि समुद्री क्षेत्र में तेल क्या इतनी मात्रा में निकल सकता है कि उसका वाणिज्यिक उपयोग किया जा सके। मेरे कहने का अभिप्राय यह कि जब तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग सन्तुष्ट नहीं हो जाता, वहां तेल के लिए छेद करना उचित नहीं है। संभावना स्पष्ट होने पर एक क्षण का भी विलम्ब नहीं करेंगे।

यह भी कहा गया है कि इस तेल निकालने के मामले में जितनी जोखिम उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं, उतनी कावेरी घाटी में क्यों नहीं ले रहे? वहां स्थिति दूसरी है। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में तेल आयोग का यह विचार है कि जब तक गंगा के विशाल मैदान में तेल सम्बन्धी छेद नहीं किये जायेंगे उसकी खोज का काम आगे नहीं बढ़ सकता। पंजाब में हमने कुछ थानों में आगे काम बन्द कर दिया था क्योंकि वहां तेल निकलने की कोई आशा नहीं थी। किन्तु उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए वहां हमें आधा दर्जन छेद करने होंगे। कावेरी घाटी के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

अब मैं कोयले की चर्चा करता हूं। वस्तुतः यह मेरे और सरकार के लिए कठिन समस्या है १९२० में भारत में कोयले का उत्पादन १७९ लाख टन था और १९२१ में १९० लाख टन था। १९४७ में यह २९९ लाख टन हो गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारत में केवल २९९ लाख टन कोयले का उत्पादन था, जब कि कोयला खानों की संख्या ९०२ थी, पांच वर्ष बाद १९५२ में कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष बढ़ कर लगभग ३६० लाख टन हो गया था। १९६१ में ५६० लाख टन हो गया था। १९६२ में तीन महीने के अन्दर १५१ लाख टन उत्पादन हुआ। इस तरह कोयले का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है किन्तु इसके साथ ही औद्योगिक गतिविधि और उपभोक्ता की आवश्यकताएं असीमित रूप में बढ़ गई। कृषि उद्योग और समाज के सभी क्षेत्रों में कोयले की मांग अथाह रूप में बढ़ गई। मैं यह कह सकता हूं कि कोयले के कारण इस्पात के उत्पान में कोई कमी नहीं हुई। कोयले को भारी मात्रा में ले जाना संभव न होने

के कारण कई कोयला खानों में जान बूझ कर उत्पादन कम किया गया । मेरा निवेद है कि देश में कोयले की बढ़ती हुई माँग को पूरा करना अत्यन्त कठिन है । आगामी कुछ महीनों या वर्षों में उपभोक्ता की आवश्यतका पूरी करने में आवश्यक मात्रा में कोयला संभरित करने में कोई कमी नहीं रखी जायेगी । हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम ९७० लाख टन कोयला पैदा कर सकें ।

इसमें सन्देह नहीं कि उन अलाभप्रद कोया खानों का राष्ट्रीयकरण जिनका उत्पादन १५० लाख टन से २०० लाख टन है नितान्त आवश्यक है । कुछ कोयला खानों के मालिक, जिनका उत्पादन १०,००० टन से कम है इस कार्य में ध्यान नहीं दे रहे और इस प्रकार राष्ट्र का अमूल्य साधन निरर्थक हो रहा है । इसका हल यह है कि हम इनको अपने हाथों में ले लें । मशीनों की सहायता से भी कोयले का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है । इस दिशा में राष्ट्रीय कोयला निगम विकास तेजी से काम कर रहा है । हमे पोलैंड, अमेरिका और रूस से भी सहायता मिल रही है । लगभग १६३ या १६५ कोयला खानें समुचित रूप से संगठित हैं और गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र में हमें इन से पर्याप्त मात्रा मे कोयला मिल रहा है । हमे अगले चार सालों में कोयला उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति ४०० लाख से ४४० लाख टन तक कोयला पैदा कर के करनी है । हम ऐसा सहयोग के वातावरण में ही कर सकते हैं । इन कोयला उद्योग को सन्देह में रख कर ९७० से १००० लाख टन कोयला पैदा नहीं कर सकते ।

कोयले की कीमतें बढ़ाना समाज विरोधी उपाय नहीं है । और न इससे मुद्रा स्फीति की स्थिति पैदा हो जायेगी । जब भी कोयले की कीमत बढ़ाई जायेगी, हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि अच्छी किस्म का कोयला पैदा किया जाये । और सरकार इसके लिए सम्पूर्ण सुविधा और सहायता देगी ।

उत्तर प्रदेश और बिहार की नदियों में परिवहन शुरू हो जाने के बाद कोयले के आवागमन में सुविधा हो जायेगी । आगामी जुलाई में हम लकड़ी की बनी देशी नावों में कोयला ले जाना शुरू कर देंगे । बिहार, भागलपुर, बखतियारगंज और मुंघेर में नावों में कोयला लादने के केन्द्र स्थापित किये जायेंगे और समीपवर्ती स्थानों में कोयला पहुंचाने के लिए इलाहबाद में इन नावों को खाली किया जायेगा । भागलपुर से इलाहबाद और घोगरा द्वारा पटना से उत्तर प्रदेश में बरहज़ तक । हम उत्तर में गागेरा नदी का और केन्द्रीय क्षेत्र में भागलपुर से बरहज तक गंगा द्वारा कोयला ले जाने का प्रयत्न करेंगे । यह व्यवस्था शीघ्र कर दी जायेगी । इस कार्य के लिए विशेष प्रकार की नावें बनाई जायेंगी । इस में प्रतिरक्षा मंत्रालय हमारी सहायता कर रहा है और यदि शीघ्र ही इस्पात की चादरें उपलब्ध हो गईं तो इन का निर्माण शुरू हो जायेगा । मुझे आशा है कि दामोदर घाटी निगम नहर भी नावों में कोयला ले जाने के लिए प्रयोग की जा सकती है ।

कुछ इस आशय के सुझाव दिये गये हैं कि कोयले के परिवहन के लिए सड़कों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता । लेकिन छोटे छोटे ट्रकों में यह कार्य लाभप्रद नहीं । कुछ समय बाद हम ऐसी सड़कों का प्रयोग करेंगे जहां भारी वैगन प्रयोग किये जा सकें । हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि सड़क परिवहन और नदी परिवहन में सुन्दर सामन्जस्य स्थापित किया जाये । किन्तु यह याद रखना आवश्यक है कि उपयुक्त मात्रा में कोयला ले जाने का उत्तरदायित्व रेलों पर ही है । किन्तु जब तक रेलवे हमें सब सुविधाएं नहीं देती, चाहे वह मध्य भारत हो, या पश्चिम भारत या उत्तर भारत, हम नदी परिवहन को बड़े पैमाने पर विकसित करना चाहते हैं, ताकि वह सड़क द्वारा परिवहन के कार्यक्रम में अनुपूरक सिद्ध हो ।

इस के बाद हम कोयला उत्पादन में गैर-सरकारी क्षेत्र को सहायता देने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं और यदि आवश्यकता हुई तो कुछ चुनी हुई किस्मों के लिए मूल्यों में वृद्धि भी दी जायेगी । यदि कोयला खानों और सरकार के बीच उत्पादन के लक्ष्य के बारे में समझौता

[श्री के० दे० मालवीय]

हो गया, तो अतिरिक्त सुविधाएं दी जायेंगी। रेलवे के प्रयत्नों को पूरा करने के लिए नदी परिवहन और सड़क परिवहन को विकसित करने के लिए हम तेज़ी से कदम उठा रहे हैं। यह जितनी जल्दी हो सके, उतना ही अच्छा है। हमें आशा है कि ये सब चीज़ें जुलाई के मध्य में शुरू कर देंगे।

श्री हेडा ने पूछा है कि हम आंध्र से बाहर कोयला क्यों ले गये थे और बाहर से आंध्र में कोयला क्यों ले आये हैं। यह इसलिए था कि विशेष प्रकार के 'क' और 'ख' किस्म के कोयले आंध्र में नहीं पैदा होते। इसलिए बाहर से आंध्र में कोयला ले जाना आवश्यक था। आंध्र में निचली किस्म का कोयला पैदा होता है, जिस की आवश्यकता और कहीं होती है। अतः कोयला आंध्र से बाहर भेजा जाता है और बाहर से आंध्र में लाया जाता है, जिस किस्म की आवश्यकता हो।

मैं सड़क परिवहन के सम्बन्ध में कठिनाइयों का उल्लेख कर चुका हूं। हम देश के सभी भागों में सड़क परिवहन में विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह प्रश्न उठाया है कि सेन्ट्रल प्रोविन्सेज मेंगनीज और समवाय को ४९ प्रतिशत अंश क्यों दिये गये हैं। यह सही है कि इस कम्पनी के अधिकांश पट्टे समाप्त हो गये हैं। अवशेष पट्टों को भी उन्होंने इस संधि के फलस्वरूप हमें सौंप दिया है। तथापि माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मेंगनीज के विक्रय में कुछ परेशानी है। उक्त समवाय को मेंगनीज अयस्क के निर्यात के सम्बन्ध में विशेष अनुभव है। यह हर्ष का विषय है कि उन्होंने अल्पसंख्यक अंशों के आधार पर साझेदारी स्वीकार कर ली है। जब मेंगनीज की ये खानें हमारे हाथ में आयीं तो हमारे लिये एक समस्या पैदा हो गयी कि हम इस मेंगनीज से क्या करें। अतः हम ने उनके सम्मुख यह प्रस्ताव रखा। बड़ी कठिनाई से हम ने उसे इस बात पर राजी किया कि वह नयी स्थापित होने वाली कम्पनी में, जिसमें बहुसंख्यक अंश सरकार के होंगे, अपने को विलय कर लेवें। इस समवाय में भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार के अंश रहेंगे। जैसे ही उक्त सरकारें इन खानों को लेने को तैयार हो जायेंगी यह खानें उन सरकारों को सौंप दी जायेंगी।

जहां तक पश्चिम बंगाल और भारत सरकार के बीच विवाद का प्रश्न है, वस्तुतः ऐसा दोनों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रति दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में भ्रांति पैदा हो जाने के कारण हुआ है।

मैंने इस सम्बन्ध में बंगाल के मुख्य मंत्री से बातचीत की थी। सम्भव है मैं इसका हल खोज निकालने में समर्थ हो जाऊं। मेरा इरादा है कि आय-व्ययक पर इस चर्चा के समाप्त होते ही मैं बंगाल चला जाऊं और कुछ दिन वहां के मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में बातचीत करके इस प्रश्न का निपटारा कर लूं।

बर्मा शैल की शर्तें अभी अभी प्राप्त हुई हैं। मुझे उन के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है अतः उनके सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। यद्यपि बर्मा शैल के कुछ मुख्य प्रबन्धकों से मेरी पिछले सप्ताह बातचीत हुई थी तथा उन्होंने यह बात उठायी थी कि वह शोधनशाला के सम्बन्ध में हुआ समझौता रद्द करने को तैयार हैं तथापि यह बात उन प्रस्तावों से सम्बन्धित थी जिन पर मैंने उस समय चर्चा नहीं की। अतः अपनी राय प्रगट करने के पूर्व सरकार के समक्ष पूरी तस्वीर सामने आनी चाहिये।

श्री राम रतन गुप्त ने एक विचित्र बात कही है वह यह है कि शोधनशालाओं को और अधिक मुनाफा कमाने दिया जाये जिससे कि वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें। मैंने अभी तक यह बात नहीं सुनी कि शोधनशालायें मुनाफा नहीं कमा रही हैं। संभव है मेरे माननीय सदस्य का यह तात्पर्य हो कि पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में सामान्य कमी आने के कारण विक्रेता समवायों के मुनाफे में कमी हो गयी है। यह बात सही है। हमारा यह निश्चित मत है कि पैट्रोलियम उत्पादों में और कमी होनी चाहिये क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की अधिकता हो गयी है और अब यह बेचने वालों का बाजार नहीं रह गया है अपितु खरीदार का बाजार बन गया है। अतः कीमतों को तय करने का दायित्व उपभोक्ताओं के हाथों में चला गया है।

जहां तक तेल की खोज का सम्बन्ध है प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि अधिक से अधिक तेल की खोज की जाये। तथापि ऐसा करने के लिये उन्हें कम से कम आवश्यक समय तो चाहिये। उन्हें यह काम सावधानी से भी करना है।

आसाम में काम की प्रगति हो रही है, तथापि मार्ग में यातायात सम्बन्धी कई कठिनाइयां सामने आई हैं। कभी कार्य भी अपेक्षित कुशलता से नहीं होता है तो कभी हम से कुछ त्रुटियां भी होती हैं। सच्चाई यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र से अधिक गड़बड़ चलती है।

अतः यह बात नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में तेल का काम प्रगति नहीं कर रहा है। वस्तुतः हम इतना काम बहुत कम समय में करने में समर्थ हो सके हैं। तथापि मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम विलम्ब दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

जहां कोयाली शोधनशाला के स्थान का निश्चय एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया गया था जिसमें भारत सरकार, गुजरात सरकार और टैक्नीकल विशेषज्ञ थे। उनके सर्वसम्मत निर्णय पर यह स्थान निश्चित किया गया है। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। वस्तुतः डिजायनिंग का काम भी आधे से अधिक हो चुका है, अतः इस स्तर पर कोई परिवर्तन करना सरकार तथा शोधनशाला के हित में नहीं होगा।

†**श्री भागवत झा आजाद :** मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि क्या नदी और सड़क परिवहन से कोयले के परिवहन को सहायता मिल सकेगी? तथा क्या रेलवे द्वारा कोयला परिवहन के सम्बन्ध में कोई निश्चित व्यवस्था की गयी है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हम नदियों द्वारा ३५ लाख टन कोयले का परिवहन करना चाहते हैं। यह लक्ष्य दो वर्ष में या उससे भी कम समय में पूरा होगा। इस समय ईंटों के भट्टे और छोटे उद्योगों की मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमें आशा है कि कोयले का सड़क और नदी परिवहन से उनकी मांगें पूरी हो जायेंगी। मेरे विचार से ईंटें जलाने के लिये कोयले के संभरण में प्राथमिकता न दिया जाना उचित नहीं है। क्योंकि गांवों में भी कई विकास कार्य जैसे स्कूलों का निर्माण इत्यादि चल रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

जहां तक रेलवे द्वारा कोयले के परिवहन का सम्बन्ध है मेरे विचार से रेलवे की क्षमता में विकास होगा। मुगलसराय में जो गाड़ियों की भीड़ भाड़ होती है उससे भी शीघ्र मुक्ति मिलेगी। माल डिब्बे बनाने का कार्यक्रम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। संभव है कुछ वर्षों के पश्चात् परिवहन की समस्या इतनी गम्भीर नहीं रहे। कोयले के उत्पादन का लक्ष्य ३ या साढ़े तीन वर्ष में प्राप्त होगा जब कि माल डिब्बों के उत्पादन का लक्ष्य ढाई वर्ष बाद प्राप्त हो जायेगा।

हम कोयले को केवल नदी सड़क या रेलवे द्वारा परिवहन करने का ही प्रयत्न नहीं कर रहे हैं अपितु हम नलों द्वारा भी कोयले के परिवहन की व्यवस्था कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजली घरों में कोयला नल के द्वारा पहुंचा दिया जायेगा। इन योजनाओं से हम आशा करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री के कथनानुसार केवल ६,६०० माल डिब्बे तीसरी योजना के अन्त तक उपलब्ध होंगे। ये डिब्ब अधिकाधिक ५५० लाख टन कोयला ढोने में समर्थ होंगे, अतः जब तक आप माल डिब्बों के उत्पादन में वृद्धि नहीं करेंगे तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि माल डिब्बों के उत्पादन में बहुत वृद्धि की जा रही है। मुझे विश्वास है कि कुछ ही वर्षों में कोयले की मात्रा से भी अधिक डिब्बे उपलब्ध हो जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयला उपलब्ध होने और कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में कोई असंतुलन न होगा। यह ध्यान रखना चाहिये कि हम माल डिब्बों के अलावा अन्य साधनों का भी उपयोग कर रहे हैं। कोयले के परिवहन में जो भी कठिनाई आयेंगी उसका रेलवे मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय मिल कर सामना करेंगे।

†**श्री पु० रो० पटेल** : गांधी नगर में तेल की खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : वहां एक तेल कूप खोदा जा चुका है। तथापि मुझे ज्ञात नहीं है कि उसके क्या परिणाम निकले हैं। यदि इससे सफलता नहीं भी मिले तो हम दूसरा और तीसरा कूप खोदेंगे, क्योंकि वहां का भूमि-तेल उपयुक्त प्रकार का है।

†**श्री कमल नयन बजाज** (वर्धा) : क्या अधिक लम्बे मार्गों पर परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिये विभिन्न राज्यों पर लगने वाले तत्संबंधी करों का वैज्ञानिक न करने का विचार किया जा रहा है।

†**श्री के० दे० मालवीय**: कोयले का अधिक दूरी तक परिवहन करने में रेलों को कड़ी प्रतिद्वन्दता का सामना करना होगा। मैं नहीं जानता कि राज्य सरकारें इस दिशा में किस प्रकार की रियायतें करने को तैयार हैं। हम इस बारे में उनसे परामर्श कर रहे हैं और उनका रुख बहुत सहानुभूति पूर्ण है। हम यह कार्य आरम्भ करने का विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा खान और ईंधन मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुई ।

मांग सख्या	शीर्षक	राशि
७६.	खान और ईंधन मंत्रालय	२२,०३,०००
७७.	भूतत्वीय सर्वेक्षण .	२,७३,४६,०००
७८.	खान और ईंधन मंत्रालय का अन्य राजस्व-व्यय	१०,५६,१७,००
१३३.	खान और ईंधन मंत्रालय का पूंजी-व्यय . .	६१,१६,०५,०००

(इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, १७ मई, १९६२/२७ वैशाख, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

[बुधवार, १६ मई, १९६२
२६ वैशाख, १८८४ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	२१८५—२२१०
तारांकित प्रश्न संख्या		
७३९	दिल्ली में भूमिगत पानी .	२१८५—८७
७४०	पुर्तगाली राष्ट्रजनों का प्रत्यावर्तन	२१८७—८९
७४१	बेरुबाड़ी . . .	२१८९—९१
७४२	दिल्ली में मकान बनाने के समान का मूल्य	२१९१–९२
७४३	कर्मचारी प्रबन्ध संबंधी परामर्श सेवा . . .	२१९२–९३
७४४	पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर . . .	२१९३
७४५	खादी तथा अम्बर चरखा कार्यक्रम	२१९३—९५
७४६	अफ्रीका में गैर-अफ्रीकी रेलवे कर्मचारी	२१९६
७४८	शुद्ध मापक यंत्र कारखाना .	२१९६—९८
७४९	फिल्म व्यापार प्रतिनिधि मंडल . .	२१९८
७५०	निर्यात व्यापार के लिये बोर्ड . . .	२१९८–२२००
७५२	तटस्थ राष्ट्रों का आर्थिक सम्मेलन .	२२००–०१
७५३	सीमेंन्ट मजूरी बोर्ड	२२०१–०२
७५५	उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा) क्षेत्र में शिक्षा का स्तर	२२०२–०३
७५६	दंडकारण्य परियोजना . . .	२२०३—०५
७५७	भारत सरकार मुद्रणालय, नयी दिल्ली में प्रोत्साहित बोनस योजना	२२०५—०७
७५८	इजरायल के साथ व्यापार . .	२२०७–०९
७५९	नारियल जटा से बनी वस्तुओं का निर्यात .	२२०९–१०
७६०	दिल्ली में शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर	२२१०

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखत उत्तर	२२१०–५३
तारांकित प्रश्न संख्या		
७३७	गोग्रा में शिक्षा .	२२१०–११
७३८	भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा .	२२११
७४७	बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में हेमराज बस्ती	२२११–१२
७५१	विद्रोही रेडियो स्टेशन का पता लगाने के लिये नेपाल सरकार की प्रार्थना	२२१२
७५४	पश्चिमी बंगाल के खादी कर्मचारी	२२१२
७६१	उड़ीसा में पंचायत उद्योग	२२१२–१३
७६२	ग्रहमदाबाद की कपड़ा मिलें	२२१३
७६३	नमक की कमी	२२१३–१४
७६४	पूर्वी पाकिस्तान से निकाल गया भारतीय पत्रकार	२२१४–१५
७६५	तृप्पूणितुरा (केरल) में तार (केबल) कारखाना	२२१५
७६६	वाशिंगटन भारतीय दूतावास	२२१५
७६७	बिहार में रेशम कोया उत्पादक क्षेत्र .	२२१६
७६८	ग्रान्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा रेडियो स्टेशन	२२१६
७६९	माल्दा में दंगे .	२२१६–१७
७७०	मगला बांध के समीप हवाई ग्रड्डा	२२१७
७७१	कपड़ा मजरी बोर्ड को सिफारिशें	२२१८
७७२	फैक्टरियों के काम के घंटे .	२२१८
७७३	कांगड़ा (पंजाब) में ग्रखबारी कागज का कारखाना .	२२१८–१९
७७४	एशिया में समाचार-पत्र ग्रादि ग्रारम्भ करने के लिये योजना	२२१९
७७५	मकाग्रो में गिरफ्तार भारतीय .	२२१९–२०
७७६	पाकिस्तान के साथ व्यापार	२२२०
७७७	पश्चिम बंगाल में नमक का कारखाना .	२२२०
७७८	विदेशों में भारतीय मिशनों में नियोजित विदेशी	२२२०–२१
७७९	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान	२२२१
७८०	दिल्ली में दूकानों का समय .	२२२१–२२
७८१	कडप्पा ग्रौर विशाखापटनम् में ट्रांसमिटर .	२२२२
७८२	शारीरिक रूप से ग्रसमर्थ लोगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र .	२२२२
७८३	गोग्रा से निर्यात की संभावनाएं	२२२२
७८४	चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	२२२३
७८५	सरकारी ग्रौद्योगिक उपक्रम	२२२३

विषय	पृष्ठ

७८६ रामपुर में आकाशवाणी का ट्रांसमीटर २२२३–२
७८७ नेपाल को सहायता २२२४
७८८ नयी अमरीकी अन्तरिक्ष परियोजना में भारत द्वारा भाग लिया जाना २२२५

अतारांकित प्रश्न संख्या

१२८४ बिहार में उद्योग . . २२२५
१२८५ नगरीय आय की अधिकतम सीमा २२२५–२६
१२८७ कच्ची काजू का आयात २२२६
१२८८ काजू निगम . . २२२६
१२८९ ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में विनियोजन . २२२७
१२९० उड़ीसा में कोरापुट में रेडियो ट्रांसमिशन केन्द्र २२२७
१२९१ उड़ीसा मे बेरोजगार पंजीकृत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग . २२२७–२८
१२९२ ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां २२२८
१२९३ इंडिया, इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड . . २२२८–२९
१२९४ दण्डकारण्य में इंजीनियरों की कमी . . २२२९
१२९५ दण्डकारण्य में विस्थापित व्यक्ति २२२९–३०
१२९६ उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार . २२३०
१२९७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जगपुर (उड़ीसा) २२३०
१२९८ आदिम जाति लोक गीत . . . २२३०–३१
१२९९ भारत में आदिम जाति के लोगों के बारे में प्रलेखीय चलचित्र २२३१
१३०० पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय गडरिये का लड़का २२३१
१३०१ श्रीमती कैनेडी की भारत यात्रा . २२३१–३२
१३०२ केरल में बागान मजदूरों के लिए मकान २२३२
१३०३ चाय और रबड़ मजूरी बोर्ड की सिफारिशें २२३२
१३०४ नक्स वोमिका २२३२–३३
१३०५ अलौह धातु २२३३
१३०६ प्रादेशिक विकास . . २२३३
१३०७ करांची हवाई अड्डे पर रोके गये भारतीय . . २२३४

विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१३०८	हरिजनों की लघु और कुटीर उद्योगों सम्बन्धी सहकारी समितियां	२२३४
१३०९	पटरी पर बैठने वाले दुकानदारों का पुनर्वास .	२२३४
१३१०	राजस्थान में दूसरी योजना के दौरान नियोजन .	२२३५
१३११	पाकिस्तान राष्ट्रजनों का बेरूबारी में अवैध प्रवेश	२२३५
१३१२	कोंयला खान के मजदूरों के लिये सस्ते मकान . .	२२३५
१३१३	औद्योगिक गथा गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२२३५–३६
१३१४	बरानगौर में नेताजी कालोनी . .	२२३६
१३१५	नागा विद्रोहियों की गतिविधियां .	२२३७
१३१६	त्रिपुरा मे औद्योगिक एकक (यूनिट)	२२३७
१३१७	दस्तकारी की चीजों की बिक्री .	२२३७
१३१८	राजस्थान में यूरेनियम . . .	२२३८
१३१९	निर्यात की गई अदरख और काली मिर्च पर वसूल बिक्री–कर लौटाना	२२३८
१३२०	मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम .	२२३८–३९
१३२१	कोलार की सोने की खानों के मज़दूरों की मजूरी	२२३९
१३२२	लास्ट डेज़ आफ ब्रिटिश राज . .	२२३९–४०
१३२३	तीसरी योजना के अन्तर्गत बड़े नये उद्योग	२२४०
१३२४	जापान को लौह अयस्क का निर्यात .	२२४०
१३२५	आन्ध्र प्रदेश में कोयला क्षेत्रों सम्बन्धी उप-समिति	२२४०
१३२६	बाक्साइट का उत्पादन	२२४१
१३२७	मैसूर मे रंगीन फिल्म बनानें का कारखाना	२२४१
१३२८	दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी .	२२४१
१३२९	त्रिपुरा के चाय बागानों में बकाया मजूरी	२२४२
१३३०	सातवां ग्रीष्म नाटक समारोह	२२४२
१३३४	जूतों का निर्यात . . .	२२४२–४३
१३३५	भारत में बने मिट्टी के बर्तनों आदि का निर्यात	२२४३
१३३६	कर्मचारी राज्य बीमा योजना भविष्य निधि	२२४३–४४
१३३७	भविष्य निधि . .	२२४४
१३३९	नई दिल्ली स्थित भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों के वेतनक्रम	२२४४–४५

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१३४०	नई दिल्ली स्थित भारत सरकार मुद्रणालय में पदों की श्रेणियां	२२४५
१३४१	नई दिल्ली स्थित भारत सरकार मुद्रणालय के कर्मचारियों की वर्दियां	२२४५–४६
१३४२	केरल का प्रविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण	२२४६
१३४३	चन्दन के तेल का निर्यात . .	२२४६
१३४५	महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियां	२२४६–४७
१३४६	महाराष्ट्र में सरकारी उद्योग .	२२४७
१३४७	पूना में "पावर एल्काहल" उद्योग	२२४७
१३४८	महाराष्ट्र में प्रसारण केन्द्र	२२४७–४८
१३४६	दण्डकारण्य में स्लीपर उद्योग . . .	२२४८
१३५०	अहमदपुर में नेशनल शुगर मिल में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार	२२४८–४६
१३५१	काफी का उत्पादन और निर्यात	२२४६
१३५२	नेफा को विमान से खाद्य पदार्थ भेजना .	२२४६–५०
१३५३	पटसन के रेशे का निर्यात	२२५०
१३५४	हथकरघा उत्पादों का निर्यात . .	२२५०
१३५५	अल्युमीनियम केबल्स एण्ड कन्डक्टर्स लिमिटेड, कलकत्ता	२२५०
१३५६	पंजाब में लघु औद्योगिक एकक .	२२५०–५१
१३५७	लघु उद्योग .	२२५१
१३५८	तकुओं का आवंटन	२२५१–५२
१३५६	निर्यात लाइसेंस .	२२५२
१३६१	रुद्रामपुर में कल्याण केन्द्र का भवन .	२२५२–५३
१३६२	राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए आवास योजना	२२५३

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, १६ मई १६६२/२६ वैशाख, १८८४ (शक)

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . २२५३—५५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) ने हुगली नदी के पोत चालकों के काम बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया

विषय पृष्ठ

समिति के लिये निर्वाचन २२५५

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्यों काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुदानों की मांगें २२५५--६१

खान और ईंधन मंत्रालय के बारे मे १९६२-६३ की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त हुई और सभी मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं।

गुरुवार, १७ मई १९६२/२७ वैशाख, १८८४(शक) के लिये कार्यावलि

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा

GMGIPND—LSIII—860 (Ai) LSD—17-7-62—150